उत्तर प्रदेश

में

२०–सूत्रीय कार्यक्रम

लक्ष्य एवं उपलब्धियां

1983-84

NIEPA DC
D00972

- 542
338.9
UTT - M

FOR PERSONAL USE ONLY

अनुक्रमणिका

क्रम-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
1	नया बीस सूत्री कार्यक्रम	1
2	सिचाई एवं शुष्क खेती की तकनीक	2
3	दलहन तथा तिलहन उत्पादन में वृद्धि	3
4	समग्र ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार	5
5	भूमि सुधार एवं भूमि आवंटन	7
6	न्यूनतम मजदूरी	8
7	बंधुवा श्रमिकों का पुनर्वासन	9
8	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	10
9	पेयजल	13
10	आवास स्थल एवं आवास	14
11	नगर विकास मलिन बस्तियों का सुधार एवं दुर्बल वर्ग आवास	15
12	विद्युत् उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण	16
13	वन एवं वैकल्पिक ऊर्जा	17
14	परिवार नियोजन	19
15	स्वास्थ्य	20
16	मातृ एवं शिशु कल्याण	22
17	शिक्षा	24
18	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति	26
19	औद्योगिक विकास	27
20	तस्करों, जमाखोरों तथा कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध अभियान	29
21	सार्वजनिक उद्यम	30
22	बीस सूत्री कार्यक्रम एक दृष्टि में--राज्य स्तरीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां	33
23	मण्डलवार/जनपदवार लक्ष्य	41
	(1) मेरठ मण्डल	42
	(2) आगरा मण्डल	48
	(3) बरेली मण्डल	54
	(4) मुरादाबाद मण्डल	59
	(5) इलाहाबाद मण्डल	63
	(6) झांसी मण्डल	69
	(7) वाराणसी मण्डल	75
	(8) गोरखपुर मण्डल	82
	(9) लखनऊ मण्डल	87
	(10) फैजाबाद मण्डल	96
	(11) कुमायूं मण्डल	99
	(12) गढ़वाल मण्डल	103
24	कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण व्यवस्था	109
25	जनपदवार प्रभारी मंत्रिगण	110
26	महत्वपूर्ण शासनादेश	111

Sub. National Systems Unit,
Nati[illegible] of Educational
Pl[illegible]
1[illegible]0016
DOC. No. D-[illegible]
Date......[illegible]

नया बीस सूत्री कार्यक्रम

1--सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जाये। सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नों का विकास एवं प्रचार किया जाये।

2--दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किय जायें।

3--समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अधिक विस्तृत किया जाए।

4--कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी लागू हो। तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से संबंधित रिकार्डों को एकत्र कर पूरे तौर से दुरुस्त किया जाए तथा हदबन्दी की सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहीनों के बीच किया जाये ।

5--कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जाय और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाए।

6--बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन की व्यवस्था की जाए।

7--अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के विकास से सम्बद्ध कार्यों में तेजी लाई जाए।

8--दूर-दराज इलाकों में बसे सभी ग्रामों में पीने के पानी का प्रबन्ध हो।

9--ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है उनको इसके लिए जमीन दी जाए और उनके लिये मकान बनाने में सहायता से सम्बद्ध जो कार्य-क्रम हैं उनका विस्तार किया जाए।

10--झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के वातावरण में सुधार लाये जायें। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण कार्यक्रम को लागू किया जाये और जमीन की कीमतों में जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है उसे रोकने के लिये उपाय किये जाएं।

11--बिजली के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाय। बिजली बोर्ड की कार्य-प्रणाली में सुधार लाया जाए और सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाए।

12--वनरोपण कार्यक्रम को पूरी निष्ठा के साथ चलाया जाए, सार्वजनिक उद्यान एवं बागवानी तथा बायोगैस तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।

13--परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर सार्वजनिक अभियान के रूप में चलाया जाए।

14--सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाया जाये तथा कुष्ठ, टी० बी० और अन्धेपन को नियंत्रित करने के उपाय किये जायें।

15--महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम में तेजी लाई जाए। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों, विशेषरूप से आदिवासी, पहाड़ी एवं पिछड़े इलाकों में रहने वालों के लिये पौष्टिक आहार कार्यक्रम तीव्र गति से चलाये जायें।

16--छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाय और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही इन कार्यक्रमों में छात्रों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाय ताकि वयस्कों की निरक्षरता का अन्धकार दूर हो सके।

17--उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ा कर और दूरदराज के इलाकों में चलती-फिरती दुकानों की व्यवस्था करके औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दुकानें खोल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ोत्तरी की जाए। पाठ्य-पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए । उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिये जोरदार कदम उठायें जायें।

18--पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाया जाए और औद्योगिक नीति को सरल बनाया जाय ताकि हम योजनाओं को समय से पूरा कर सकें तथा दस्तकारी, हथकरघा एवं दूसरे ग्रामीण उद्योग धंधों को हर प्रकार की सुविधायें दी जायें, जिससे वे प्रगति करें और अपनी तकनीक को आधुनिक बना सकें।

19--तस्करों, जमाखोरों और कर की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाए ताकि काला धनरु के।

20--सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता, अपनी क्षमता के उपयोग और आंतरिक साधनों के उत्पादन की शक्ति को बढ़ाकर उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार लाया जाए

सिचाई एवं शुष्क खेती की तकनीक

सूत्र संख्या 1—सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जाए। सूखी जमीन पर खेती से संबंधित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नफसलों का विकास एवं प्रचार किया जाए।

(क) सिंचन क्षमता में वृद्धिः—

सिंचन क्षमता में वृद्धि का सीधा संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। इसीलिए शासन सिंचाई कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करता है।

वर्ष 1981–82 के अन्त तक विभिन्न सिंचाई साधनों से 184.01 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ। वर्ष 1982–83 में 12.87 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य था जिसके विपरीत लगभग 12.57 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ। वर्ष 1983–84 में कुल 9.80 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य निर्धारित है। विभिन्न श्रोतों से सृजित क्षमता तथा 1983–84 का लक्ष्य निम्नवत् हैः—

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	इकाई	1.4.82 का स्तर	1982–83 का लक्ष्य	1982–83 की उपलब्धि	1983–84 का लक्ष्य
1	बृहद एवं मध्यम सिंचाई	लाख हे0	65.62	1.75	1.64 (अनन्तिम)	0.55
2	राजकीय लघु सिंचाई	लाख हे0	29.64	1.65	1.43	1.25
3	निजी लघु सिंचाई	लाख हे0	88.75	9.47	9.50	8.00
	कुल सिंचन क्षमता		184.01	12.87	12.57	9.80

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सिंचन क्षमता के सृजन में निजी लघु सिंचाई साधनों का योगदान सर्वाधिक है है। सरकार लघु तथा सीमान्त कृषकों को सिंचाई साधनों हेतु ऋण तथा अनुदान की सुविधा उदार शर्तों पर उपलब्ध करा रही है है। निजी लघु सिंचाई साधनों में लक्ष्य से अधिक पूर्ति शासन द्वारा प्रदत्त उक्त सुविधाओं का ही परिणाम है।

(ख) सूखी जमीन पर खेतीः—

वर्ष 1982–83 में इस कार्यक्रम को सूक्ष्म नियोजन प्रणाली के आधार पर कार्यान्वित किया गया। वर्ष 1983–84 में इस कार्यक्रम को और अधिक नियोजित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यापापक उपाय किये गये हैं। प्रदेश के 971 चयनित जल समेट क्षेत्र/भूखण्डों के अन्तर्गत 5.81 लाख हे0 तथा चयनित जजल समेट क्षेत्र के बाहर 8.69 लाख हे0 क्षेत्रफल में सूखी जमीन पर खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1982–83 की लक्ष्य, पूर्ति तथा 1983 के लक्ष्य का विवरण निम्नवत् हैः—

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	इकाई	1982–83 लक्ष्य	1982–83 पूर्ति	1983–84 का लक्ष्य
	सूखी जमीन पर खेती–				
1	माईक्रोशेड के अन्तर्गत	हजार हेक्ट0	600	603	5581
2	माइक्रोशेड के बाहर	हजार हेक्ट0	438	453	8669

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गयी रूप रेखा में बेन्च मार्क सर्वेक्षण एवं कृषकवार फसल योजना, नमी संरक्षण विधियों, शस्य विधियों के प्रचार एवं प्रसार, उन्नतिशील बीजों के वितरण, रसायनिक उर्वरकों के वितरण, उन्नतिशील कृषियंत्रों के वितरण, कृषि रक्षा उपचार, सामुदायिक नर्सरी तथा प्रदर्शन आदि मदों पर विस्तृत निर्देश प्रसारित किए गए हैं। वर्ष 1983–84 में कार्यक्रम को अपेक्षाकृत अधिक तत्परता में लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैः—

(1) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध रूप रेखा तथा रणनीति तैयार की गयी है।

(2) कार्यक्रम की सफलता तथा सही रिपोर्टिंग हेतु विभिन्न स्तरों पर सत्यापन अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं तथा सत्यापन के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं।

(3) कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा तथा कार्यक्रम में आने वाले अवरोधों को दूर करने हेतु विभिन्न स्तरों पर "टास्क फोर्स" बना दिए गए हैं।

(4) विकास खण्ड, जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर पर बहुअनुशासनात्मक समितियों का गठन कर दिया गया है जो कृषकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करेगी।

(5) कृषि निवेशों की व्यवस्था हेतु व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं।

दलहन तथा तिलहन उत्पादन में वृद्धि

सूत्र संख्या 2—दलहन तथा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जायें ।

(क) दलहन:—

देश में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है । प्रदेश में दलहनी फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के ऊपर है। उत्पादकता की दृष्टि से हरियाणा तथा पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए सघन विधियों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि अन्य फसलों के क्षेत्रफल को प्रभावित किए बिना उत्पादन में वृद्धि की जाय। इसके लिए सहफसली खेती पर बल दिया जा रहा है।

वर्ष 1982–83 में 30 लाख मी0 टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि वर्ष 1983–84 म 32.30 लाख दलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्षेत्र आच्छदन तथा उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	1982–83		1983–84 का लक्ष्य
			लक्ष्य	पूर्ति	
1	खरीफ क्षेत्रफल	ह0 हे0	775	717	900
2	खरीफ उत्पादन	लाख मी0 टन	2.00	1.02	2.50
3	रबी क्षेत्रफल	ह0 हे0	2725	2520	3000
4	रबी उत्पादन	लाख मी0 टन	28.00	अप्राप्त	29.80
	योग–क्षेत्रफल ..	ह0 हे0	3500	3237	3900
..	.. उत्पादन ..	लाख मी0 टन	30.00	अप्राप्त	32.30

दलहन विकास की विभिन्न योजनाओं द्वारा जनसामान्य, विशेषकर गरीब वर्ग को निम्नलिखित सुविधा प्रदान की जा रही है:—

1—दलहन के प्रमाणित बीज पर 200 रु0 प्रति कुण्टल तथा टूथफुल बीज पर 100 रु0 प्रति कुन्तल की दर से श्रोत पर अनुदान है।

2—प्रदर्शन के आयोजन के लिए वास्तविक व्यय या 375 रु0 प्रति हैक्टेयर जो कम हो, अनुदान कृषि-सामग्री के रूप में उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

3—कृषि रक्षा सामग्री हेतु कीटनाशक दवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा स्थलीय छिड़काव हेतु 15 रु0 प्रति हैक्टेयर की दर से श्रम पर अनुदान उपलब्ध है।

4—पर्वतीय क्षेत्रों में दलहन फसलों की सघन खेती के अन्तर्गत कृषकों को उर्वरकों के मूल्य पर 33 प्रतिशत अनुदान श्रोत पर उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है।

(ख) तिलहन:—

तिलहन प्रदेश की मुख्य औद्योगिक तथा नकदी फसल है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तिलहन की मुख्य फसलों में राई, सरसों तथा तिल हैं। इसमें मूंगफली, सूरजमुखी तथा सोयाबीन के भी उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 1982–83 में तिलहन के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के लक्ष्य-पूर्ति तथा वर्ष 1983–84 में लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	1982–83		1983–84 का लक्ष्य
			लक्ष्य	पूर्ति	
1	खरीफ क्षेत्रफल	ह0 हे0	1100	1033	1126
2	खरीफ उत्पादन	लाख मी0 टन	5.00	3.98	4.55
3	रबी क्षेत्रफल	ह0 हे0	2900	2913	3074
4	रबी उत्पादन	लाख मी0 टन	15.50	अप्राप्त	18.45
	योग—क्षेत्रफल ..	ह0 हे0	4000	3946	4200
	उत्पादन	लाख मी0 टन	20.50	अप्राप्त	23.00

तिलहन विकास की विभिन्न योजनाओं द्वारा जन-सामान्य विशेषकर गरीब वर्ग को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:——

(1) शोध द्वारा विकसित तिलहन उत्पादन की नई तकनीक के प्रचार तथा प्रसार हेतु प्रदर्शन तथा मिनीकिट ट्रायल्स का आयोजन जिसके लिए कृषिकों को कृषि निवेश पर आंशिक सुविधा कृषि सामग्री के रूप में देय हैं।

(2) मूंगफली, सोयाबीन तथा राई-सरसों के टूथफूल बीज पर 100 रु० प्रति कुन्तल तथा प्रमाणित बीज पर 150 रु० प्रति कुन्तल अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

(3) कृषि रक्षा हेतु कीटनाशक दवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा स्थलीय छिड़काव हेतु श्रम पर हुए व्यय हेतु 15 रु० प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है।

———

समग्र ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार

सूत्र संख्या 3–समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अधिक विस्तृत किया जाय ।

(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम:—

भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1980 से प्रदेश के सभी 885 विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग विशेषकर, लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 परिवार प्रति विकास खण्ड लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसमें से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिये ।

1982–83 की लक्ष्य उपलब्धि तथा 1983–84 के लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	1–4–82 का स्तर	1982–83		1983–84 का लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धि	
1	कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या ..	लाख सं0	21.20	5.31	5.56	5.31
2	अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभान्वित परिवार	लाख सं0	4.84	2.70	2.37	2.70
3	अनुदान की धनराशि	लाख रु0	9973.85	7080.00	6545.21	7080.00

गुणात्मकता में सुधार:—

इस वर्ष कार्यक्रम की गुणात्मकता में सुधार के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि लाभार्थियों का चयन खुली प्रक्रिया द्वारा किया जाय जिससे सही व्यक्ति का चुनाव हो । चुने गए लाभार्थियों की सूची ग्राम प्रधानों तथा विकास खण्डों में उपलब्ध रखने तथा विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

लाभार्थियों के सही चयन के अतिरिक्त उचित प्रोजेक्ट के चयन पर भी बल दिया गया है । क्षेत्रों के परम्परागत तथा लाभप्रद आर्थिक कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त कार्यक्रमों से लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके । यह निर्णय लिया गया है कि लाभान्वित होने वाले 600 परिवारों में से 200 परिवारों को उद्योग-सेवा-व्यवसाय (आई0एस0बी0) सेक्टर से लाभान्वित किया जाय । लाभार्थियों तथा लाभान्वित परिवारों की सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

सत्यापन एवं अनुश्रवण:—

अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि लाभान्वित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करें। इस कार्यक्रम में इस वर्ष एक नयी एवं महत्वपूर्ण बात यह जोड़ी गयी है कि क्रेडिट कैम्पस के आयोजन के साथ-साथ अनुश्रवण शिविरों का भी आयोजन किया जाय जिनमें पिछले वर्षों में लाभान्वित परिवारों के साथ सम्पर्क किया जाय तथा देखा जाय कि इस योजना से उनके आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है । अनुश्रवण शिविरों के मुख्यत: निम्नलिखित उद्देश्य है:—

(1) लाभार्थियों को दी गयी परिसम्पत्ति का सत्यापन ।
(2) लाभार्थियों की समस्याओं का निराकरण ।
(3) लाभार्थी को ऋण अदायगी के सम्बन्ध में शिक्षित करना तथा ऋण अदायगी का अनुश्रवण ।
(4) लाभार्थियों में इस कार्यक्रम के प्रति विश्वास एवं जागरूकता पैदा करना ।
(5) सफल लाभार्थियों का प्रदर्शन तथा आस-पास के गांवों में इस कार्यक्रम का बृहत प्रचार ।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम:—

यह कार्यक्रम दिसम्बर, 1980 से प्रारम्भ किया गया । कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है । योजना के सम्पूर्ण व्यय में 50 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार का है । वर्ष 1982–83 में इस कार्यक्रम हेतु कुल 7026 लाख रु0 आवंटित था जिसके द्वारा 562.08 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य प्रस्तावित था । वर्ष 1983–84 में इस कार्यक्रम हेतु 6880 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है तथा 550 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है । लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नलिखित है:—

क्र0सं0	मद	इकाई	1982–83		1983–84 का लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धि	
1	प्राविधानित धनराशि	लाख रु0	7026.00	4502.60 (अवन्तिम)	6880.00
2	रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	562.08	448.46	550.00

कार्यान्वयन व्यवस्था :—

भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तर से सम्बन्धित विभागों को सीधे धनराशि न देकर सम्पूर्ण धनराशि जिला ग्राम्यम्य विकास अभिकरणों को आवंटित कर दी गयी है । धनराशि का आवंटन जनपदों में सीमान्त कृषकों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथाथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए किया गया है । पर्वतीय क्षेत्र इस नियम के अपवाद हैं क्योंकिकि वहां की विशिष्ट समस्यायें हैं ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण नियम यह शिथिल किया गया है कि अब श्रम व सामग्री का अनुपात 60 : 40 प्रत्येक क प्रोजेक्ट के लिये अलग-अलग न होकर सम्पूर्ण जनपद के लिये करना होगा । इस छूट से अब अनेक ऐसे कार्यक्रम लिये जा सकेंगे जोगो जनपदों के लिये आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिये श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60 : 40 देने के कारणण नहीं लिये जा रहे थे ।

जनपदों में कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से सम्पादित करने के लिये प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स बनाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें में प्रोजेक्ट के स्थल, उसकी लागत, श्रम-साः ग्री अनुपात तथा समय-बद्धता निर्धारित हों । लिये जाने वाले कार्यों का निर्णय वर्ष केके प्रारम्भ में "शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्" के अन्तर्गत व र लेने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिससे पूर्ण वर्ष तदर्थ निर्णयों के आधार पर र कार्य स्वीकृत होते रहे ।

जनपद स्तर पर आवंटित धनराशि से किये जाने वाले कार्यों में से भारत सरकार ने दो मदों म निम्नानुसार व्यय को अनिवार्यय कर दिया है:—

1—सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत व्यय इस मद म हो ।

2—इसी प्रकार जनपद स्तर पर आवंटित धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत व्यय ऐसे विशिष्ट कार्यों पर किया जायय जिनका सीधा लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पहुंचे ।

———

भूमि सुधार एवं भूमि आवंटन

सूत्र संख्या 4--कृषि योग्य भूमि को हदबन्दी लागू हो। तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से संब्बंधित रिकार्डों को एकत्र कर पूरे तौर से दुरुस्त किया जाये तथा हदबन्दी की सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहीनों के बीच किया जाये।

1-- हदबन्दी की सीमा से अधिक भूमि का बटवारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के बीच किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 प्रदेश में 8 जून, 1973 से लागू किया गया एवं यह अनुमान था कि लगभग 2.50 लाख एकड़ भूमि इस अधिनियम के कार्यान्वियन से प्राप्त होगी।

2--उक्त अधिनियम को सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के फलस्वरूप मार्च, 1983 तक 2,65,368 एकड़ भूमि राज्य में निहित हुई जिसमें से 2,38,294 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया। प्रदेश के 1,95,574 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि मिल चुकी है जिसमें 1,44,803 लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

3--वर्ष 1982-83 में 4,831 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था एवं भूमि आवंटन से 5,106 भूमिहीन खेतिहर मजदूर लाभान्वित हुए जिसमें 4,219 आवंटी अनुसूचित जाति/जनजाति के थे।

4--सीलिंग भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 29,069 भूमि आवंटियों को 88.69 लाख रुपया बांटा गया जिसमें 17,277 लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के थे, जिन्हें 49.46 लाख रूपया वितरित किया गया। वर्ष 1983-84 में 25,000 भूमि आवंटियों में 98.00 लाख रुपये बांटने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित इस योजना में 1000 रु0 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता देने का प्राविधान है।

5--सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकांश अवशेष कार्य विवादित/न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण लम्बित है। वादों के शीघ्र निस्तारण के समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। वादों के निस्तारण से जैसे-जैसे भूमि मिलती जायेगी उसका आवंटन किया जाता रहेगा। भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का मासिक/त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि लक्ष्य पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

6--हदबन्दी से संबंधित 24,222 ग्रामों में से 23,700 ग्रामों के रिकार्ड दुरुस्ती का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के 23 जिलों के 1668 ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रियाओं हेतु अधिसूचित है जिनमें से 863 ग्रामों में अभिलेखों की दुरुस्ती की जा चुकी है॥

न्यूनतम मजदूरी

सूत्र संख्या 5—कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जाये और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाये ।

1—कृषि कार्य में नियोजित वयस्क कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार ने दिनांक 9 जनवरी, 1981 से मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की है । प्रदेश को चार सम्भागों में बांटते हुए मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नवत निर्धारित की गयी हैं:—

1—पूर्वी सम्भाग	6.30 रु0 प्रतिदिन या	169 रु0 प्रतिमास
2—मध्य तथा बुन्देल खण्ड सम्भाग	7 रु0 प्रतिदिन या	182 रु0 प्रतिमास
3—पश्चिमी सम्भाग	8.50 रु0 प्रतिदिन या	221 रु0 प्रतिमास
4—पर्वतीय सम्भाग	8.00 रु0 प्रतिदिन या	208 रु0 प्रतिमास

2—उपरोक्त दरों के प्रभावी प्रवर्तन के लिये राज्य सरकार ने श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों के अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी कृषि/पंचायत/सहकारिता को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत "निरीक्षक" के अधिकार प्रदान कर दिये हैं ।

3—कृषि कार्य में नियोजित श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 1982 से एक मास के लिये तथा पुनः दिनांक 15 नवम्बर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक विशेष अभियान चलाये गये जिसका परिणाम अत्यन्त संतोषजनक रहा । जैसा कि निम्नलिखित विवरण से विदित होगा:—

	वर्ष 1981–32 की उपलब्धि	वर्ष 1982–83 की उपलब्धि
1—निरीक्षणों की संख्या ..	18046	72653
2—दायर किये गये निदेश वाद की संख्या	1703	2633
3—दायर किये प्राभियोजन की संख्या	23	89

4—वर्ष 1983–84 में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाये जाने में और अधिक प्रगति लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को यह आदेश भेजे हैं कि प्रत्येक निरीक्षक माह में कम से कम 5 तथा वर्ष में 60 निरीक्षण अवश्य करें ।

बन्धुवा मजदूरों का पुनर्वासन

सूत्र संख्या–6––बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन की व्यवस्था की जायें

1––वर्ष 1976 में बाण्डेड लेबर सिस्टम एबालीशन ऐक्ट लागू होने के उपरान्त राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में बंधुवा श्रमिकों का सत्यापन किये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों के माध्यम से एक सघन सर्वेक्षण कराया और जो बंधुवा श्रमिक सत्यापित किये गये उन्हें तत्काल अवमुक्त कराया गया। उनके पुनर्वासन की योजना वर्ष 1976–77 से ही प्रारम्भ कर दी गयी।

2––प्रारम्भ में बंधुवा श्रमिकों की पुनर्वासन योजना का कार्य भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 50 प्रतिशत समतुल्य अनुदान से पर्वतीय क्षेत्रों के जिला देहरादून, उत्तरकाशी तथा टेहरी गढ़वाल में किया गया। बंधुवा श्रमिकों की पुर्नवासन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बंधुवा श्रमिक को 4000 रुपये तक की पुनर्वासन सहायता "वस्तु", के रूप में दी जाती है। यह सहायता उन्हें पशुपालन, कृषि एवं कुटीर उद्योग आदि के लिय किस्त के रूप में दी जाती है। उक्त 4000 रुपये की सहायता में 2,000 रुपये भारत सरकार का अंशदान तथा शेष 2,000 रुपय राज्यांश है।

3––पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 8055 सत्यापित एवं अवमुक्त बंधुवा श्रमिक पाये गये थे जिनमें देहरादून में 3391, उत्तरकाशी में 3281 तथा टेहरी गढ़वाल में 1383 बन्धुवा श्रमिक थे। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग थे।

पर्वतीय क्षेत्रों के सभी 8055 बंधुवा श्रमिकों को दिनांक 31 मार्च, 1983 तक पुनर्वासित कर दिया गया। विवरण निम्नवत् है:––

वर्ष	पुनर्वासित बंधुवा श्रमिकों की संख्या	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)
1980–81 तक	2286	91.06
1981–82	1831	89.138
1982–83	3938	123.165
योग ..	8055	303.363

4––पर्वतीय क्षेत्र के अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र में 589 बंधुवा श्रमिक सत्यापित किये गये जिसमें से इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के बंधुवा श्रमिकों की पुनर्वासन योजना भारत सरकार से प्राप्त 50 प्रतिशत समतुल्य अनुदान से चलाई जा रही है। वर्ष 1981–82 में 38 बंधुवा श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया, जिसमें 4.19 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1982–83 में 311 बन्धुवा श्रमिक पुनर्वासित किये गये जिसमें 3.796 लाख रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार मैदानी क्षेत्र के 349 बंधुवा श्रमिकों के पुनर्वासन पर 7.986 लाख रुपये का व्यय किया गया।

5––शेष 240 बंधुवा श्रमिकों में से 143 अन्य प्रदेश के थे जहां वे चले गये तथा 36 ऐसे हैं जो 'पुनर्वासन के लिये उपलब्ध नहीं है अथवा उनको सहायता की आवश्यकता नहीं है।

शेष 61 बंधुवा श्रमिकों को वर्ष 1983–84 में पुनर्वासित करना है। इनका विवरण निम्नवत् है:––

1––बांदा (मानिकपुर के अतिरिक्त)	13
2––मिर्जापुर	22
3––फतेहपुर	19
4––हमीरपुर	2
5––रायबरेली	5
योग ..	61

उपर्युक्त 61 का 50 प्रतिशत अर्थात् 31 भविष्य में सत्यापित होने वाले श्रमिकों को आधार मानकर कुल 92 श्रमिकों के पुनर्वासन का लक्ष्य वर्ष 1983–84 में रखा गया है।

6––उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में 1983–84 में पुनर्वासन हेतु कोई बन्धुवा श्रमिक शेष नहीं है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विकास

सूत्र संख्या 7–अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास से सम्बद्ध कार्यों में तेजी लायी जाये ।

(क) अनुसूचित जाति का विकास :—

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ही नहीं बल्कि इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भी अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक है । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2. 34 करोड़ है । अनुसूचित जातियों की यह जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 21 प्रतिशत से भी अधिक है और पूरे देश की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भी लगभग 25 प्रतिशत है । इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लगभग 48 लाख परिवार हैं जिनमें से 1980–81 के पूर्व लगभग 30 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे ।

छठीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व में शासकीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यत: शैक्षिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता रहा है और अनुसूचित जातियों को शासन द्वारा चलायी गयी सर्वांगीण विकास की योजनायें, विशेषकर आर्थिक विकास की योजनाओं का अपेक्षित लाभ प्राप्त न हो सका जिसके कारण वे विकास की गति में सामान्य वर्गों में काफी पीछे रह गये । अनुसूचित जातियों के सामाजिक पिछड़ेपन का मूल कारण उनका आर्थिक पिछड़ापन ही है । अत: अनुसूचित जातियों को जनजीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की उपरोक्त बृहद् जनसंख्या तथा उनके अत्याधिक पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजनाओं का लाभ उन्हें इस प्रकार उपलब्ध कराया जाय कि वे विकास की गति में समान स्तर तक पहुंच जाये । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार 2 अक्तूबर, 1980 से अनुसूचित जातियों के विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से निम्नांकित लक्ष्यों के साथ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वियन कर रही है:—

(1) अनुसूचित जातियों के 50 प्रतिशत अर्थात् 15 लाख परिवारों को छठीं पंचवर्षीय योजना काल 1980–85 के अन्त तक आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं द्वारा गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जाय ।

(2) अनुसूचित जातियों के शैक्षिक स्तर में गैप को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त कर दिया जाय ।

(3) अनुसूचित जाति के लोग प्राय: विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित होते हैं जो सामान्यत: प्रतिष्ठित भाग से अलग समझे जाते हैं और इन क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं का अभाव रहता है, अत: अनुसूचित जातियों की बस्तियों/ उनके निवास क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं की कमी को छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त कर दिया जाय ।

(4) अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक पिछड़े वर्गों जैसे सफाई मजदूर, अस्वच्छ पेशों में लगे लोग, अनुसूचित जातियों के ऐसे लोग जो विमुक्त एवं अस्थिरवासी जाति के हैं, बंधुवा मजदूरों, स्त्रियों एवं बच्चों इत्यादि के विकास पर विशेष बल दिया जाय ।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शासन द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि विभिन्न विकास विभागों द्वारा जो विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, उनके पिछड़ेपन तथा योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जातियों के लिये वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों को मात्राकृत किया जाय । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शासन द्वारा गरीबी निवारण के लिये चलाई जा रही योजनाओं, ग्रामीण तथा क्षेत्रीय विकास की योजनाओं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजनागत परिव्ययों का बड़ा अंश अनुसूचित जातियों पर व्यय के लिये मात्राकृत किया जा रहा है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 626. 43 करोड़ रुपये की धनराशि अनुसूचित जातियों के विकासार्थ मात्राकृत की गई है । वर्ष 1979–80 में अनुसूचित जातियों पर केवल 23. 24 करोड़ रुपये व्यय किया गया था जबकि वर्ष 1980–81 में 55. 04 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1981–82 में 86. 63 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 1982–83 में अनुसूचित जातियों के विकासार्थ राज्य योजनाओं में 121. 06 करोड़ रुपये की धनराशि मात्राकृत की गई थी और इस वित्तीय वर्ष में 121. 26 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की योजनाओं पर व्यय करने के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान करती है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के प्रारम्भिक वर्ष अर्थात् 1980–81 में राज्य सरकार को 22. 06 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी जब कि वर्ष 1981–82 में 28. 21 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1982–83 में 29. 56 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई इस धनराशि को भी विभिन्न विभागों, जैसे ग्राम विकास विभाग, पशुधन विभाग, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, निर्यात प्रोत्साहन विभाग आदि द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास योजनाओं पर व्यय किया जा रहा है ।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये जो विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनका अन्तर्निहित मूल उद्देश्य यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना काल 1980–85 के अन्त तक प्रदेश के अनुसूचित जातियों के 50 प्रतिशत अर्थात् पन्द्रह लाख परिवारों को आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के द्वारा गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन द्वारा कृषि, पशुपालन तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों से संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण/अनुदान की सुविधा दी जा रही है । सामान्यत: अनुदान की धनराशि शासकीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है और ऋण की धनराशि व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है । अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिये शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से विशिष्ट योजनायें भी चलाई गयी है ।

इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के निवास क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जैसे पेय जल, पुष्टाहार, ग्रामीण आवासीय व्यवस्था आदि के अतिरिक्त सड़कों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति

की व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं में वर्ष 1982–83 में निर्धारित लक्ष्य, उनकी पूर्ति तथा 1983–84 के लिये निर्धारित लक्ष्यों तथा उन योजनाओं के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1983 तक की स्थिति निम्नांकित है:—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1982–83 का लक्ष्य	1982–83 में पूर्ति	योजना के प्रारम्भ से क्रमिक प्रगति	1983–84 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जातियों की बस्तियों का विद्युतीकरण ..	2700	3,834	22,642	1,888
2	अनुसूचित जातियों की बस्ती में पेयजल की व्यवस्था—				
	(क) हैण्ड पम्प	780	2,503	7,033	..
	(ख) कुएं	4,000	3,192	46,427	1,364
	(ग) डिग्गियां	200	498	2,691	500
3	आवासीय भू-स्थलों का आवंटन	52,000	1,03,543	12,93,723	60,000
4	ग्रामीण आवासों का निर्माण	13,500	18,293	59,031	5,200
5	गरीबी के रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के परिवारों को लाभान्वित	4,50,000	4,14,730	9,25,085	4,50,000

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास तथा समाज कल्याण के लिये उपलब्ध कराई जा रही महत्वपूर्ण सुविधायें निम्नवत् हैं:—

1—20,000 रुपये तक की लागत की स्वयं रोजगार की योजनाओं में 50 प्रतिशत अथवा 3,000 रुपये तक, जो भी कम हो, अनुदान की सुविधा 16,000 रु0 से ऊपर लागत की योजनाओं में योजना की लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपये मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर।

2—अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले प्रदेश के 400 विकास खण्डों में:—
(अ) 10,000 रुपये तक की दुकान का आवंटन जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान होगा।
(ब) 10,000 रु0 तक की कृषि योग्य भूमि का आवंटन जिसमें 5,000 रु0 अनुदान होगा।
(स) शासन की ओर से सामूहिक लघु सिंचाई योजनायें।

3—कक्षा 9 तथा 10 के अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति।

4—अनुसूचित जातियों के गरीब लोगों की पुत्रियों की शादी हेतु 5,000 रु0 तक अनुदान।

5—अनुसूचित जाति के माता/पिता को अपनी पुत्री को स्कूल पढ़ने भेजने पर 15 रुपये प्रतिमाह भुगतान।

6—प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों का निर्माण।

7—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को त्वरित रूप से तथा आसानी से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि को छात्र के सेविंग बैंक एकाउन्ट में सीधे जमा कराने की व्यवस्था।

8—विभाग द्वारा निराश्रित महिलाओं तथा विकलांगों के पुनर्वासन हेतु कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई है। जिसके अतिरिक्त, विकलांगों को रोजगार में लगाने हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप गत वित्तीय वर्ष में 100 विकलांगों को रोजगार में लगाया गया।

9—पुष्टाहार कार्यक्रम अब तक 88 विकास खण्डों में भारत सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों के 0–6 वर्ष के बच्चों के लिए पुष्टाहार एवं अनौपचारिक शिक्षा का प्रबन्ध आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। इन बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि आदि का कार्यक्रम इसी योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ ही बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान राज्य सरकार का प्रतिष्ठित कार्यक्रम है और इसके कार्यान्वयन के लिये सरकार शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करती है।

प्रधान मंत्री जी के नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या–7 में अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों में तेजी लाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण जिला, मण्डल, विभागाध्यक्ष तथा शासन के उच्चतम स्तर पर प्रत्येक माह किया जाता है। जिला स्तर पर अनुसूचित जाति के कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अपर जिला विकास अधिकारियों (हरिजन कल्याण) के कार्यालय 1980–81 में ही स्थापित किये जा चुके हैं। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति द्वारा तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय अधिकारियों की समिति द्वारा प्रत्येक माह किया जाता है। शासन स्तर पर इस प्लान के सामान्य अनुश्रवण का दायित्व नियोजन विभाग तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को दिया गया है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्यक्रम:—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जन-जातियों के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इस निगम की स्थापना 2 अगस्त, 1975 को हुई है। यह निगम मैदानी क्षेत्र के जनपद खीरी, गोण्डा, बहराइच, गोरखपुर, बिजनौर में निवास करने वाली अनुसूचित जन-जातियों एवं दक्षिणीपूर्वी क्षेत्र के इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा, ललितपुर, झांसी, जनपदों में निवास करने वाले आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का कार्य करता है।

(1) समन्वित विकास परियोजनाओं का संचालन:—

यह निगम खीरी में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी एवं गोण्डा में थारु विकास परियोजना, गोण्डा का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से इन जनपदों के अनुसूचित जन-जातियों के लिए परिवारोन्मुखी एवं क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इन कार्यों के लिये अब तक रु0 165.96 लाख प्राप्त हुए हैं और उसमें से रु0 146.30 लाख का उपभोग किया गया है। 10704 जनजाति परिवार लाभान्वित हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों से 229, परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु लाभान्वित किये गये हैं।

(2) जनपद गोरखपुर, बहराइच, बिजनौर के अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास:—

इन जनपदों में जन-जातियों के आर्थिक विकास हेतु सामग्री के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि एवं बागवानी व कुटीर उद्योग के विकास के लिए निगम अनुदान वितरित करता है। इस निगम की स्थापना से अब तक इन कार्यों के लिये रु0 34.33 लाख प्राप्त हुए हैं और रु0 19.80 लाख का उपभोग किया गया है जिससे 1148 जनजाति परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह कार्य जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से होते हैं।

(3) प्रौढ़ शिक्षा:—

अनुसूचित जनजाति के प्रौढ़ व्यक्तियों के शिक्षा प्रसार के लिए रु0 0.134 लाख प्राप्त हुए थे। इस धन से खीरी एवं गोण्डा परियोजनाओं में 240 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया है।

(4) प्राइमरी शिक्षा:—

प्राइमरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खीरी एवं गोण्डा परियोजनाओं के लिये रु0 1.30 लाख उपलब्ध थे इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। इसका उपयोग कक्षाओं के संचालन एवं निःशुल्क पौष्टिक आहार की व्यवस्था के लिए किया गया। पौष्टिक आहार आश्रम पद्धति के विद्यालयों एवं छात्रावासों में दिया गया है जिन्हें सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी चलाती है।

(5) आदिवासियों के आर्थिक विकास के कार्यक्रम:—

आदिवासियों के आर्थिक विकास हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर कुटीर उद्योग तथा कृषि एवं बागवानी के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के लिये निगम को रु0 21.00 लाख उपलब्ध कराये गये प्राप्त हुए हैं और उसमें से रु0 14.27 लाख का उपभोग किया गया है जिससे 1645 परिवारों को लाभ पहुंचा है। यह कार्यक्रम अपर जिला विकास अधिकारियों के माध्यम से संचालित किये जाते हैं। अब निगम ने सर्वेक्षण कराकर चार समन्वित विकास परियोजनायें भी तैयार की हैं जिनमें से एक जनपद इलाहाबाद, दो जनपद मिर्जापुर व एक जनपद बांदा के लिये है। यह परियोजनायें शासन के विचारार्थ हैं।

(6) अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों के उत्थान हेतु संचालित अन्य कार्यक्रम:—

इन जातियों को बड़े ठेकेदारों के चंगुल से बचाने एवं उचित मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से यह निगम लघु वन उपजों के संग्रहण का कार्य करता है तथा उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें भी उपलब्ध कराता हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जनपद खीरी, गोण्डा, मिर्जापुर एवं बांदा में आदिवासी बाजार स्थापित किये गये हैं। खीरी तथा गोण्डा जिलों में कृषि उपज लाही तथा धान का विपणन भी निगम कर रहा है। खीरी जनपद में लाही तथा धान की प्रोसेसिंग की सुविधा भी स्थापित की गई है। कृषि कार्यों में सहायता के लिए ट्रैक्टर भी कम किराये पर जन-जातियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(7) अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम:—

यह निगम मिर्जापुर में एक हाईड्रेटेट लाइम फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रहा है जिससे काफी संख्या में आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। इसी प्रकार के संयंत्र बांदा जनपद में भी लगाने का कार्यक्रम है। अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षित नवयुवकों को शासकीय अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिये एक कोचिंग सेंटर चलाने की योजना भी शासन के विचाराधीन है।

(8) विमुक्त जातियों का आर्थिक विकास:—

विमुक्त जातियों के आर्थिक विकास के लिये रु0 6.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई, इस धन से बदायूं जनपद में एक सिलाई एवं कढ़ाई केन्द्र तथा एक टाइपिंग स्कूल खोलकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

(9) शोध एवं प्रशिक्षण तथा सर्वेक्षण कार्यक्रम:—

जन-जातियों का सर्वेक्षण कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें तैयार करने के लिये एक शोध केन्द्र की व्यवस्था एवं जन-जातियों की संस्कृति के सही मूल्यांकन की दृष्टि से एक संग्रहालय की स्थापना भी की जा रही है। एक पुस्तकालय की स्थापना भी की गई है। जिसमें जन-जातियों से सम्बन्धित साहित्य एकत्र किया गया है। इसके लिये वर्ष में रु0 6.40 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसमें से रु0 5.03 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

पेयजल

सूत्र सं0 8--दूरदराज इलाकों में बसे सभी ग्रामों में पीने के पानी का प्रबन्ध हो ।

पेयजल हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध एवं यथेष्ट मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये शासन प्रयत्नशील है। पेयजल की व्यवस्था मुख्यतः दो विभागों द्वारा की जा रही है। जल निगम ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहा है तथा ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में कुओं/डिग्गियों का निर्माण कर रहा है।

जल निगम द्वारा पेयजल व्यवस्था:--

वर्ष 1971-72 में प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 35,506 ग्राम अभावग्रस्त पाए गए थे। अभावग्रस्त ग्राम उन्हें माना गया था जिनमें पानी का स्रोत 1.6 किलोमीटर से दूर अथवा 100 मीटर से अधिक ऊंचाई/निचाई पर स्थित है। बहुत से ग्रामों का पानी खारा पाया गया अथवा उनमें क्लोरोफाइड की मात्रा अधिक पाई गयी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस समस्या के निदान हेतु जल निगम द्वारा पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति का कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष 1982-83 में भारत सरकार के निर्देश पर पाइप लाइन द्वारा जल सम्पूर्ति के स्थान पर बड़े आकार के हैण्ड पम्प लगाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। अतः अब पुरानी अवशेष परियोजनाओं को छोड़कर समस्त नए ग्राम भारत सरकार के निर्देश पर हैण्ड पम्प द्वारा ही आच्छादित किए जा रहे हैं।

मार्च 1982 तक जल निगम द्वारा कुल 13070 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी जिसमें 8782 ग्राम समस्याग्रस्त थे। वर्ष 1982-83 में 5619 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार मार्च 1983 तक कुल 14401 समस्याग्रस्त ग्राम पेय जल सुविधाओं से आच्छादित किए जा चुके हैं। वर्ष 1983-84 में 8000 समस्याग्रस्त गांवों में बड़े आकार के हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार जिन गांवों में हैण्ड पम्प लगाए जाऐंगे उनकी हरिजन बस्तियों में भी कम से कम एक हैण्ड पम्प अवश्य लगाये जायेंगे। भारत सरकार निर्देशानुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक समस्याग्रस्त गांव में कम से कम एक पेयजल स्रोत उपलब्ध करा देने का लक्ष्य है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था—

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में कूप निर्माण करके तथा पहाड़ी क्षेत्र की बस्तियों में डिग्गियों का निर्माण करके पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।

योजना के प्रारम्भ से मार्च 82 तक की उपलब्धि 1982-83 का लक्ष्य तथा उपलब्धि एवं 1983-84 के लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है:--

कार्यक्रम		इकाई	1.4.82 तक की उपलब्धि	1982-83		1983-84 लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धि	
1		2	3	4	5	6
1	कुएं	संख्या	43235	4200	4195	1364
2	हैण्ड पम्प	संख्या	4530	780	3026	..
3	डिग्गी	संख्या	2193	433	736	500

आवास स्थल एवं आवास

सूत्र सं0 9 -ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है, उनको इसके लिए जमीन दी जाये और उनके लिये मकान बनाने में सहायता से सम्बद्ध जो कार्यक्रम हैं, उनका विस्तार किया जाये।

शासन समस्त आवास हीनों को आवास स्थल तथा आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना अपना नैतिक दायित्व समझता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थल आवंटन का कार्य राजस्व विभाग द्वारा तथा आवास निर्माण का कार्य ग्राम्य विकास विभाग तथा हरिजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

आवास स्थल आवंटनः—

ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जन-जाति, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा निर्बल वर्ग के लोगों को आवास स्थल आवंटित करने का कार्यक्रम वर्ष 1972 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके पास अपना कोई निजी मकान नहीं है अथवा मकान में रहने की जगह अपर्याप्त है, आवास हेतु भूमि आवंटित की जाती है। इसके लिये सामान्यतया ग्राम्य समाज की भूमि दी जाती है, किन्तु जहां ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां खातेदारों की भूमि अध्याप्त करके दी जा रही है जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।

मार्च 1982 तक कुल 1459587 आवास स्थल आवंटित किये गये जिसमें 1190180 आवास स्थल अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्तियों को आवंटित किये गये। वर्ष 1982–83 में 70 हजार लक्ष्य के विपरीत 151137 आवास स्थल आवंटित किये गये जिसमें से 103543 आवास स्थल अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को दिये गये। वर्ष 1983–84 में कुल 60 हजार आवास स्थल आवंटित करने का लक्ष्य है जिसमें से 46 हजार आवास स्थल अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को दिये जायेंगे। राजस्व परिषद् द्वारा पात्र परिवारों की अद्यावधिक सूची तैयार करने हेतु पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।

आवास निर्माणः—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र लोगों को आवास बनाने हेतु वित्तीय सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है। आवास निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्र में 2000 रु0 अथवा मकान की लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3000 रु0 अथवा मकान की लागत का 75% जो भी कम हो, अनुदान सामग्री के रूप में दिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा श्रम के रूप में लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आवास स्थल को विकसित करने हेतु 150 रु0 प्रति खण्ड पर व्यय किए जाने का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मार्च 1982 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 41375 आवास निर्मित कराए गए जिसमें से 35566 आवास अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों के लिए थे। वर्ष 1982–83 में 18,183 आवास निर्मित किए गए जिसमें से 16614 आवास अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आवंटित किए गए। वर्ष 1983–84 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 5744 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आवास स्थल आवंटन तथा आवास निर्माण की अब तक की उपलब्धि तथा 1983–84 का लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:—

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	इकाई	मार्च 1982 तक की उपलब्धि	1982–83		1983–84 का लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धि	
1	आवास स्थल आवंटन					
	क—कुल	(सं0)	1459587	70000	151137	60,000
	ख—अनुसूचित जाति/जन-जाति ..	(सं0)	1190180	52500	103543	46000
2	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण					
	क—कुल निर्मित आवास ..	(सं0)	41375	15215	18183	5744
	ख—अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए ..	(सं0)	35566	11597	16614	4287

नगर विकास मलिन बस्तियों का सुधार

सूत्र सं0 10–झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के वातावरण में सुधार लाए जाएं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये गृह निर्माण कार्यक्रम को लागू किया जाय और जमीन की कीमतों में जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है उसे रोकने के लिए उपाय किये जायं।

1—मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना—

प्रदेश के शहरीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस समस्या को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972–73 में मलिन बस्तियों के पर्यावरण सुधार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से यह कार्यक्रम स्टेट सेक्टर में स्थानान्तरित कर दिया गया। वर्ष 1981–82 के अन्त तक 1971 के जनगणना के अनुसार प्रदेश के ऐसे 12 नगरों में यह योजना लागू रही, जिनकी जनसंख्या दो लाख से अधिक थी। अब इस कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "छोटे एवं मध्यम नगरों की एकीकृत विकास योजना" के अन्तर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले 23 नगरों को सम्मिलित कर लिया गया है।

2—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में नाली, खड़ंजा, सीवर, पानी की लाइन, बिजली के खम्भे, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानगृह आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस कार्यक्रम द्वारा मार्च, 1982 तक मलिन वस्तियों की 8,92,800 जनसंख्या को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1982–83 में 1,69,800 जनसंख्या लाभान्वित करने का लक्ष्य था, इसके विपरीत 1,89,263 लोगों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1983–84 में इस योजना द्वारा 1,75,000 जनसंख्या को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

3—समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना:—

इस योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तथा औद्योगिक श्रमिकों को, जिनकी मासिक आय 350 रु0 प्रतिमास से कम है, स्थानीय निकायों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों के माध्यम से मकान बनवा कर आसान किस्तों पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इन आवासों के निर्माण हेतु मकान बनाने वाली एजेन्सियों को राज्य सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं सामान्य बीमा निगम से अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत मार्च 1982 के अन्त तक 99,600 आवास निर्मित किये गये। वर्ष 1982–83 में 22,946 आवास निर्माण का लक्ष्य था जिसके विपरीत 19,292 आवास निर्मित कराये गये। वर्ष 1983–84 में इस वर्ग के लिये 27000 आवास निर्मित कराने का लक्ष्य है।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार कार्यक्रम तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई अब तक की प्रगति तथा वर्ष 1983–84 के लक्ष्य का विवरण निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	इकाई	31–3–82 तक की उपलब्धि	1982–83		1983–84
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार	लाभान्वित जनसंख्या	8,92,800	1,69,800	1,89,263	1,75,000
2	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण	संख्या	99,600	22,946	19,292	27,000

विद्युत् उत्पादन में वृद्धि

सूत्र संख्या 11--बिजली के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाय । बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाय और सभी गांवों में बिजली पहुंचायी जाये ।

1--औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में विद्युत् की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रदेश में योजना काल के प्रारंभ से ही बिजली को उपलब्धता मांग को दृष्टि में रखते हुए कम रही है। इसका प्रमुख कारण सेक्टर में पूंजी निवेश की कमी रही है। देश का सम्पूर्ण जनसंख्या का 16.2 प्रतिशत इस प्रदेश में रहते हैं लेकिन देश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में 11.8 प्रतिशत योगदान ही इस प्रदेश का है। आज से लगभग 36 वर्ष पूर्व 1947 में प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाइयों की कुल अधिष्ठापित क्षमता केवल 157 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 3770 मेगावाट हो गयी है।

2--छठी पंचवर्षीय योजना में 2144 मेगावाट की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम दो वर्षों में 344 मेगावाट क्षमता का सृजन हुआ तथा 200 मेगावाट क्षमता की ओबरा की अन्तिम इकाई मार्च, 1982 में रोल की जा चुकी है। शेष क्षमता का सृजन जल विद्युत् की यमुना द्वितीय चरणखोट्टी (120 मेगावाट) व मनेरी भाली प्रथम चरण (90 मेगावाट) तथा तापीय विद्युत् की परिच्छा (220 मेगावाट) एवं आनपारा "ए" (630 मेगावाट) परियोजनाओं को पूरा करके किया जाना है। टांडा तापीय परियोजना से भी आंशिक लाभ (330 मेगावाट) इस अवधि में प्राप्त होने का लक्ष्य है। वर्ष 1983-84 में खोट्टी, मनेरी भाली तथा परिच्छा परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त आनपारा "ए" की प्रथम इकाई (210 मेगावाट) मार्च, 1984 में चालू हो जाने की आशा है। वर्ष 1983-84 में कुल 430 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य है।

3--विद्युत् गृहों की कुछ पुरानी मशीनें जीर्ण दशा में हैं अथवा उनमें स्थायी त्रुटियां आ गयी हैं। विद्युत् उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाए जाने के उद्देश्य से इन विद्युत् गृहों पर "मरम्मत एवं रिनोवेशन' का एक बृहत कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है इस कार्यक्रम पर लगभग 90 करोड़ व्यय किया जायेगा।

वर्ष 1982-83 में कुल 12528 मिलियन यूनिट विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य था जिसके समक्ष 12587मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। वर्ष 1983-84 में 13420 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1982 तक 47525 ग्रामों तथा 18858 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचायी गई। वर्ष 1982-83 में 4000 ग्रामों तथा 2700 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था जिसके समक्ष 5842 ग्रामों तथा 3834 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया इसके अतिरिक्त मार्च, 1982 तक 4,14,943 नलकूपों/पम्प सेटों को ऊर्जीकृत किया गया। वर्ष 1982-83 में 36000 नलकूपों/पम्प सेटों के उर्जीकरण का लक्ष्य था जिसके समक्ष 23923 नलकूपों/पम्प सेटों को उर्जीकृत किया गया।

विद्युत् कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछली उपलब्धियों तथा वष 1983-84 के लक्ष्यों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:--

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	इकाई	1-4-82 का स्तर	1982-83		1983 84
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	अधिष्ठापित क्षमता का सृजन ..	मेगावाट	3770	310	..	430
2	विद्युत उत्पादन ..	मि0यू0	..	12528	12587	13420
3	ग्रामों का विद्युतीकरण ..	संख्या	47525	4000	5842	3500
4	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	18858	2700	3834	1888
5	नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन	संख्या	4,14,943	36000	23923	36000

वन एवं वैकल्पिक ऊर्जा

सूत्र संख्या 12—वन रोपण कार्यक्रम को पूरी निष्ठा के साथ चलाया जाये, सार्वजनिक उद्यान एवं बागवानी तथा बायोगैस तथा ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोतों के विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाये ।

पर्याप्त वनों के बिना, जीवधारियों का जीवन सम्भव नहीं है । पिछले कुछ दशकों में कृषि के विकास, यातायात की सुविधाओं, उद्योगों में वृद्धि, नदी घाटी परियोजनाओं, खनन आदि के विकास के साथ-साथ एक ओर वनों का ह्रास हुआ तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल में कमी हुई । यहीं नहीं, जनसंख्या के दबाव एवं आर्थिक कारणों से वनों का नाश हुआ जिससे भूमि कटाव, बाढ़, आदि प्रकोपों के साथ-साथ परिस्थिति में भारी क्षति हुई है । अतः प्रदेश में वनों के महत्व एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, समस्त सामाजिक महत्व के वृक्षारोपण कार्यक्रमों एवं भूमि संरक्षण योजनाओं तथा राजकीय वनों में वना धारित विभिन्न औद्योगिक इकइयों के लिये कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन वानिकी योजनाओं को वर्ष 1982–83 से प्रधान मंत्री जी के नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, ताकि परिस्थिति को पूर्व अवस्था में लाने, पर्यावरण को सन्तुलित करने, जल एवं ऊर्जा श्रोत का संरक्षण करने, ग्रामीण जनता को ईंधन एवं लकड़ी, पशुओं के लिये चारा ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर सृजित करने आदि उद्देश्यों की पूर्ति करना सम्भव होगा तथा हरे-भरे वृक्ष प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जनसंख्या एवं औद्योगीकरण द्वारा नित्य प्रति दूषित हो रहे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होंगे । विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 की उपलब्धि एवं वर्ष 1983–84 के लक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार है :

सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 1982–83 के लक्ष्य	वर्ष 1982–83 की उपलब्धि	वर्ष 1983–84 के लक्ष्य
1	2	3	4	5
(1) सामाजिक वृक्षारोपण				
1—रोपित क्षेत्र	हेक्टर	41,000	39,600	42,000
2—रोपित पौधे	लाख में	590	584	643
(2) उत्पादन वानिकी वृक्षारोपण				
1—रोपित क्षेत्र	हेक्टर	16,130	16,540	15,130
2—रोपित पौधे	लाख में	295	295	203
(3) वृहद् वृक्षारोपण				
1—रोपित पौधे	लाख में	1,231	1,466	3,362
(4) कुल रोपित पौधे	लाख में	2,116	2,345	4,208
उपरोक्त वृक्षारोपण में से अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण				
1—वृक्षारोपण	हेक्टर	6,575	6,504	5,635
2—रोपित पौधे	लाख में	65.75	65.04	56.35

वर्ष 1983–84 में कार्यक्रम को और अधिक तत्परता से करने के लिये की गई व्यवस्थायें एवं किये गये नीति विषयक निर्णय:—

चूंकि वर्ष 1983–84 में वृक्षारोपण का कुल लक्ष्य इसके पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना निर्धारित है अतः एक निश्चित अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिये पहले से व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि लक्ष्य तत्परता पूर्वक प्राप्त किये जा सकेंगे । इसके लिये वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र के चयन एवं उनमें गड्ढे खुदान का कार्य पौध आपूर्ति हेतु नर्सरियों में पर्याप्त पौधों की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है । वृहद् वृक्षारोपण के लक्ष्य में वर्ष प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर नर्सरी स्थापित करने का निर्णय किया गया है । अगले 4–5 वर्षों में प्रत्येक न्याय पंचायत के अन्तर्गत नर्सरियां स्थापित कर ली जायेंगी । वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को तत्परता पूर्वक करने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 1982–83 में स्थापित वन चेतना केन्द्रों तथा राज्य कार्यालयों एवं विकास खण्ड मुख्यालयों में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किये गये । इन शिविरों के माध्यम से लगभग एक लाख व्यक्तियों को वृक्ष लगाने, उनके रख-रखाव करने विभागीय नर्सरियों से उनको पौधों की आपूर्ति करने कृषकों की आवश्यकतानुकूल भूमि आदि को ध्यान में रखते हुये प्रजातियों के चयन करने, आदि के संबंध में जानकारी दी गई । वृक्षों की महत्ता एवं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रदेश भर में, ग्राम स्तर पर लोगों में वृक्षारोपण हेतु जागृति पैदा करने के लिये व्यापक प्रचार किये जा रहे हैं । प्रतिमाह अरण्यक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है जिसमें वृक्षारोपण एवं वनों से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने के लिये विषय सामग्री प्रकाशित की जाती है ।

12 (ख) बायोगैस--

ऊर्जा के वकल्पिक स्रोत के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में वायोगैस/गोबर गैस संयंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गयी है । इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध रूप में वर्ष 1974–75 से प्रारम्भ किया गया । संयंत्रों की स्थापना में दो एजेन्सियां कार्यरत हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य सरकार का ग्राम्य विकास विभाग ।

प्रदेश में पशुओं की अधिक संख्या को दृष्टि में रखते हुये यहां पर वायोगैस/गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं । मार्च, 1982 तक प्रदेश में कुल 39030 वायोगैस संयंत्र लग चुके थे । वर्ष 1982–83 में कुल 14,000 के लक्ष्य के समक्ष 15113 वायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई । वर्ष 1983–84 में 12000 वायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

परिवार नियोजन

सूत्र संख्या 13—परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर सार्वजनिक अभियान के रूप में चलाया जाये :

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की पृष्ठ-भूमि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया है। इस कार्यक्रम के महत्व एवं उपादेयता से अब सभी लोग भली-भांति अवगत हो गये हैं। इस कार्यक्रम को जनसामान्य तक पहुंचाने तथा उनके द्वारा स्वेच्छया अपनाये जाने हेतु इसे युद्ध-स्तर पर कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों में दूरबीन विधि द्वारा महिला नसबंदी अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हो रही है। इसकी लोकप्रियता को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में कम से कम एक तथा आवश्यकतानुसार अधिक लेप्रोस्कोपों की व्यवस्था की गई है। इस विधि में पर्याप्त संख्या में डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा भविष्य की मांग को देखते हुए अधिक संख्या में डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 1982 तक 25.89 लाख स्टरलाइजेसन किये गये। वर्ष 1982–83 में 6.21 लाख स्टरलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया था जिसके समक्ष 4.30 लाख स्टरलाइजेशन किये गये। यद्यपि लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति नहीं की जा सकी किन्तु पूर्ति वर्ष 1981–82 की तुलना में दुगने से भी अधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :—

क्र0सं0	कार्यक्रम	इकाई	1–4–82 का स्तर	1982–83		1983–84 लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धि	
1	स्टरलाइजेसन	लाख सं0	25.89	6.21	4.30	8.49
2	लूप निवेसन	लाख सं0	20.80	2.61	2.74	4.70
3	सी0 सी0 यूजर्स	लाख सं0	4.02	5.01	4.82	2.32
4	ओरल पिल्स यूजर्स	हजार सं0	12	81	22	75

स्वास्थ्य

सूत्र संख्या 14—सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाया जाय तथा कुष्ट, टी० बी० और अन्धेपन को नियंत्रित करने के उपाय किये जायें ।

1—जन स्वास्थ्य प्रदर्शक योजना:

सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति यह है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जन सामान्य के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाया जाय, रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अभिरुचि पैदा की जाय तथा सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं को गांवों में ही उपलब्ध कराया जाय । इस दृष्टि से वर्ष 1977 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्यायों तथा सामान्य रोगों की रोकथाम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। योजना के अन्तर्गत सामान्यत: प्रत्येक एक हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य रक्षक (हेल्थ गाइड) का चयन किया जाता है। इस कार्यकर्ता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें औषधि पेटिका तथा प्राथमिक उपचार हेतु सामग्री प्रदान की जाती है ।

2—सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधायें :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उलब्ध कराने की दृष्टिकोण से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों तथा सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना की जा रही है। अब तक स्थापित केन्द्रों तथा वर्ष 1983-84 के लक्ष्य का विवरण निम्नवत् है :—

क्र० सं०	कार्यक्रम	इकाई	1-4-82 का स्तर	1982-83 लक्ष्य	1982-83 उपलब्धि	1983-84 लक्ष्य
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	संख्या	927	17	17	26
2	प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	संख्या	11192	1420	1420	1930
3	सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना ..	संख्या	81	96	81	165

3—राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण करके उन्हें निरन्तर औषधि देने तथा जटिल रोगियों को भर्ती करके उनके उपचार करने की व्यवस्था है। इन रोगियों को पुन: निर्माण शल्य द्वारा समाजोपयोगी बनाने का यत्न भी किया जाता है। इस रोग हेतु आवश्यक दवाइयां जैसे डेप्सो., लैम्प्रेन व रिफेपटी साइन, भारत सरकार से प्राप्त होती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। कुल 27 स्वैच्छिक संस्थायें कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में सेवारत हैं। कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों की प्रगति का विवरण निम्नवत है :—

क्र० सं०	कार्यक्रम	इकाई	1-4-82 का स्तर	1982-83 लक्ष्य	1982-83 उपलब्धि	1983-84 लक्ष्य
1	कुष्ठ नियंत्रण इकाइयां	संख्या	2821	75	56	29
2	सर्वेक्षित जनसंख्या	हजार सं०	34142	..	4233	..
3	नये खोजे गये रोगी/नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	हजार सं०	357	70	54	60
4	रोगमुक्त/रोग नियंत्रित रोगी	हजार सं०	..	..	24	35

4—राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त क्षय रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने हेतु क्षय रोगियों की खोज करना, रोग निरोधक टीके लगाना तथा रोगियों को उपचारित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश के

समस्त जनपद मुख्यालयों पर पूर्ण साज-सज्जा तथा स्टाफ से युक्त जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख मदों के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नवत् है :—

क्रम सं0	कार्यक्रम	इकाई	1982–83		1983–84
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	बी0 सी0 जी0 वैक्सिनेसन	हजार संख्या	2000	2360	2300
2	नये पंजीकृत रोगी	हजार सं0	150	179	188
3	नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	हजार सं0	..	176	..
4	रोग मुक्त रोगी	हजार स0	..	24	..

5—राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रमः—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय 36 जिला चिकित्सालयों, 4 मेडिकल कालेजों और 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्रोपचार सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। इनके अतिरिक्त 9 सचल दल भी नेत्रोपचार हेतु कार्यरत हैं। सीतापुर में एक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस कार्यक्रम के विभिन्न मदों की प्रगति एवं लक्ष्य का विवरण निम्नवत है :—

क्रम सं0	कार्यक्रम	इकाई	1982–83		1983–84
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	नेत्र चिकित्सा इकइयां	संख्या	21	21	12
2	कटरैक्ट आपरेशन	हजार सं0	222	124	195
3	अन्य आपरेशन	हजार सं0	..	99	..

मातृ एवं शिशु कल्याण

सूत्र संख्या 15—महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम में तेजी लाई जाय। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों विशेष रू से आदिवासी, पहाड़ी एवं पिछड़े इलाकों में रहने वालों के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम तीव्र गति से चलाए जायें

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख घटक पुष्टाहार है। पुष्टाहार कार्यक्रम शिक्षा विभाग, ग्राम्य विका विभाग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अलग-अलग कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इन विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जा र कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :—

शिक्षा विभाग :—

शिक्षा विभाग स्कूल जाने वाले 6–11 आयु वर्ग वाले बच्चों की दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चलाता है। बच्चों को वा भर में 200 दिन 308 कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभा पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कम जोर वर्ग के लोगों, नगरों की मलिन बस्तियों में रहने वाले 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्च गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पुष्टाहार उपलब्ध कराता है। 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को 200–300 कैलोरी तथ 8–12 ग्राम प्रोटीन एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को 500 कैलोरी एवं 25 ग्राम प्रोटीन प्रति दिन की दर से वर्ष में 30 दिन उपलब्ध कराये जाते हैं।

ग्राम्य विकास विभाग :—

ग्राम्य विकास विभाग विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम तथा व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों म महिला मण्डल तथा बालबाड़ी कक्षाओं के माध्यम से कार्यान्वित करता है। विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषक आहार का स्तर ऊंचा उठाया जाय। व्यवहारिक पुष्टाहार का क्रम का उद्देश्य यह है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के पोषक आहार का स्तर ऊंचा उठाया जाय। इस कार्यक्र के अन्तर्गत महिलाओं को पौष्टिक आहार की आवश्यकता तथा उसे सरल एवं सस्ते मूल्य पर प्राप्त करने की विधि, बच्चों क सही पालन पोषण एवं उनकी मूल भूत स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है तथ इसके लिये उन्हें मानसिक रूप से तयार किया जाता है। महिलाओं को संगठित करके उनके परिवार की आय बढ़ाने के लियें लाभप्र उद्यमों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे अपने तथा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अपने दायित्व को निभा सकें। इस कार्यक्रम क लिये लक्षित परिवारों को गृह वाटिका स्थापित करने, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन आदि के लिये आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराय जाती है।

समाज कल्याण विभाग :—

समाज कल्याण विभाग पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित कर रह है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 पैसे प्रति बालक के लिये प्रतिदिन की दर से वर्ष भर में 300 दिन पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। 31 मार्च, 1982 तक प्रदेश में कुल 32 समन्वित बाल विकास परियोजनायें सेवारत थी। वर्ष 1982–8 में 57 नयी परियोजनायें स्थापित की गई। वर्ष 1983–84 में 17 नयी परियोजनाओं की स्थापना की स्वीकृति जारी की जा चुकी है उक्त तीनों विभागों द्वारा कार्यान्वि किये जा रहे पुष्टाहार कार्यक्रमों की लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

क्रम-सं0	कार्यक्रम	इकाई	1982–83 लक्ष्य	1982–83 उपलब्धि	1983–84 लक्ष्य
1	गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार				
	(क) शिक्षा विभाग	हजार सं0	16.5	15.5	16.5
	(ख) ग्राम्य विकास विभाग	हजार सं0	24.9	38.6	23.0
2	6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार				
	(क) शिक्षा विभाग	हजार सं0	148.5	139.5	148.5
	(ख) ग्राम्य विकास विभाग	हजार सं0	49.8	77.3	46.0
3	स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार–शिक्षा विभाग ..	हजार सं0	875	825	875
4	समन्वित बाल विकास परियोजना समाज कल्याण विभाग ..	संख्या	57	57	17

स्वास्थ्य विभाग :—

उक्त विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे पुष्टाहार कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु कल्याण के अनेक कार्यक्रम चलाय जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को टिटनस से प्रतिरक्षण, बच्चों को डिप्थेरिया, काली खांसी

एवं टिटनेस प्रतिरक्षण, महिलाओं एवं बच्चों का अपोषण तथा रक्ताल्पता से बचाव एवं विटामिन "ए" की कमी से बच्चों के अन्धेपन की रोक थम के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम के नाम उल्लेखनीय है । इन कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नवत है :—

क्रम-सं0	कार्यक्रम	इकाई	1982–83		1983–84
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	टी0 टी0	लाख सं0	10.00	9.03	15.00
2	डी0 पी0 टी0	लाख सं0	15.20	10.62	21.00
3	डी0टी0	लाख सं0	15.00	11.93	18.00
4	आइरन फोलिक एसिड				
	(क) माता	लाख सं0	9.00	10.43	9.00
	(ख) बच्चे	लाख सं0	9.00	9.69	9.00
5	विटामिन "ए"	लाख सं0	25.00	18.63	25.00

शिक्षा

सूत्र संख्या 16—छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाए और इस अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाय। साथ ही इन कार्यक्रमों में छात्रों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं लिया जाए ताकि वयस्कों की निरक्षरता का अन्धकार दूर हो सके।

1—प्रारम्भिक शिक्षा :—

संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के बालक/बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा दिये जाने का संकल्प लिया गया है तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 11.86 करोड़ है जिसमें से 6–11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 13.2 प्रतिशत अर्थात् लगभग 143 लाख है तथा 11–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 7.34 प्रतिशत अर्थात् 79 लाख है। इस प्रकार शत प्रतिशत शिक्षा हेतु कुल 222 लाख बालकों/बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। 6–14 आयुवर्ग में अधिक से अधिक बालक/बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों प्रणाली के माध्यम से शिक्षा की निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है।

क—औपचारिक शिक्षा :—

प्रदेश के सीमित साधनों को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को शिक्षित करना सम्भव नहीं हो सकेगा। छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 6,697 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव था किन्तु पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों को देखते हुए लक्ष्य की पूर्ति सम्भव प्रतीत नहीं होती। वर्ष 1981–82 में कुल 642 नये प्राइमरी स्कूल खोले गए, 1982–83 में 685 नए विद्यालय खोलने का लक्ष्य था जिसकी शत प्रतिशत पूर्ति कर ली गयी। वर्ष 1983–84 में 425 नए प्राइमरी विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से वर्ष 1982–83 में कुल 137.15 लाख नामांकन का लक्ष्य था जिसमें से 96.23 लाख बालकों के लिए तथा 40.92 लाख बालिकाओं के लिए निर्धारित था। इस लक्ष्य से अधिक पूर्ति कर ली गयी है। वर्ष 1982–83 में 100.53 लाख बालकों तथा 42.92 लाख बालिकाओं का नामांकन रहा। वर्ष 1983–84 में 146.71 लाख कुल नामांकन का लक्ष्य है। औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

क्रम-सं0	कार्यक्रम	इकाई	1–4–82 का स्तर	1982–83		1983–84 लक्ष्य
				लक्ष्य	पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1	नए विद्यालयों की स्थापना	.. सं0	85489	685	685	425
2	नामांकन बालक	.. ह0 सं0	9033	9623	10053	10292
3	नामांकन बालिका	.. ह0 सं0	3910	4092	4292	4379
4	कुल नामांकन	.. ह0 सं0	12943	13715	14345	14671

ख—अनौपचारिक शिक्षा :—

औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन बालक एवं बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं अथवा जिनका नाम-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विद्यालयों से कट चुका है। यह शिक्षा वर्ष 1979–80 में प्रारम्भ की गयी। वर्ष 1982–83 में कुल 20,000 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य था जिसके समक्ष 19742 शिक्षा केन्द्र खोले गए। वर्ष 1983–84 में कुल 32,450 केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है। अनौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है—

क्रम-सं0	कार्यक्रम	इकाई	1–4–82 का स्तर	1982–83		1983–84 लक्ष्य
				लक्ष्य	पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1	नए विद्यालयों की स्थापना	.. सं0	13600	20000	19742	32450
2	नामांकन—बालक	.. ह0 सं0	181	312	290	497
3	नामांकन—बालिका	.. ह0 सं0	96	123	145	324
4	कुल नामांकन	.. ह0 सं0	277	435	435	811

2. प्रौढ़ शिक्षा :—

शिक्षा के अन्तिम उद्देश्य—शत प्रतिशत साक्षरता की पूर्ति तब तक सम्भव नहीं हो सकेगी जब तक प्रौढ़ वय वर्ग के ऐसे लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा जो किसी कारण वश बाल्यावस्था में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं। 15–35 वय वर्ग में देश-भर में लगभग 10 करोड़ लोग निरक्षर हैं जिसमें से 2 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रदेश में सशक्त कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ में यह कार्यक्रम प्रदेश के केवल 32 जनपदों में चालू किया गया था किन्तु अब इसे समस्त जनपदों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के संचालन में प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्रों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अनुदेशक के रूप में छात्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है। कार्यों के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम-सं0	कार्यक्रम	इकाई	1–4–82 का स्तर	1982–83		1983–84 लक्ष्य
				लक्ष्य	पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1	नए केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	7501	15500	11600	18400
2	कुल नामांकन ..	ह0 सं0	211	465	343	552

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

सूत्र सं० 17--उचित दर की दूकानों को संख्या बढ़ाकर और दूरदराज के इलाकों में चलती-फिरती दुकानों की व्यवस्था करके औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ोतरी की जाए। पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोरदार कदम उठाये जायें।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1983 को 20996 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत थीं जिसमें से 7730 शहरी क्षेत्र तथा 13266 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थीं। 1 जनवरी, 1981 से सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के अन्तर्गत सहकारिता विभाग को संबद्ध किया गया है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वितरण का दायित्व इन्हें सौंपा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो दुकानें खोली गयी हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम जनता विशेषकर आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग, मजदूर तथा खेतिहर मजदूर तथा छात्रों को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करायें।

वर्ष 1982-83 में प्रदेश शासन द्वारा कुल 995 नई दुकानें खोली गयी जिसमें से 734 दुकानें सामान्य क्षेत्र में, 65 दुकानें विद्यालयों/छात्रावासों के प्रांगणों में, 178 दुकानें औद्योगिक क्षेत्रों में तथा दूर-दराज के इलाकों में 18 चलती-फिरती दुकानें सम्मिलित हैं। वर्ष 1983-84 में 4000 नयी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें सामान्य क्षेत्रों की 3625 उचित दर की दुकानें, दूर-दराज इलाकों की 75 चलती-फिरती दुकानें, विद्यालयों/छात्रावासों में खोली जाने वाली 100 दुकानें तथा औद्योगिक प्रांगणों में खोली जाने वाली 200 दुकानें सम्मिलित हैं। माह जुलाई, 1983 तक 1097 दुकानें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त खोली जा चुकी हैं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्य पूरा करने का प्रयास है।

विगत वर्ष से राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं तथा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाए और इनकी मात्रा में भी समुचित बढ़ोतरी की गयी है जैसा कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है :--

वर्ष						गेहूं (मी०ट०)	चावल (मी०ट०)
1980-81	..	..	..	..	..	42959	285315
1981-82	..	..	..	..	..	238131	244052
1982-83	..	..	..	..	..	523864	387664

वर्तमान समय में मैदानी क्षेत्रों में 8 किलो गेहूं तथा 8 किलो चावल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलो गेहूं तथा 8 किलो चावल प्रति यूनिट प्रति मास के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। इस समय भारत सरकार से 45,000 टन गेहूं तथा 25,000 टन चावल प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है जो प्रदेश की 11 करोड़ जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए काफी कम है। अगर वर्तमान मानक के अनुसार सभी व्यक्ति को गेहूं एवं चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिया जाए तो लगभग 8.8 लाख टन गेहूं और इतनी ही मात्रा में चावल की आवश्यकता होगी। भारत सरकार से निरन्तर इस सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है।

4--सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, नियंत्रित कपड़ा, आयातित तेल आदि की वितरण व्यवस्था में सुधार करने के अभिप्राय से राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :--

1--ग्रामीण अंचलों में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें प्रति सप्ताह सोमवार एवं बृहस्पतिवार को अवश्य खुली रहेंगी और यह निदेश भी निर्गत किए गए हैं कि इन दिवसों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक वस्तुएं इन दुकानों पर अवश्य उपलब्ध रहें।

2--ग्रामीण अंचलों में स्थित खाद्य विभाग के क्षेत्रीय गोदाम सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार तथा सोमवार को अवश्य खुले रहेंगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकानदार गोदामों से वितरण करने हेतु वस्तुएं प्राप्त कर सकें।

3--ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा उसके आने पर ग्राम के प्रधान अथवा सरपंच द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि यह वस्तुएं वास्तव में दुकान पर प्राप्त हो गयी हैं। वस्तुओं के वितरण हो जाने के पश्चात् ग्राम प्रधान/सरपंच/उपप्रधान तथा ग्राम सभा के अन्य 3 सदस्यों द्वारा इस बात का भी प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि ये वस्तुएं ग्रामीण, उपभोक्ताओं को वितरित हो गयीं। उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् ही इन दुकानदारों को वितरण हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

4--क्षेत्र समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा एवं विचार विमर्श किया जाए।

5--खाद्य विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त दिवसों में आकस्मिक निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्णतः पालन हो रहा है।

औद्योगिक नीति

सूत्र संख्या 18—पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाया जाए और औद्योगिक नीति को सरल बनाया जाए ताकि हम योजनाओं को पूरा कर सकें तथा दस्तकारी, हथकरघा एवं दूसरे ग्रामीण उद्योग धन्धों को हर प्रकार की सुविधायें दी जाएं जिससे वे प्रगति करें और अपनी तकनीकों को आधुनिक बना सकें।

प्रदेश सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों, हथकरघा एवं हस्त-शिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को सफलता से क्रियान्वित करने हेतु प्रत्येक जनपद एवं ब्लाक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं तथा उनकी शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं। उद्योग निदेशालय द्वारा उद्योग केन्द्रों के माध्यम से आई० आर० डी०, ट्राइसेम तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित किया गया तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्ग-दर्शन प्रदान किया जा रहा है।

तकनीक को आधुनिक तरीके से उपलब्ध कराने हेतु नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, एस० आइ० एस० आई० तथा खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। साथ ही विभिन्न टेस्टिंग प्रयोगशालाओं के माध्यम से भी उद्योगों को तकनीकी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम के शत प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा नीति विषयक भारी परिवर्तन किए गए जिनका विवरण निम्नलिखित है:—

कार्यक्रम के क्रियान्वयत हेतु संगठनात्मक ढांचे में नया मोड़ :—

20 सूत्री कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन लाया जाए। अतः उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्रियान्वयन एजेन्सीज में इस प्रकार का समन्वय लाया गया है जिससे तहसील तथा ब्लाक स्तर के छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंच सके और उनके स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। इस उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक में 200 कुटीर उद्योगों तथा 2 लाख रु० की लागत की एक लघु उद्योग इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने तथा ऋण वितरण की प्रणाली (प्रोसीजर) को सरल बनाया गया है।

"उद्योग बन्धु" तथा हाई पावर कमेटी के द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जिला स्तर पर विभिन्न सुविधायें, जो विभिन्न एजेन्सियों जैसे वित्तीय निगम, हथकरघा निदेशालय, लघु उद्योग निगम, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड इत्यादि द्वारा दी जाती हैं। समन्वित रूप से सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दिलाई जा रही है। साथ ही मण्डल स्तर पर परिक्षेत्रीय संयुक्त उद्योग निदेशक, "नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य कर रहे हैं जो हर 2 मास में वे उक्त एजेन्सियों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों तथा उद्यमियों की बैठक आयोजित करते हैं तथा उनकी समस्याओं को शीघ्रता से हल करते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब जनता के उत्थान हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड के कार्य-कलापों में वैधानिक परिवर्तन किया गया है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में 200 ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों के लक्ष्य को पूरा करने के ध्येय से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह सामान्य प्रबन्धकों पर इस कार्य हेतु नियंत्रण रखें। प्रबन्धक, खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा भी ग्रामीण उद्योगों के विकास का कार्य देखा जा रहा है। सहायक प्रबन्धकों को आई० आर० डी० तथा ट्राइसेम कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने हेतु तहसीलों में तैनात किया गया है।

तकनीकी (टेक्नालाजी) का आधुनीकरण एवं प्रशिक्षण:—

परम्परागत उद्योगों की तकनीक के आधुनीकरण करने हेतु तथा कारीगरों के दस्तकारी में उत्थान लाने हेतु कारीगरों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा उद्यमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र जैसे मास्टर क्राफ्ट्समैन, कालीन प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उद्योग विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा निदेशालय तथा आई० आर० डी० एवं ट्राइसेम कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उद्यमियों को विकसित भूखण्ड तथा शेड औद्योगिक आस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे वे अपने उद्योग लगा सकें।

विपणन व्यवस्था :—

लघु तथा कुटीर उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रथमबार विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। प्रथम चरण में 2 प्रकार की परियोजनाएं एक ग्रामीण उद्योग के लिए तथा दूसरी हथकरघा के लिए स्थापित की जायेंगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण एवं विपणन केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इन केन्द्रों के द्वारा प्रशिक्षण के साथ-साथ इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन भी किया जाएगा।

प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स (स्कीमें) :—

विभिन्न जिलों के विकास खण्डों में उपलब्ध संसाधनों तथा वहां के कारीगरों की दस्तकारी (स्किल) तथा मार्ग को ध्यान में रखते हुए लघु स्तरीय इकाइयों तथा आई० आर० डी० की इकाइयों के लगाने के लिए स्कीमें तैयार की गयी हैं। इन स्कीमों को जिलेवार मुद्रित कराया गया है। यह काफी उपयोगी सिद्ध हुई है।

उपरोक्त प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं । वर्ष 1982-83 में 13,000 लक्ष्य के विपरीत 13,611 लघु स्तरीय इकाइयां स्थापित की गयी । वर्ष 1982-83 के लक्ष्य तथा उपलब्धि एवं वर्ष 1983-84 के लक्ष्यों का विवरण निम्नवत् है:—

कार्यक्रम	वर्ष 1982-83		1983-84 के लक्ष्य
	लक्ष्य	प्रगति	
1	2	3	4
1—लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना	13000	13611	13000
2—दस्तकारों को सहायता	30000	903020	30000
3—एकीकृत लाभार्थियों को सहायता	86000	89625	86000
4—अनु0 जाति के लाभार्थी	..	25400	25000
5—रोजगार सृजन	90000	222400*	95000

*इसमें एकीकृत ग्राम्य विकास के लाभार्थियों की संख्या शामिल है ।

वर्ष 1983-84 के लक्ष्य एवं पूर्ति की व्यवस्था:—

1983-84 में 13000 लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । 30000 दस्तकारी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित है । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 177000 व्यक्तियों को लाभान्वित कराने की योजना है । उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों, उ0 प्र0 वित्त निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हथकरघा एवं दस्त उद्योग निदेशालय में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत दस्तकारी इकाइयों द्वारा उत्पादित माल के वितरण हेतु योजना बनाई गयी है ।

प्रत्येक विकास खण्ड में लघु उद्योगों की स्थापना:—

औद्योगिक विकास की नई नीति के अन्तर्गत लघु उद्योगों के क्वालिटी में सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक में 2 लाख रु0 की लागत की 915 इकाइयां वर्ष 1982-83 में स्थापित हुई हैं । वर्ष 1983-84 में ऐसी 900 अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ।

काला धन के विरुद्ध अभियान

सूत्र संख्या 19—तस्करों, जमाखोरों तथा कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि काला धन रुके।

खाद्य एवं रसद विभाग

आवश्यक वस्तु अधिनियम :—

दैनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धि बनाये रखने तथा उनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेश जारी किये गये हैं जिनके क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश है कि वे अपने जनपद के व्यापारियों द्वारा विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा दोषी व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करें। जनपदों में जिला मैजिस्ट्रेट व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर तथा चेकिंग करके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इस कार्यवाही के फलस्वरूप एक ओर आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर अंकुश रहता है तथा दूसरी ओर उन वस्तुओं की उपलब्धता बाजार में बनी रहने से जनता को वे उचित मूल्य पर सुलभ हो जाती हैं।

2—जमाखोरों एवं काला बाजारियों के विरुद्ध वर्ष 1982–83 में जनपदों में किये गये प्रवर्तन कार्य की सूचना निम्नवत् है :—

1—छापों की संख्या	36890
2—गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	2667
3—निलम्बित लाइसेन्स की संख्या	1052
4—निरस्त लाइसेन्स की संख्या	1821

5—पकड़ी गई आवश्यक वस्तुओं का मूल्य (रुपयों में) 7.22 करोड़ रु0 लगभग।

6—वर्ष 1982–83 में जमाखोरी एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही की उक्त उपलब्धि एक विशिष्ट उपलब्धि है। इसके पहले कभी किसी वर्ष में इतने अधिक रुपये की आवश्यक वस्तुएं चोर-बाजारी में नहीं पकड़ी गयी।

3—यद्यपि प्रवर्तन कार्य का कोई लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है फिर भी शासन का यह प्रयास है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी पर शासन का पूरा नियंत्रण रहे। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके आवश्यक वस्तु विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1981 पारित किया है जो इस प्रदेश में दिनांक 1 सितम्बर, 1982 से लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत यह प्राविधान है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण विशेष अदालतों द्वारा किया जाय। 1 सितम्बर, 1982 से प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष न्यायालयों द्वारा ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमें निस्तारित किये जा रहे हैं। उक्त अधिनियम, 1981 के कार्यान्वयन से जमाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध जनपदों में बहुत प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

"प्रिवेन्सन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टिनेन्स आफ इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट"—

उक्त अधिनियम के अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा पारित "प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टिनन्स आफ एसेंसियल कमोडिटीज ऐक्ट, 1980" को अपनाया है जिसके अन्तर्गत समाज के ऐसे अराजक तत्वों अथवा व्यापारियों को जो आवश्यक वस्तुओं का अनधिकृत रूप से संग्रहण करके चोर बाजारी तथा मुनाफाखोरी करते हैं, को छः माह तक के लिये निरुद्ध किये जाने का प्राविधान है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1982 में कुल 49 आर्थिक अपराधियों को निरुद्ध किया गया।

पिछले वर्ष उक्त श्रेणी में निरुद्ध किये जाने वाले लोगों को सी0आर0पी0सी0 की धारा 82, 83, 84 के अन्तर्गत आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति नीलाम करने के आदेश शासन स्तर पर जारी किये जाते थे जिससे आर्थिक अपराधियों को पकड़ने में विलम्ब की सम्भावना रहती थी किन्तु अब भारत सरकार ने उक्त ऐक्ट को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए यह अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है जिसके फलस्वरूप चोरबाजारियों, जमाखोरों तथा नफाखोरों के विरुद्ध अधिक सक्रियता से कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

गृह विभाग—

अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई :—

आर्थिक अपराधों को रोकने तथा शासन के विभिन्न विभागों में राजस्व की चोरी रोकने के उद्देश्य से शासन स्तर पर गृह विभाग ने एक कोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका नाम "अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसन्धान इकाई" है। इसका गठन ऐसे आर्थिक अपराधों की विवेचना हेतु किया गया है। इनका विशेष महत्व है और इनका प्रदेश के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है।

इस इकाई द्वारा वर्ष 1982–83 में 56 जांचों में विवेचना पूर्ण की गई जिनमें से 23 मामलों में अन्तिम आख्या लगाई गई तथा 33 मामलों में आरोप-पत्र प्रस्तुत किये गये। वर्ष 1982–83 में 36 मामले विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णीत हुए जिनमें से 33 मामलों में अभियुक्तों को सजा हुई।

कोफेपोसा ऐक्ट :—

तस्करी की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सरकार के कस्टम विभाग द्वारा कस्टम ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। कस्टम विभाग से प्रस्ताव पास होने पर राज्य सरकार को कोफेपोसा ऐक्ट के अन्तर्गत निरोधादेश पारित करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाती है। इस ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में कुल 59 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधादेश पारित किये गये, 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 35 लाख रु0 मूल्य की वस्तुयें अधिगृहीत की गई।

सार्वजनिक उद्यम

सूत्र सं0 20--सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता, अपनी क्षमता के उपयोग और आंतरिक साधनों के उत्पादन की शक्ति को बढ़ाकर उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए ।

उत्तर प्रदेश के 57 सार्वजनिक उपक्रमों में से 49 उद्यम, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत और 8 उद्यम अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सृजित किये गये हैं । शासन का इन उपक्रमों में अंश पूंजी और दीर्घ कालीन ऋण के रूप में 2916 करोड़ रु0 से अधिक धन विनियोजित है । इसमें से अकेले राज्य विद्युत् परिषद् में 2383 करोड़ रु0 से अधिक ऋण पूंजी लगी है । जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग की कुल धनराशि का 82 प्रतिशत है ।

2--कार्य के प्रकार की दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण इस प्रकार है :--

उत्पादन	8	सेवा	8
वित्तीय सहायता	5	सेक्टोरल विकास	13
क्षेत्रीय विकास	12	कमजोर वर्ग सेवा	3
गन्ना बीज विकास	4	निर्माण	2
कन्सलटेन्सी एवं अन्य	2		

3--इन उद्यमों में अधिकांश उद्यम जनहित के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनमें लाभ की सम्भावना कम है । उदाहरणार्थ, मजदूरों और कृषकों के हितों के रक्षार्थ पुरानी चीनी मिलों का अधिग्रहण करके चीनी निगम की स्थापना की गई है । इन 29 मिलों को मालिकों ने जीर्ण अवस्था में छोड़ रखा था । इनके आधुनिकीकरण में निरन्तर धन लगाना पड़ रहा है, इससे उत्पादन में वृद्धि और गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है ।

4--राज्य विद्युत् परिषद ग्रामों, हरिजन बस्तियों और निजी नलकूपों का विद्युतीकरण, व्यय की अपेक्षा कम आय पर कर रहा है । क्षेत्रीय विकास के लिए दुर्गम और दूरस्थ स्थानों तक लाइनें सामाजिक लाभ की दृष्टि से ही खीची जाती हैं । जल निगम अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के कार्य में लगा है । ऐसे क्षेत्रों में या तो पानी के स्रोत दूर हैं या फिर उन्हें प्रयोग में लाना दुष्कर है । पहाड़ी इलाके में और बुन्देलखण्ड में यह स्थिति विशेष रूप से विद्यमान है । इसी प्रकार सड़क परिवहन निगम उन मार्गों पर कार्य करता है जहां निजी क्षेत्र के उद्यमी जाने से कतराते हैं ।

राज्य वस्त्र निगम समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर सूत बेचता है जिससे लाखों बुनकर परिवारों को जीविका मिलने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है । अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सहायतार्थ 3 निगम बनाये गये हैं, जो समाज के इन कमजोर वर्गों को ऋण के अलावा छोटे-छोटे उद्योग धन्धों और मकानों के लिए सूद की अत्यन्त न्यून दर पर ऋण के साथ अनुदान भी देते हैं । मण्डल विकास निगम भी क्षेत्रीय विकास की दशा में कार्यशील है ।

5--वर्ष 1982-83 के अन्त में 34 निगमों में लाभ रहा । वर्ष के अन्त में प्रदेश के समस्त निगमों में कर व शासन को देय ब्याज के पूर्व लगभग 84 करोड़ रुपये के अनुमानित लाभ की सम्भावना है । सभी 57 निगमों में शासन का 3477 करोड़ रुपये भी नियोजित है जिसमें राज्य विद्युत् परिषद् में अकेले कुल विनियोजित धन का लगभग 82 प्रतिशत लगा हुआ है ।

6--सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों पर निरन्तर निगरानी रखने तथा उनकी उपलब्धियों के अनुसरण के लिए शासन स्तर पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों की स्थापना की गई है । ब्यूरों में कई विशेषज्ञ हैं और वे इन उपक्रमों का गहन अध्ययन करते रहते हैं ।

7--उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के अलावा राज्य सड़क परिवहन निगम, वस्त्र निगम, सीमेन्ट निगम, चीनी निगम, औद्योगिक विकास निगम, पिकप, वित्तीय निगम इत्यादि राज्य के लगभग 15 ऐसे उद्यम हैं जिनमें 10 करोड़ से 100 करोड़ तक धन विनियोजित है । उपरोक्त 6 निगमों में शासन का लगभग 331 करोड़ रुपया वर्ष 1982-83 के अन्त तक विनियोजित है जो राज्य विद्युत् परिषद् को छोड़ते हुए समस्त सार्वजनिक उद्यमों में विनियोजित धन का 56 प्रतिशत है ।

8--नीचे दिये गये विवरण में प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की पिछले वर्ष के वास्तविक उपलब्धि और वर्तमान वर्ष का लक्ष्य देखा जा सकता है ।

उपक्रम का नाम	मद		1982-83 उपलब्धि	1983-84 का लक्ष्य
1--उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्	1--थर्मल प्लाट लोड फैक्टर (%)	..	40.1	42.75
	2--विद्युत् उत्पादन (मि0 यू0)			
	क--थर्मल	..	8420	9453
	ख--हाइडिल	..	4167	3967
	(3) राजस्व प्राप्तियां (लाख रु0)	..	43735	54769
2--उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम	(1) बस बड़ा उपयोग (%)	..	74	77
	(2) बस उपयोग (कि0मी0 प्रतिशत प्रतिदिन)		214	224
	(3) लोड फैक्टर (%)		74	81
3--उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम0 लि0	(1) क्षमता उपयोग (%)	..	67.54	71.15
	(2) सीमेन्ट उत्पादन (लाख मी0 टन)	..	9.32	14.80

उपक्रम का नाम	मद		1982-83 उपलब्धि	1983-84 का लक्ष्य
4--उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0	(1) क्षमता का उपयोग (%)	..	86.14	85.00
	(2) यार्न उत्पादन (लाख कि0 ग्राम)	..	355.52	390.68
5--उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	(1) आवधिक ऋण (लाख रु0 में)			
	(क) स्वीकृत		5439.93	
	(ख) वितरित		3805.49	
	(2) वसूली (लाख रु0)	..	1804.98	
	(3) पुनर्वित्त (लाख रु0) में उपयोग	..	2760.64	2900
6--प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार-पोरेशन आफ यू0 पी0	(1) आवधिक ऋण (मार्च, 83 तक)			
	(क) स्वीकृत (लाख रु0 में)		1924.16	1900
	(ख) वितरण (लाख रु0 में)		1303.07	1500
	(ग) वसूली (लाख रु0 में)		198.57	300

बीस सूत्री कार्यक्रम एक दृष्टि में –

राज्यस्तरीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

बीस सूत्रीय कार्यक्रम एक दृष्टि में–राज्यस्तरीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1–4–82 का स्तर	1982–83			1983–84		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि जुलाई 83 तक	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना									
	क–बृहद एवं मध्यम सिंचाई	लाख हे0	65.62	1.75	1.64	93.7	0.55	..	..
	ख–राजकीय लघु सिंचाई	,,	29.64	1.65	1.43	86.7	1.25	0.13	10.4
	ग–निजी लघु सिंचाई	,,	88.75	9.47	9.50	100.3	8.00	1.58	19.8
	योग, सिंचन क्षमता ..	,,	184.01	12.87	12.57	97.7	9.80	1.71	..
1 (ब) सूखी जमीन पर खेती									
	क–माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	ह0हे0	..	438	453.00	103.4	869.00	426.32	49.0
	ख–माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	..	600	63.00	100.5	600.00	250.24	41.7
2 (अ) दलहन विकास—									
	क–खरीफ क्षेत्रफल	ह0हे0	387	775	717	92.5	900	898.19	99.8
	ख–रबी क्षेत्रफल	,,	2712	2725	2520	92.5	3000	..	
	ग–योग क्षेत्रफल	ह0हे0	3099	3500	3237	92.5	3900	898.19	23.0
	घ–उत्पादन	ह0मी0टन	2270	3000	2500	83.3	3230	..	..
2 (ब) तिलहन विकास									
	क–खरीफ क्षेत्रफल	ह0हे0	1024	1100	1033	93.9	1126	415.18	36.9
	ख–रबी क्षेत्रफल	,,	2803	2900	2913	100.4	3074	..	..
	ग–योग क्षेत्रफल	ह0हे0	3827	4000	3946	98.6	4200	415.18	9.9
	घ–उत्पादन	ह0मी0टन	1945	2050	1800	87.8	2300	..	..
3 (क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम									
	1–लाभान्वित परिवारों की संख्या	लाख सं0	21.20	5.31	5.56	104.7	5.31	0.46	8.7
	2–लाभान्वित अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों की संख्या		4.84	2.65	2.37	89.4	2.70	0.17	6.3

3 (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम									
1. रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	168.60	562.08	565.54	100.6	550.40	61.16	11.1
4 (अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी									
1--हदबन्दी से प्राप्त भूम	हू0 एकड़	261.16	..	4.20	..	..	2.62	..
2--भूमि का आवंटन	" "	233.46	..	4.83	..	..	1.11	..
3--आवंटियों की संख्या	हजार सं0	190.47	..	5.11	..	..	1.00	..
4--अनुसूचित जाति/जनजाति के आबंटी	,, ,,	..	..	4.22	..	..	0.54	..
5 -आवंटियों को आर्थिक सहायता--									
क-कुल वितरित धनराशि	लाख रु0	234.16	96.24	88.69	92.2	98.00	2.99	3.0
ख-कुल लाभार्थी	हू0 सं0	89.71	24.00	29.07	121.1	25.00	0.70	2.8
ग-अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी	,,	..	..	17.28	..	17.50	0.58	3.3
5. कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी--									
1. निरीक्षण	संख्या	24038	..	72653	..	..	24834	..
2. निदेशवाद दायर किए गये	,,	2209	..	2633	..	..	793	..
3. प्राभियोजना दायर किए गये	,,	23	..	89	..	..	2	..
6. बंधुवा मजदूरों का पुनर्वासन--									
1. कुल पुनर्वासित मजदूर	,,	4155	4249	4249	100.0	92	10 आंशिक	..
7--अनुसूचित जाति/जनजातियों का विकास									
1--अनुसूचित जाति									
क. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना द्वारा ..	संख्या	..	270000	236511	87.6	270000	16919	6.3
ख. अन्य योजनाओं द्वारा	,,	..	180000	178219	99.0	180000	8285	4.6
2--अनुसूचित जनजाति--									
क-एकीकृत ग्राम्य विकास योजना द्वारा	संख्या	..	[	4129	137.6	3150	229]	
ख-अन्य योजनाओं द्वारा	संख्या	..	[3000	..	..	..	54]	9.0
8-समस्या ग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था जल निगम द्वारा									
1--समस्या ग्रस्त ग्राम	संख्या	8782	3675	5619	152.9	8000	2418	30.2
2--हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था-ग्राम्य विकास विभाग द्वारा									
क-कुएं	संख्या	43235	4200	4195	99.9	1364	694	50.9
ख-हैण्डपम्प	संख्या	4530	780	3026	387.9	..	88	..
ग-डिग्गी	संख्या	2193	433	736	170.0	500	29	5.8

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83 का स्तर	1982-83			1983-84		
				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि जुलाई 83 तक	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9--अ--आवास स्थल आवंटन--आवंटियों की संख्या ..									
	क-कुल	संख्या	1459587	70000	151137	215.9	60000	22102	36.8
	ख-अनुसूचित जाति/जनजाति के	संख्या	1190180	52500	103543	197.2	46000	17384	37.8
	ग-ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण--								
	क कुल निर्मित आवास	संख्या	41375	15215	18183	119.5	5744	2447	42.6
	ख-अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	संख्या	35566	11597	16614	143.3	4287	2231	52.0
10--मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार-									
	1--लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	892800	169800	189263	111.5	175000	51905	29.7
	2--आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण ..	संख्या	99600	22946	19292	84.1	27000	809	3.0
11--विद्युत उत्पादन कार्यक्रम-									
	1--अधिष्ठापित क्षमता का सृजन	मेगावाट	3770	310	..	..	430	..	..
	2--विद्युत् उत्पादन	मि0यू0	11348	12528	12584	100.4	13420	4131	30.8
	3--ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	47525	4000	5842	146.0	3500	219	6.2
	4--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	18858	2700	3834	142.0	1888	177	9.4
	5--नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन	संख्या	414943	36000	23923	66.4	36000	3911	10.9
12--अ--वृक्षारोपण कार्यक्रम									
	कुल वृक्षारोपण-रोपित पौधे	लाख सं0	8502	2116	2345	110.8	4209	433	10.3
	ब-बायोगैस एवं उर्जा के वैकल्पिक श्रोत-								
	वायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	संख्या	11748	14000	15113	108.0	12000	3432	28.6
13--परिवार कल्याण कार्यक्रम/स्टरलाइजेशन-		ह0 संख्या	2589	621	431	69.4	849	41	4.8
14-क-प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम--स्वास्थ्य केन्द्र--									
	1--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या	927	17	17	100.0	26	..	..
	2--प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या	11192	1420	1420	100.0	1930	..	..
	3--सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना	संख्या	..	96	81	84.4	165	..	..
	ख--कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम-								
	1--कुष्ट इकाइयों की स्थापना	संख्या	2821	75	56	74.7	29	..	..
	2--नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	ह0 सं0	330	70	54	77.1	60	16	26.7

ग--दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम										
1- -नेत्र चिकित्सा इकाइयों की स्थापना	संख्या	156	21	21	100.0	12	..	..
2 --कटरैक्ट आपरेशन	ह0 सं0	..	222	124	55.8	195	15	7.7
3 --अन्य आपरेशन	ह0 सं0	..	23	99	430.4	..	27	..
घ--क्षय नियंत्रण कार्यक्रम								
1--बी0सी0जी0 वेक्सीनेसन	ह0 सं0	..	2000	2360	118.0	2300	632	27.5
2--नये पंजीकृत रोगी	,,	..	150	179	119.3	188	70	37.2
15--महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम--								
1--गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार								
क-शिक्षा विभाग	ह0 सं0	16.5	16.5	15.5	93.3	13.7	11.2	81.8
ख-ग्राम्य विकास विभाग	,,	15.7	24.9	38.6	155.0	13.0	6.5	50.0
2--6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार								
क-शिक्षा विभाग	ह0 सं0	148.5	148.5	139.5	93.9	132.4	109.5	82.7
ख-ग्राम्य विकास विभाग	,,	13.8	49.3	77.3	155.2	26.2	12.6	48.1
3--स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार शिक्षा विभाग ..	,,	875	875	825	49.3	785	581	74.0
4--समन्वित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के नये केन्द्रों की स्थापना	संख्या	32	57	57	100.0	17	..	..
16- -शिक्षा--								
क-औपचारिक शिक्षा 6-14 आयु वर्ग)								
1--नये विद्यालयों की स्थापना	संख्या	85489	685	685	100.0	398	366	92.0
2--नामांकन बालक	ह0 सं0	9033	9623	10053	104.5	10292	10077	97.9
3--नामांकन बालिका	,,	3910	4092	4292	104 9	4379	4252	97.1
4--कुल नामांकन	,,	12943	13715	14345	104.6	14671	14329	97.7
ख-अनौपचारिक शिक्षा								
(6-14 आयु वर्ग)								
1—नये विद्यालयों को स्थापना	संख्या	13600	20000	19742	98.7	32450	16942	52.2
2—नामांकन बालक	ह0सं0	181	312	290	92.9	487	253	52.0
3—नामांकन बालिका	,,	96	123	145	117.9	324	130	40.1
4—कुल नामांकन	,,	277	435	435	100.0	811	383	47.2
ग—प्रौढ़ शिक्षा								
1—नये केन्द्रों की स्थापना	संख्या	7501	15500	11600	74.8	18400	11578	62.9
2—कुल नामांकन	ह0सं0	211	465	343	73.8	552	326	59.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17—उचित दर की दुकानों में वृद्धि—									
	1—नयी खोली गई सामान्य दुकानें	संख्या	20649	1300	734	56.5	3625	818	22.6
	2—चलती-फिरती दुकानें	संख्या	18	25	18	72.0	75	21	28.0
	3—विद्यालय/छात्रावासों में खोली गयी दुकानें	संख्या	65	450	65	14.4	100	64	64.0
	4—औद्योगिक प्रांगण में खोली गई दुकानें	संख्या	177	225	178	79.1	200	194	97.0
	5—नयी खोली गई दुकानें (1-4-तक)	संख्या	20909	2000	995	49.8	4000	1097	27.4
18—दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम—									
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	संख्या	68426	13000	13611	104.7	13000	2028	15.6
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजत	संख्या	157408	90000	222403	247.1	95000	17825	18.8
	3—हथकरघा इकाइयां—								
	क—सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	संख्या	330418	7500	8111	108.1	7500	251	3.3
	ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	संख्या	55186	9450	7252	76.7	6000	428	7.1
	4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	5020.00	5100.00	5515.86	108.2	5400.00	1692.11	31.3
	5—दस्तकारी इकाइयां—निर्यात निगम द्वारा बिक्री								
	क—अन्तर्देशीय बिक्री	लाख रु0	..	228.00	204.83	89.8	260.00	31.84	12.2
	ख—विदेशी बिक्री	,,	..	640.00	445.18	69.6	615.00	152.11	24.7
	6—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	संख्या	..	66375	86959	131.0	66375	3665	5.5

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1982-83	1983-84	अभ्युक्ति
			वार्षिक उपलब्धि	जुलाई 1983 तक उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6
19--तस्करों, जमाखोरों तथा कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही					
	क--आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही (खाद्य विभाग)				
	1--छापों की संख्या ..	संख्या	36890	9443	
	2--गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	संख्या	2667	401	
	3--निलम्बित लाइसेंस की संख्या	संख्या	1052	183	
	4--निरस्त लाइसेंस की संख्या ..	संख्या	1821	1260	
	5--अधिगृहीत वस्तुओं का मूल्य ..	लाख रु०	722.00	160.00	
	ख--बिक्री कर विभाग				
	1--बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत दायर किए गए मुकदमें	संख्या	7	17	
	2--सघन इकाइयों एवं जांच चौकियों द्वारा वसूल की गयी धनराशि	लाख रु०	367	110	
	3--विशेष अनुसंधान शाखाओं द्वारा जांच के फलस्वरूप लगाए गए अतिरिक्त कर	लाख रु०	547	286	
	ग--मनोरंजन कर विभाग				
	1--छापों/निरीक्षणों की संख्या ..	संख्या	8811	2675	
	2--कर अपवंचना के मामले ..	संख्या	98	25	
	3--निलम्बित लाइसेंस ..	संख्या	27	7	
	4--निरस्त लाइसेंस ..	संख्या	..	..	
	5--पेनाल्टी द्वारा वसूल की गयी धनराशि	लाख रु०	0.55	0.19	
	घ--आबकारी कर				
	1--वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष धनराशि में वसूल की गयी धनराशि	लाख रु०	5.4	111.26	
	2--अनधिकृत रूप से व्यापार करते हुए पकड़े गए मामले	संख्या	4439	2511	
	3--उक्त मद (2) में इंगित मामलों से पेनाल्टी के रूप में वसूल की गयी धनराशि	लाख रु०	0.31	0.27	
	च--स्टाम्प ड्यूटी				
	1--स्टाम्प ड्यूटी की चोरी में पकड़े गए मामले	संख्या	19633	2175	
	2--वसूल की गयी धनराशि ..	लाख रु०	120.23	4.43	
	छ --कोफेपोसा ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही				
	1--निरुद्धि हेतु पारित आदेश ..	संख्या	59	7	
	2--गिरफ्तार व्यक्ति ..	संख्या	20	10	
	3--अधिगृहीत वस्तुओं का मूल्य ..	लाख रु०	35.43	1.34	

1	2	3	4	5	6
ज--पथकर, यात्रीकर एवं मार्ग कर (परिवहन विभाग)					
	1--चेकिंग की सं0 जिसमें कर अपवंचना के मामले पकड़े गए	संख्या	24372	6245	
	2--मौके पर कर पेनाल्टी के रूप में वसूल की गयी धनराशि	लाख रु0	53.69	19.55	
	3--कर अपवंचना में बंद किए गए वाहन सं0	संख्या	10367	2911	
	4--उपरोक्त (3) के मामले में वसूल किया गया				
	(अ) कर ..	लाख रु0	59.87	19.23	
	(ब) पेनाल्टी ..	लाख रु0	6.89	4.17	

मण्डलवार/जनपदवार लक्ष्य

20 सूत्री कार्यक्रम

मेरठ मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	मेरठ मण्डल					
			मेरठ	मुजफ्फरनगर	सहारनपुर	बुलन्दशहर	गाजियाबाद	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1(अ)	सिचन क्षमता में वृद्धि करना ..							
	क---वृहद एवं मध्यम सिचाई	हजार हे0	..	..	..	..	..	.
	ख--राजकीय लघु सिचाई	हजार हे0	0.40	3.20	5.60	1.60	1.60	12.40
	ग--निजी लघु सिचाई	हजार हे0	12.00	13.00	16.00	16.00	8.00	65.00
	योग, सिचन क्षमता ..		12.40	16.20	21.60	17.60	9.60	77.40
	घ--निजी लघु सिचाई (अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा) ..	हे0	..	35	30	12.5	..	77.5
	च--राजकीय नलकूप	सं0	4	32	31	16	16	99
1(ब)	सूखा जमीन पर खेती							
	क--खरीफ क्षेत्रफल	हे0	15750	13140	21180	15330	10140	75540
	ख--रबी क्षेत्रफल	हे0	10500	8760	14120	10220	6760	50360
	ग--अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	625	2000	3750	250	125	6750
	घ--सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेत-माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल ..	हे0	18000	12000	16000	17000	10000	73000
	च--माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	8250	9900	19300	8550	6900	52900
2(अ)	दलहन विकास :							
	क--खरीफ क्षेत्रफल	हे0	7500	7000	11000	13300	6200	45000
	उत्पादन	मी0 टन	1850	1650	2700	3500	1300	11000
	ख--रबी क्षेत्रफल	हे0	14500	15000	23500	27500	18500	99000
	उत्पादन	मी0 टन	11500	8500	13500	26500	17000	77000
	योग क्षेत्रफल	हे0	22000	22000	34500	40800	24700	144000
	..	मी0 ट0	13350	10150	16200	30000	18300	88000

2(ब) तिलहन विकास :										
क--खरीफ क्षेत्रफल	हे0	2700	3000	36000	6000	4000	51700
उत्पादन	मी0 ट0	720	1050	22200	1050	1050	26070
ख--रबी क्षेत्रफल	हे0	16000	16000	21000	23000	17000	93000
उत्पादन	मी0 ट0	10150	10150	7700	17350	12550	57900
ग--योग-क्षेत्रफल	हे0	18700	19000	57000	29000	21000	144700
उत्पादन	मी0 ट0	10870	11200	29900	18400	13600	83970
3(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम										
1--लाभान्वित परिवारों की सं0	सं0	10800	8400	9600	10200	6000	45000
2--लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की सं0	सं0	5400	4200	4800	5100	3000	22500
3(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम										
1--रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	6.19	6.31	7.97	5.69	3.96	30.12
2--आवंटित धनराशि	लाख रु0	87.69	89.31	112.92	80.67	56.15	426.74
4(अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी										
1--आवंटियों को आर्थिक सहयता										
कुल वितरित धनराशि	लाख रु0	1.20	1.63	5.00	0.17	0.00	8.00
6--बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन										
कुल पुनर्वासित मजदूर	संख्या	..	..	..	..	..	..
7 अनुसूचित जाति/जनजातियों का विकास										
गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता- लाभार्थी--										
1--अनुसूचित जाति	संख्या	15000	7000	11500	11000	3000	47500
2--अनुसूचित जनजाति	सं0	..	..	..	..	..	..
8 समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था										
1--जल निगम द्वारा										
क--कुल ग्राम	संख्या	..	..	..	..	..	..
ख--समस्याग्रस्त ग्राम	संख्या	..	..	..	..	..	..
2--हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था										
1--कुएं	संख्या	15	15	17	22	8	77
2--डिग्गी	संख्या	..	..	..	..	..	..

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	मेरठ	मुजफ्फरनगर	सहारनपुर	बुलन्दशहर	गाजियाबाद	योग मण्डल
1	2		4	5	6	7	8	9
9	(अ) आवास स्थल का आवंटन--आवास स्थल आवंटियों की संख्या							
	क--कुल	सं0	4000	700	7000	700	800	13200
	ख--अनुसूचित जाति/जनजाति	सं0	3000	500	5000	500	500	9500
9(ब)	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण							
	1--कुल निर्मित आवास	सं0	..	230	31	45	45	352
	2--अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये निर्मित आवास.. ..	सं0	..	186	25	37	37	285
	3--प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	..	2.50	0.34	0.50	0.50	3.84
9	(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण ..	सं0	90	80	80	80	80	410
10	मलिन बस्ती पर्यावण सुधार							
	लाभान्वित जनसंख्या	सं0	17000	..	16000	..	..	33000
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम							
	1--ग्रामीण विद्युतीकरण	सं0	55	56	79	30	29	249
	2--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	46	15	21	24	14	120
	3--नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन	संख्या	1489	948	1323	1167	650	5577
12	(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम							
	1--सामाजिक वानिकी-- रोपित पौध	लाख सं0	7.00	6.45	5.00	10.00	3.00	31.45
	2--उत्पादन वानिकी रोपित पौध	लाख सं0	..	..	4.41	..	..	4.41
	3--वृहद वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	440.00
	4--कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	107.00	86.45	89.41	110.00	83.00	475.86
12	(ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वकल्पिक स्रोत							
	1--बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	सं0	472	292	328	520	276	1888
	2--हाई ड्रम	सं0	..	..	..	..	..	..

13	परिवार कल्याण कार्यक्रम									
	1—स्टरलाइजेशन	सं0	21000	17360	20280	17830	14190	90660
	2—लूप निवेशन	सं0	11620	9610	11230	9870	7850	50180
	3—सी0 सी0 यूजर्स	सं0	5730	4740	5540	4870	3870	24750
	4—ओरलपिल्स यूजर्श	सं0	1850	1530	1780	1570	1250	7980
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम									
	क—स्वास्थ्य केन्द्र									
	1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	2	2	..	..	4
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों म प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	1	1	..	..	2
	3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	34	70	64	32	32	232
	ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम									
	1—नए खोजे गए रोगी	सं0	560	130	820	130	130	1770
	2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	560	130	820	130	130	1770
	3—रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	330	75	480	75	75	1035
	ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम									
	कैटरेक्ट आपरेशन	सं0	4865	4024	4702	4132	3283	21006
	घ—क्षय नियंत्रण कायक्रम									
	बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	सं0	40000	33000	43400	24000	27000	167400
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम									
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार									
	1—शिक्षा विभाग									
	क—कुल	सं0	1250	..	1250	..	..	2500
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	600	..	600	..	..	1200
	2—ग्राम्य विकास									
	क—कुल	सं0	159	139	139	99	99	635
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	159	139	139	99	99	635
	2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार									
	1—शिक्षा विभाग									

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	मेरठ मण्डल					योग मण्डल
			मेरठ	मुजफ्फरनगर	सहारनपुर	बुलन्दशहर	गाजियाबाद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	क—कुल	सं0	8750	..	8750	..	..	17500
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	4000	..	4000	..	..	8000
	2—ग्राम्य विकास							
	क—कुल	सं0	318	279	279	200	200	1276
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	318	279	279	200	200	1276
	3—स्कूल जाने वाले बच्चों की पुष्टाहार—शिक्षा विभाग							
	क—कुल	सं0	16000	..	28000	10000	14000	68000
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	5000	..	8000	5000	5000	23000
	4—समन्वित बाल विकास योजना के लाभार्थी संख्या							
	क—कुल	सं0	..	..	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..	..
	5—टी0टी0	सं0	50320	41520	51590	42780	33960	220170
	6—डी0पी0टी0	सं0	45950	37910	47100	39050	31010	201020
	7—डी0टी0	सं0	39380	32500	40370	33480	26580	172310
	8—आयरन फोलिक एसिड							
	1—माता	सं0	18000	14850	19530	15300	12150	79830
	2—बच्चे	सं0	18000	14850	19530	15300	12150	79830
	9—विटामिन 'ए'	सं0	50000	41250	54250	42500	33750	221750
16—	शिक्षा							
	क—औपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)							
	1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	..	..	1	2	1	4
	2—नामांकन बालक	ह0 सं0	238	213	214	239	157	1061
	3—नामांकन बालिका	ह0 सं0	111	82	87	78	66	424
	4—कुल नामांकन	ह0 सं0	349	295	301	317	223	1485
	5—अन0 जाति का							

क--बालक	ह0 सं0	43.5	38.5	49.5	45.5	28.5	205.5
ख--बालिका	ह0 सं0	13.0	5.0	12.0	9.0	8.0	47.0
ग--योग	ह0 सं0	56.5	43.5	61.5	54.5	36.5	252.5
ख--अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)							
1--नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	265	265	265	265	115	1175
2--नामांकन बालक	सं0	9375	9375	9375	9375	7125	44625
3--नामांकन बालिका	सं0	6250	6250	6250	6250	4750	29750
4--कुल नामांकन	सं0	15625	15625	15625	15625	11875	74375
5--अनुसूचित जाति का नामांकन							
क--बालक	सं0	1875	1875	1875	1875	1425	8925
ख--बालिका	सं0	1250	1250	1250	1250	950	5950
ग--योग	सं0	3125	3125	3125	3125	2375	14875
ग--प्रौढ़ शिक्षा							
1--नये केन्द्रों की स्थापना	सं0	360	300	300	300	310	1570
2--कुल नामांकन	सं0	10800	9000	9000	9000	9300	47100
3--अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकन	सं0	3000	3000	3000	3000	3000	15000
17--उचित दर की दुकानों में वृद्धि							
नई खोली गयी दुकानें	सं0	..	43	..	185	..	228
18--दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योगों कार्यक्रम							
1--ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	650	450	500	450	700	2750
2--उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	4150	2950	3300	2950	4400	17750
3--हथकरघा इकाइयां							
क--सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	सं0	100	50	50	50	200	450
ख--हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	800	..	..	..	..	800
4--हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	130.00	30.00	20.00	40.00	45.00	265.00
5--हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	800	..	..	..	..	800
6--दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	सं0	900	700	800	700	900	4000
7--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	सं0	1800	1400	1600	1700	1000	7500
8--अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	18	18	18	18	18	90
9--उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	36	180

आगरा मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	आगरा मण्डल					योग मण्डल
			आगरा	अलीगढ़	एटा	मैनपुरी	मथुरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1(अ)	सिंचन क्षमता में वृद्धि करना							
	क—वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हे0 हे0	..	..	..	..	..	..
	ख—राजकीय लघु सिंचाई	हे0 हे0	3.30	5.00	5.00	2.00	.	15.30
	ग—निजी लघु सिंचाई	हे0 हे0	18.00	19.00	13.00	16.00	12.00	78.00
	योग, सिंचन क्षमता		21.30	24.00	18.00	18.00	12.00	93.30
	घ—निजी लघु सिंचाई-अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा	हे0	..	80.0	25.0	12.5	7.5	125.0
	च—राजकीय नलकूप	सं0	33	25	25	20	..	103
1 (ब)	सूखी जमीन पर खेती							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	17400	12000	13200	15600	13800	72000
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	11600	8000	8800	10400	9200	48000
	ग—अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	..	625	625	2500	..	3125
	घ—सक्षम नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती—माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	18000	17000	15000	15000	14000	79000
	च—माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	11000	3000	7000	11000	9000	41000
2(अ)	दलहन विकास							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	7000	32500	51500	12000	22000	125000
	उत्पादन	मी0 टन	1800	7000	14600	2800	4800	31000
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	62800	77000	62000	25200	36000	263000
	उत्पादन	मी0 टन	69400	76500	67000	27100	37500	277500
	योग-क्षेत्रफल	हे0	69800	109500	113500	37200	58000	388000
	उत्पादन	मी0 टन	71200	83500	81600	29900	42300	308500

2(ब) तिलहन विकास										
क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	21700	3000	27100	21050	4800	77650
उत्पादन	मी0 टन	7170	1050	10284	93342	804	28650
ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	150000	100000	110000	125000	123000	608000
उत्पादन	मी0 टन	147600	63600	39600	75600	58800	385200
ग—योग—क्षेत्रफल	हे0	171700	103000	137100	146050	127800	685650
उत्पादन	मी0 टन	154770	64650	49884	84942	59604	413850
3(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम							
1—लाभान्वित परिवारों की सं0	सं0	10800	10200	9000	9000	7200	46200
2—लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की सं0	सं0	5400	5100	4500	4500	3600	23100
3(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम							
1—रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	5.63	6.26	5.60	5.56	2.34	26.39
2—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	79.81	88.68	79.36	78.83	47.28	373.96
4(ग) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी							
1—आवंटियों को आर्थिक सहायता							
कुल वितरित धनराशि	लाख रु0	0.20	6.00	1.80	1.74	3.00	12.74
6 बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन							
कुल पुनर्वासित मजदूर	संख्या	..	..	..	..	..	..
7 अनुसूचित जाति/जनजाति का विकास							
गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता—लाभार्थी							
1—अनुसूचित जाति	संख्या	11000	11000	6000	6000	6000	40000
2—अनुसूचित जनजाति	संख्या	..	..	..	..	..	..
8 समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था							
1—जल निगम द्वारा							
क—कुल ग्राम	संख्या	155	10	..	150	42	357
ख—समस्या ग्रस्त ग्राम	संख्या	141	10	..	150	33	334
2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था							
1—कुएं	संख्या	21	24	37	33	9	124
2—डिग्गी	संख्या	..	..	..	..	..	..

क्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	आगरा मण्डल					योग मण्डल
			आगरा	अलीगढ़	एटा	मैनपुरी	मथुरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 (अ)	आवास स्थल का आवंटन–आवास स्थल आवंटियों की संख्या							
	क—कुल	संख्या	400	400	700	400	400	2300
	ख—अनुसूचित जाति/जनजाति	संख्या	300	300	500	300	300	1700
9(ब)	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण ..							
	1—कुल निर्मित आवास	संख्या	82	91	91	73	119	456
	2—अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये निर्मित आवास ..	संख्या	66	74	73	59	96	368
	3—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	0.90	1.00	1.00	0.80	1.30	5.00
9(स)	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	संख्या	30	88	88	100	31	337
10	–मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार							
	लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	8000	17960	300	510		26770
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम							
	1—ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	41	71	37	88	27	264
	2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	6	13	13	20	22	74
	3—नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जा	संख्या	740	1285	725	1347	609	4706
12(अ)	वृक्षारोपण कार्यक्रम							
	–सामाजिक वानिकी							
	रोपित पौध	लाख सं0	16.34	10.35	3.00	8.50	9.00	47.19
	2—उत्पादन वानिकी							
	रोपित पौध	लाख सं0	..	..	..	..	..	..
	3—वृहद वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	80.00	80.00	60.00	80.00	80.00	380.00
	4—कुल वृक्षारोपण–रोपित पौध	लाख सं0	96.34	90.35	63.00	88.50	89.00	427.19
12(ब)	वायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत							
	1—बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	संख्या	445	298	296	356	213	1608
	1—हाई ड्रम	संख्या	..	..	..	..	..	..
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम—							
	1—स्टरलाइजेशन	सं0	21710	19470	13950	13070	11800	80000
	2—लूप निवेशन	सं0	12020	10770	7720	7240	6530	44280

3— सा0मा0 यूजश	सं0	5930	5310	3810	3570	3220	21840
4— ओरलपिल्स यूजर्स	सं0	1910	1710	1230	1150	1040	7040
प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम—							
क—स्वास्थ्य केन्द्र							
1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..
2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..
3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	23	55	25	36	17	156
ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम							
1—नये खोजे गये रोगी	सं0	560	540	300	130	560	2090
2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	560	540	300	130	560	2090
3—रोगमुक्त / रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	330	315	175	75	330	1225
ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम							
कैटरेक्ट आपरेशन	सं0	5016	4512	3231	3032	2714	18505
घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम							
बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	सं0	60000	51200	26600	24800	30000	193200
15—महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम							
1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार							
1—शिक्षा विभाग —							
क—कुल	सं0	1000	..	..	..	..	1000
ख—अनुसूचित जाति	सं0	500	..	..	..	..	500
2—ग्राम्य विकास—							
क—कुल	सं0	48	199	417	120	..	784
ख—अनुसूचित जाति	सं0	48	199	417	120	..	784
2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार							
1—शिक्षा विभाग							
क—कुल	सं0	9000	..	..	..	..	9000
ख—अनुसूचित जाति	सं0	4500	..	..	..	..	4500
2—ग्राम्य विकास							
क—कुल	सं0	96	403	837	240	..	1576
ख—अनुसूचित जाति	सं0	96	403	837	240	..	1576

सूत्र सं0	सूत्र सं0 सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	आगरा मण्डल					योग मण्डल
			आगरा	अलीगढ़	एटा	मैनपुरी	मथुरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार शिक्षा विभाग							
	क—कुल	सं0	28000	10000	10000	10000	..	58000
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	7000	2500	2500	2500	..	14500
	4—समन्वित बाल विकास योजना के लाभार्थी संख्या							
	क—कुल	सं0	..	..	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..	..
	5—टी0 टी0	सं0	64660	49570	39750	31230	33210	218420
	6—डी0 पी0 टी0	सं0	59040	45260	36300	28480	30320	199400
	7—डी0टी0	सं0	50610	38790	31110	24420	26000	170930
	8—आयरन फोलिक एसिड							
	1—माता	सं0	27270	23040	11970	11160	13500	86940
	2—बच्चे	सं0	27270	23040	11970	11160	13500	86940
	9—विटामिन 'ए'	सं0	75750	64000	33250	31000	37500	241500
	10 शिक्षा							
	क—औपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)							
	1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	31	..	2	3	.	36
	2—नामांकन बालक	ह0 सं0	237	268	182	187	177	1051
	3—नामांकन बालिका	ह0 सं0	105	91	62	83	78	419
	4—कुल नामांकन	ह0 सं0	342	359	244	270	255	1470
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन							
	क—बालक	ह0 सं0	45.5	48.5	28.5	32.5	24.5	179.5
	ख—बालिका	ह0 सं0	14..0	13.0	8.0	13.0	10.0	58.0
	ग—योग ..	ह0 सं0	59.5	61.5	36.5	45.5	34.5	237.5

ख—अनौपचारिक शिक्षा (6—14 आयु वर्ग)									
1—नये विद्यालयों की स्थापना	संo	265	265	265	265	215	1275
2—नामांकन बालक	संo	9375	9375	9375	9375	8625	46125
3—नामांकन बालिका	संo	6250	6250	6250	6250	5750	30750
4—कुल नामांकन	संo	15625	15625	15625	15625	14375	76875
5—अनुसूचित जाति का नामांकन							
क—बालक		1875	1875	1875	1875	1725	9225
ख—बालिका	संo	1250	1250	1250	1250	1150	6150
ग—योग	संo	3125	3125	3125	3125	2875	15375
ग—प्रौढ़ शिक्षा—							
1—नए केन्द्रों की स्थापना	संo	410	400	320	300	325	1755
2—कुल नामांकन	संo	12300	12000	9600	9000	9750	52650
3—अनुसूचित जाति / जन-जाति का नामांकन	संo	3000	3000	3000	3000	3000	15000
17—उचित दर की दुकानों में वृद्धि							
नई खोली गयी दुकानें	संo	202	11	69	31	85	398
18 दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम—							
1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	संo	350	300	150	150	250	1200
2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	संo	2850	2100	950	950	1950	8800
3—हथ करघा इकाइयां							
क—सहकारिता क्षेत्र में लाए गए करघे	संo	100	250	50	50	250	700
ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	संo	..	900	800	..	..	1700
4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	56.00	250.00	60.00	9.00	48.00	423.00
5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	संo	..	100	100	..	..	200
6—दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	संo	1100	600	200	200	700	2800
7—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग ..	संo	1800	1700	1500	1500	1200	7700
8—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	संo	18	18	18	18	18	90
9—उक्त (8) में सृजित रोजगार	संo	36	36	36	36	36	180

बरेली मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	बरेली मण्डल				
			बरेली	शाहजहांपुर	पीलीभीत	बदायूं	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना—						
	क—वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हजार हे0	..	..	2.60	..	2.60
	ख—राजकीय लघु सिंचाई ..	हजार हे0	7.40	2.10	0.30	5.00	14.80
	ग—निजी लघु सिंचाई ..	हजार हे0	12.50	15.00	10.50	14.00	52.00
	योग—सिंचन क्षमता		19.90	17.10	13.40	19.00	69.40
	घ—निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा)	हे0	12.00	5.00	62.50	7.50	87.50
	च—राजकीय नलकूप	सं0	74	21	3	25	123
1	(ब) सूखी जमीन पर खेती—						
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	15720	14400	7320	18960	56400
	ख—रबी क्षेत्रफल ..	हे0	10480	9600	4880	12640	37600
	ग—अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	6250	6250	6250	2500	21250
	घ—सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती माइक्रोसेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	15000	14000	7000	18000	54000
	च—माइक्रोसेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	11200	10000	5200	13600	40000
2	(अ) दलहन विकास						
	क—खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	21500	35000	18500	30000	105000
	उत्पादन	मी0ट0	5500	10000	4500	8000	28000
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	41500	48500	26500	50500	167000
	उत्पादन ..	मी0टन	42000	48500	18500	54000	163000
	योग—क्षेत्रफल ..	हे0	63000	83500	45000	80500	272000
	उत्पादन ..	मी0टन	47500	58500	23000	62000	191000
2	(ब) तिलहन विकास						
	क—खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	40300	32600	18100	85200	176200
	उत्पादन ..	मी0टन	20284	12834	4084	65200	102402
	ख—रबी क्षेत्रफल ..	हे0	57000	75000	60500	55500	248000
	उत्पादन ..	मी0टन	28100	60000	36800	26400	151300
	ग—योग—क्षेत्रफल ..	हे0	97300	107600	78600	140700	424200
	उत्पादन ..	मी0टन	48384	72834	40884	91600	253702
3	(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम						
	1—लाभान्वित परिवारों की संख्या	सं0	9000	8400	4200	10800	32400
	2—लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	सं0	4500	4200	2100	5400	16200
3	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम						
	1—रोजगार सृजन ..	लाख मानव दिवस	5.62	5.70	2.99	6.18	20.49
	2—अनुसूचित जाति / जन-जाति के सदस्यों को उपलब्ध रोजगार	,,	1.41	1.43	0.75	1.55	5.13

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	बरेली	शाहजहांपुर	पीलीभीत	बदायूं	योग मण्डल
	3—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	79.59	80.76	42.30	87.58	290.23
	4—अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिए प्रयुक्त धनराशि	,,	19.90	20.19	10.58	21.89	72.56
4(अ)	कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी—						
	1—आवंटियों को आर्थिक सहायता—						
	कुल वितरित धनराशि ..	लाख रु0	2.10	1.07	0.00	0.00	3.17
6	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन						
	कुल पुनर्वासित मजदूर	संख्या	..	..	..	..	..
7	अनुसूचित जाति / जन-जातियों का विकास—						
	गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गई सहायता						
	1—अनुसूचित जाति	सं0	5500	5000	2000	6000	18500
	2—अनुसूचित जन-जाति	सं0	..	..	..	..	..
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था—						
	1—जल निगम द्वारा—						
	क—कुल ग्राम ..	संख्या	238	182	150	369	939
	ख—समस्याग्रस्त ग्राम ..	संख्या	238	182	150	365	935
	2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था—						
	1—कुएं ..	संख्या	30	33	26	22	111
	2—डिग्गी ..	संख्या	..	..	..	..	..
9	(अ)—आवास स्थल का आवंटन— स्थल आवंटियों की संख्या—	आवास—					
	क—कुल ..	संख्या	2000	700	400	400	3500
	ख—अनुसूचित जाति / जन-जाति	संख्या	1500	500	300	300	2600
9	(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण						
	1—कुल निर्मित आवास ..	संख्या	31	364	142	73	610
	2—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	संख्या	25	293	115	59	492
	3—प्रयुक्त धनराशि ..	लाख रु0	0.36	3.96	1.54	0.81	6.67
9	(स) हरिजन एवं निर्बल आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	संख्या	90	80	80	75	325
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार—						
	लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	9000	..	..	3000	12000
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम—						
	1—ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	18	91	49	15	173
	2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	16	36	11	17	80
	3—नलकूपों / पंप सेटों का ऊर्जन	संख्या	274	644	678	401	1997
12	(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम—						
	1—सामाजिक वानिकी—						
	रोपित पौध	संख्या	1.80	2.80	10.00	10.00	24.60

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	बरेली	शाहजहांपुर	पीलीभीत	बदायूं	योग मण्डल
	2—उत्पादन वानिकी—						
	रोपित पौध ..	लाख सं0	..	..	9.80	..	9.80
	3—वृहद वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	60.00	65.00	60.00	100.00	285.00
	4—कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	61.80	67.80	79.80	110.00	319.40
1	(ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत						
	1—बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	संख्या	227	336	185	363	1161
	2—हाईड्रम ..	संख्या	..	..	..	..	..
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम—						
	1—स्टरलाइजेशन ..	सं0	17190	12510	7670	14900	52270
	2—लूप निवेशन ..	सं0	9510	6920	4250	8250	28930
	3—सी0सी0 यूजर्श ..	सं0	4690	3420	2100	4070	14280
	4—ओरल पिल्स यूजर्श ..	सं0	1510	1100	680	1310	4600
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम—						
	क—स्वास्थ्य केन्द्र—						
	1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	2	2
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	1	1
	3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	45	34	25	46	150
	4—सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..
	ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम						
	1—नये खोजे गये रोगी	सं0	950	1070	1370	390	3780
	2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	950	1070	1370	390	3780
	3—रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	560	630	800	230	2220
	ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम						
	कैटरेक्ट ग्रापरेशन ..	सं0	3983	2899	1770	3554	12106
	घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम						
	बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	सं0	36000	30000	24000	30000	120000
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम—						
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार						
	(1) शिक्षा विभाग ..						
	क—कुल ..	सं0	..	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..
	(2) ग्राम्य विकास—						
	क—कुल ..	सं0	40	76	76	80	272
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	40	76	76	80	272
	2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार						
	(1) शिक्षा विभाग						
	क—कुल ..	सं0	..	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	बरेली	शाहजहांपुर	पीलीभीत	बदायूं	योग मण्डल
	2—ग्राम्य विकास						
	क—कुल ..	सं0	80	163	163	160	566
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	80	163	163	160	566
	3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार—						
	शिक्षा विभाग						
	क—कुल ..	सं0	15200	18830	18830	..	52860
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	5000	5500	5500	..	16000
	4—समन्वित बाल विकास योजना के लाभार्थी संख्या—						
	(क) कुल ..	सं0	..	19200	..	..	19200
	(ख) अनुसूचित जाति ..	सं0	..	..	..	..	..
	5—टी0टी0 ..	सं0	41020	29940	18370	35730	125060
	6—डी0पी0टी0 ..	सं0	37450	27340	16770	32620	114180
	7—डी0टी0 ..	सं0	32100	23430	14380	27960	97870
	8—आयरन फोलिक एसिड						
	1—माता ..	सं0	14670	10800	6570	12780	44820
	2—बच्चे ..	सं0	14670	10800	6570	12780	44820
	9—विटामिन 'ए' ..	सं0	40750	30000	18250	35500	124500
16	शिक्षा—						
	(क) औपचारिक शिक्षा (6 से 14 आयु वर्ग)						
	1—नये विद्यालयों की स्थापना ..	सं0	..	3	4	7	14
	2—नामांकन बालक ..	ह0सं0	190	132	82	168	572
	3—नामांकन बालिका ..	ह0सं0	84	52	33	67	236
	4—कुल नामांकन ..	ह0सं0	274	184	115	235	808
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन						
	क—बालक ..	ह0सं0	22.5	20.5	8.5	33.5	85.0
	ख—बालिका ..	ह0सं0	6.0	7.0	2.2	13.0	28.2
	ग—योग ..	ह0सं0	28.5	27.5	10.7	46.5	113.2
	ख—अनौपचारिक शिक्षा (6 से 14 आयु वर्ग)						
	1—नये विद्यालयों की स्थापना ..	सं0	265	315	57	273	910
	2—नामांकन बालक ..	सं0	9375	10125	6255	9495	35250
	3—नामांकन बालिका ..	सं0	6250	6750	4170	6330	23500
	4—कुल नामांकन ..	सं0	15625	16875	10425	15825	58750
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन						
	क—बालक ..	सं0	1875	2025	1251	1899	7050
	ख—बालिका ..	सं0	1250	1350	834	1266	4700
	ग—योग ..	सं0	3125	3375	2085	3165	11750
	ग—प्रौढ़ शिक्षा—						
	1—नये केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	300	300	300	615	1515
	2—कुल नामांकन ..	सं0	9000	9000	9000	18450	45450
	3—अनुसूचित जाति/जन-जाति का नामांकन ..	सं0	3000	3000	3000	6800	15800
17	उचित दर की दुकानों में वृद्धि						
	नई खोली गई दुकानें ..	सं0	37	189	19	553	798

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	बरेली	शाहजहांपुर	पीलीभीत	बदायूं	योग मण्डल
18	दस्तकारी हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम—						
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	300	250	200	250	1000
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सें0	2100	1550	1200	1750	6600
	3—हथकरघा इकाइयां						
	क—सहकारिता क्षेत्र में लाये गए करघे	सं0	100	50	100	50	300
	ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिग्रहीत करघे	सं0	..	..	..	..	..
	4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन	(लाख मी0)	17.00	7.00	40.00	15.000	79.00
	5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	..	..	..	..	..
	6—दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	सं0	600	300	200	500	1600
	7—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	सं0	1500	1400	700	1800	5400
	8—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	18	18	18	18	72
	9—उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	144

मुरादाबाद मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य–1983–84

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	मुरादाबाद	बिजनौर	रामपुर	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
	1. (अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना––					
	क––वृहद एवं मध्यम सिंचाई ..	हजार है0	..	..	..	..
	ख––राजकीय लघु सिंचाई	हजार है0	5.60	3.10	2.80	11.50
	ग––निजी लघु सिंचाई	हजार है0	40.00	18.00	12.00	70.00
	योग, सिंचन क्षमता ..		45.60	21.10	14.80	81.50
	घ––निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों द्वारा)	है0	62.5	20.0	12.5	95.0
	च––राजकीय नलकूप	संख्या	56	31	28	115
	1––सूखी जमीन पर खेती					
	क––खरीफ क्षेत्रफल	है0	19380	13620	7200	40200
	ख––रबी क्षेत्रफल	है0	12920	9080	4800	26800
	ग––अल्पकालीन धान की नर्सरी ..	है0	6250	3750	3750	13750
	घ––सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती–.. माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	है0	20000	14000	9000	43000
	च––माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल ..	है0	12300	8700	3000	24000
	2. (अ) दलहन विकास––					
	क––खरीफ क्षेत्रफल	है0	30000	19500	10500	60000
	उत्पादन	मी0ट0	9100	5400	2700	17200
	ख––रबी क्षेत्रफल	है0	22000	20000	17000	59000
	उत्पादन	मी0ट0	21500	17000	18000	56500
	योग क्षेत्रफल ..	है0	52000	39500	27500	119000
	उत्पादन ..	मी0ट0	30600	22400	20700	73700
	2 (ब) तिलहन विकास:					
	क–खरीफ क्षेत्रफल	है0	39400	25200	14400	79000
	उत्पादन	मी0ट0	25390	15190	2410	42990
	ख––रबी क्षेत्रफल	है0	38500	42500	52500	133500
	उत्पादन	मी0 टन	21250	30850	30850	82950
	ग––योग क्षेत्रफल	है0	77900	67700	66900	212500
	उत्पादन	मी0टन	46640	46040	33260	125940
	3. (क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम					
	1––लाभान्वित परिवारों की संख्या ..	संख्या	11400	6600	3600	21600
	2––लाभान्वित अनु0 जाति के परिवारों की सं0	संख्या	5700	3300	1800	10800
	3 (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम					
	1––रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	7.22	5.39	2.87	15.48
	2––प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	102.35	76.39	40.62	219.36
	4. (अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी ..					
	1––आवंटियों को आर्थिक सहायता कुल वितरित धनराशि ..	लाख रु0	3.42	1.35	0.30	5.07

सूत्र सं0 सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	मुरादाबाद	बिजनौर	रामपुर	योग मण्डल
6--बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन					
कुल पुनर्वासित मजदूर	संख्या	..	..	..	..
7--अनुसूचित जाति/जनजातियों का विकास					
गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता--लाभार्थी	संख्या	9000	7000	3000	19000
1--अनुसूचित जाति					
2--अनुसूचित जनजाति	संख्या	..	60	..	60
8--समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था					
1--जल निगम द्वारा					
क--कुल ग्राम	संख्या	149	45	248	442
ख--समस्याग्रस्त ग्राम ..	संख्या	149	8	248	405
2--हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था					
1--कुएं	संख्या	35	22	11	68
2--डिग्गी	संख्या	..	..	..	..
9 (अ) आवास स्थल आबंटन-आवास-स्थल आबंटियों की संख्या					
क--कुल	संख्या	4500	1500	1000	7000
ख--अनुसुचित जाति/जनजाति ..	संख्या	3500	1000	800	5300
9 (ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण--					
1--कुल निर्मित आवास	संख्या	275	138	141	554
2--अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	संख्या	223	112	114	449
2--प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	3.00	1.50	1.54	6.04
9 (स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	संख्या	63	90	100	253
10--मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार					
लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	6000	3000	..	9000
11 विद्युत् उत्पादन कार्यक्रम--					
1--ग्रामीण विद्युती करण	संख्या	55	71	20	146
2--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण ..	संख्या	44	10	5	59
3--नलकूप/पम्पसेटों का उर्जन ..	संख्या	1460	1114	344	2918
12 (अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम--					
1--सामाजिक वानिकी रोपित पौध	लाख सं0	10.00	14.00	3.00	27.00
2--उत्पादन वानिकी-रोपित पौध ..	लाख सं0	..	5.27	..	5.27
3--वृहद वृक्षारोपण-रोपित पौध ..	लाख सं0	80.00	100.00	40.00	220.00
4--कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध ..	लाख सं0	90.00	119.27	43.00	252.27
12 (ब) वायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत					
1. बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र ..	संख्या	475	254	203	932
2. हाई ड्रम	संख्या	..	..	..	..

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	मुरादाबाद	बिजनौर	रामपुर	योग मण्डल
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम—					
	1—स्टरलाइजेशन	संख्या	23910	14620	8930	47460
	2—लूप निवेशन	संख्या	13240	8090	4690	26020
	3—सी0सी0यूजर्श	संख्या	6530	3990	2440	12960
	4—ओरलपिल्स यूजर्श	संख्या	2100	1290	790	4180
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम—					
	1—प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों की स्थापना ..	संख्या	..	..	1	1
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	संख्या	..	..	..	..
	3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या	..	32	34	120
	ख—कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम—					
	1—नये खोजे गये रोगी	संख्या	950	390	690	2030
	2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	संख्या	950	390	690	2030
	3—रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी ..	संख्या	560	230	400	1190
	ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम—					
	कैटरेक्ट आपरेशन	संख्या	5542	3386	2070	10998
	घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम ..					
	बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन ..	संख्या	36000	32800	17000	85800
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम					
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार					
	1—शिक्षा विभाग—					
	क—कुल	संख्या	1000	..	..	1000
	ख—अनुसूचित जाति	संख्या	500	..	..	500
	2—ग्राम्य विकास					
	क—कुल	संख्या	278	103	242	623
	ख—अनुसूचित जाति	संख्या	278	103	242	623
	2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार					
	1—शिक्षा विभाग					
	क—कुल	संख्या	9000	..	..	9000
	ख—अनु0 जाति	संख्या	4500	..	..	4500
	2—ग्राम्य विकास					
	क—कुल	संख्या	558	207	484	1249
	ख—अनुसूचित जाति	संख्या	558	207	484	1249
	3 स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार					
	शिक्षा विभाग					
	क—कुल	संख्या	28000	..	16000	44000
	ख—अनुजाति	संख्या	7000	..	4000	11000
	4—समन्वित बाल विकास योजना के लाभार्थी	संख्या	..	..	..	..
	क—कुल	संख्या	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जाति	संख्या	..	..	..	..
	5. टी0टी0..	संख्या	60890	37240	21400	119530
	6. डी0पी0टी0	संख्या	55600	34000	19520	109120
	7. डी0टी0	संख्या	47650	29140	16740	93530
	8. आयरन फोलिक एसिड ..					
	1—माता	संख्या	22680	14760	7650	45090
	2—बच्चे	संख्या	22680	14760	7650	45090
	9. विटामिन 'ए'	संख्या	63000	41000	22150	126150

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्य क्रम	इकाई	मुरादाबाद	बिजनौर	रामपुर	योग मण्डल
16—शिक्षा—						
	क—औपचारिक शिक्षा (6 से 14 आयु वर्ग)					
	1—नये विद्यालयों की स्थापना ..	संख्या	1	1	4	6
	2. नामांकन बालक	ह0सं0	273	147	77	497
	3. नामांकन बालिका	ह0सं0	108	62	28	198
	4. कुल नामांकन	ह0सं0	381	209	105	695
	5. अनुसूचित जाति का नामांकन—					
	क—बालक	ह0सं0	42.5	30.5	12.0	85.0
	ख—बालिका	ह0सं0	17.0	16.0	2.2	35.2
	ग—योग	ह0सं0	59.5	46.5	14.2	120.2
	ख—अनौपचारिक शिक्षा (6 से 14 आयु वर्ग)					
	1—नये विद्यालयों की स्थापना ..	संख्या	330	165	..	495
	2. नामांकन बालक	संख्या	10350	7875	5400	23625
	3. नामांकन बालिका	संख्या	6900	5250	3600	15750
	4. कुल नामांकन	संख्या	17250	13125	9000	39375
	5 अनुसूचित जाति का नामांकन—					
	क—बालक	संख्या	2070	1575	1080	4725
	ख—बालिका	संख्या	1380	1050	720	3150
	ग—योग	संख्या	3450	2625	1800	7875
	ग—प्रौढ़ शिक्षा—					
	1—नये केन्द्रों की स्थापना	संख्या	300	315	315	930
	2—कुल नामांकन	संख्या	9000	9450	9450	27900
	3—अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकन	संख्या	3000	3400	3000	9400
17—उचित दर की दुकानों में वृद्धि—						
	नई खोली गयी दुकानें	संख्या	126	7	..	133
18—दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम						
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना ..	संख्या	450	145	300	895
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन ..	संख्या	3450	1225	2000	6675
	3—हथकरघा इकाइयां					
	क—सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे ..	संख्या	100	50	50	200
	ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	संख्या	600	..	600	1200
	4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन ..	(लाख मी0)	365.00	110.00	20.00	495.00
	5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति) ..	संख्या	150	500	150	800
	6—दस्तकारी इकाइयों की स्थापना ..	संख्या	1200	500	500	2200
	7. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	संख्या	1900	1100	600	3600
	8. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	संख्या	18	18	18	54
	9. उक्त (8) में सृजित रोजगार ..	संख्या	36	36	36	108

इलाहाबाद मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य–1983–84

क्र.सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	इलाहाबाद मण्डल: इलाहाबाद	कानपुर	फतेहपुर	फर्रुखाबाद	इटावा	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना							
	क–वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हजार हे0	7.00	3.90	..	..	..	10.90
	ख–राजकीय लघु सिंचाई	ह0 हे0	9.30	5.10	4.00	4.20	7.70	30.30
	ग–निजी लघु सिंचाई	ह0 हे0	16.00	13.00	10.00	15.00	11.50	65.50
	योग, सिंचन क्षमता		32.30	22.00	14.00	19.20	19.20	106.70
	घ–निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जा0/जनजाति के परिवारों द्वारा) ..	हे0	..	25.0	..	..	32.5	57.5
	च–राजकीय नलकूप	संख्या	93	26	20	42	77	258
1	(ब) सूखी जमीन पर खेती–							
	क–खरीफ क्षेत्रफल	हे0	28275	23250	13425	13845	14925	93720
	ख–रबी क्षेत्रफल	हे0	18850	15500	8950	9230	9950	62480
	ग–अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	7500	3125	5000	1250	2500	19375
	घ–सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती–माइक्रोसेड के बाहर क्षेत्रफल ..	हे0	27000	24000	13000	14000	14000	92000
	च–माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	20125	14750	9375	9075	10875	64200
2–	(अ) दलहन विकास:							
	क–खरीफ क्षेत्रफल	हे0	13000	19000	14000	22000	20000	88000
	उत्पादन	मी0टन0	2900	5500	3400	7200	5000	24000
	ख–रबी क्षेत्रफल	हे0	120200	98500	81000	31000	62800	393500
	उत्पादन	मी0टन0	175800	147800	127750	46500	92650	590500
	योग क्षेत्रफल	हे0	133200	117500	95000	53000	82800	481500
	उत्पादन	मी0टन0	178700	153300	131150	53700	97650	614500

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	इलाहाबाद	कानपुर	फतेहपुर	फर्रुखाबाद	इटावा	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	(ब) तिलहन विकास—							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	22100	21400	23600	34600	18600	120300
	उत्पादन	मी0 टन	2184	914	4434	16734	2634	26900
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	108000	120100	103000	97100	107200	535400
	उत्पादन	मी0 टन	38100	123060	33400	55960	80120	330640
	ग—योग क्षेत्रफल	हे0	130100	141500	126600	131700	125800	655700
	उत्पादन	मी0 टन	40284	123974	37834	72694	82754	357540
3	(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम—							
	1—लाभान्वित परिवारों की संख्या	सं0	16200	12000	7800	8400	8400	52800
	2—लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	सं0	8100	6000	3900	4200	4200	26400
3	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—							
	1—रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	18.10	11.35	7.17	6.40	5.72	48.74
	3—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	196.05	132.39	83.65	90.49	81.04	583.62
4	(अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी—							
	1—आवंटियों को आर्थिक सहायता							
	कुल वितरित धनराशि	लाख रु0	3.00	0.44	0.00	1.04	0.20	4.78
6	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन—							
	कुल पुनर्वासित मजदूर	सं0	..	..	19	..	..	19
7	अनुसूचित जाति / जन-जाति का विकास—							
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता—लाभार्थी							
	1—अनुसूचित जाति	सं0	16000	15000	6000	6000	8000	51000
	2—अनुसूचित जन-जाति	सं0	..	..	..	..	..	..
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था							
	1—जल निगम द्वारा—							
	क—कुल ग्राम	सं0	256	30	29	352	316	983
	ख—समस्याग्रस्त ग्राम	सं0	253	..	27	342	316	938

2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था—-							
1—कुंए	सं0	55	24	29	22	22	152
2—डिग्गी	सं0	..	..	..	..	..	..
9 (अ) आवास स्थल का आवंटन—आवास							
स्थल आवंटियों की संख्या—-							
क—कुल	सं0	400	900	400	400	400	2500
ख—अनुसूचित जाति / जन-जाति	सं0	300	800	300	300	300	2000
9 (ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण—-							
1—कुल निर्मित आवास	सं0	229	144	..	91	102	566
2—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	सं0	186	117	..	74	83	460
3—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	2.50	1.58	..	1.00	1.12	6.20
9 (स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	सं0	100	190	81	90	90	551
10 मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार—-							
लाभान्वित जन संख्या	सं0	17000	37630	1300	940	..	56870
11 विद्युत उत्पादन कार्यक्रम—-							
1—ग्रामीण विद्युतीकरण	सं0	58	40	33	13	8	152
2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	सं0	63	24	36	15	9	147
3—नलकूपों / पम्प सेटों का ऊर्जन	सं0	991	578	454	311	121	2455
12 (अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम—-							
1—सामाजिक वानिकी रोपित पौधे	लाख सं0	6.00	8.30	10.00	3.00	8.00	35.30
2—उत्पादन वानिकी रोपित पौधे	लाख सं0	..	..	..	..	..	..
3—वृहद वृक्षारोपण-रोपित पौधे	लाख सं0	110.00	70.00	60.00	60.00	60.00	360.00
4—कुल वृक्षारोपण—रोपित पौधे	लाख सं0	116.00	78.30	70.00	63.00	68.00	395.30
12 (ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत							
1—बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	संख्या	633	506	359	377	338	2213
2—हाईड्रम	संख्या	..	..	..	..	..	..
13—परिवार कल्याण कार्यक्रम—-							
1—स्टरलाइजेशन	संख्या	28700	28740	11880	14780	13260	97360
2—लूप निवेशन	संख्या	15880	15900	6580	8180	7340	53880

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	इलाहाबाद मण्डल					योग मण्डल
			इलाहाबाद	कानपुर	फतेहपुर	फर्रुखाबाद	इटावा	मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3--सी0सी0यूजर्श	संख्या	7840	7840	3240	4040	3620	26580
	4--ओरलपेल्स यूजर्श	संख्या	2530	2530	1040	1300	1170	8570
	14-प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम--							
	क--स्वास्थ्य केन्द्र							
	1--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या	..	..	..	..	..	..
	2--हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या		..	..	..	..	..
	3-- प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या	50	50	17	32	23	172
	ख-कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम--							
	1--नये खोजे गये रोगी	संख्या	1630	2750	820	820	690	6710
	2--नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	संख्या	1630	2750	820	820	690	6710
	3--रोगमुक्त (रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	संख्या	950	1600	480	480	400	3910
	ग-दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम--							
	कैटरैक्ट आपरेशन	ह0सं0	6648	6666	2766	3522	3075	22677
	घ-क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम--							
	1-बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	ह0सं0	59600	54600	30600	37800	34000	216600
	15. महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम--							
	1. गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार							
	1. शिक्षा विभाग							
	क--कुल	संख्या	1050	2900	..	..	..	3950
	ख--अनुसूचित जाति	संख्या	500	1500	..	..	..	2000
	2. ग्राम्य विकास							
	क--कुल	संख्या	100	179	100	103	64	546
	ख--अनुसूचित जाति	संख्या	100	179	100	103	64	546
	2. 6 वर्ष से कम उम्रवाले बच्चों को पुष्टाहार--							
	1. शिक्षा विभाग							
		संख्या	9000	26100		..	..	35100

ख–अनुसूचित जाति	संख्या	3000	7000	..	..	..	10000
2. ग्राम्य विकास											
क—कुल	संख्या	200	350	200	208	128	1094
ख—अनुसूचित जाति	संख्या	200	358	200	208	128	1094
3. स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार—											
शिक्षा विभाग											
क—कुल	संख्या	..	10000	18830	..	10000	38830
ख अनुसूचित जाति	संख्या	..	2500	5000	..	2500	10000
4—समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना लाभार्थी											
क—कुल	संख्या	..	..	..	..	..	..
ख—अनुसूचित जाति	संख्या	..	..	..	.	..	..
5—टी0टी0	संख्या	77240	68950	33960	43030	37740	260920
6—डी0पी0टी0	संख्या	70530	62950	31010	39280	34460	238230
7—डी0टी0	संख्या	60450	53950	26580	33680	29540	204200
8—आयरन फोलिक एसिड											
1—माता	संख्या	26820	24570	13770	17010	15300	97470
2—बच्चे	संख्या	26820	24570	13770	17010	15300	97470
9—विटामिन 'ए'	संख्या	74500	68250	38250	47250	42500	270750
16—शिक्षा—											
क—औपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)											
1. नये विद्यालयों की स्थापना	संख्या	5	13	..	..	..	18
2. नामांकन बालक	ह0सं0	320	401	172	197	216	1306
नामांकन बालिका	ह0सं0	128	244	68	99	108	647
3. कुल नामांकन	ह0 सं0	448	645	240	296	324	1953
4 अनु0 जाति का नामांकन											
क–बालक	ह0सं0	51.5	73.5	28.5	33.5	38.5	225.5
ख–बालिका .. .. .. से	ह0सं0	23.0	36.0	4.0	15.0	26.0	104.0
योग	ह0सं0	74.5	109.5	32.5	48.5	64.5	329.5
1—अनौपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)											
1. नये विद्यालयों की स्थापना	संख्या	315	315	265	315	315	1525
2. नामांकन बालक	संख्या	10125	10125	9375	10125	10125	49875

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	इलाहाबाद	कानपुर	फतेहपुर	फर्रुखाबाद	इटावा	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. नामांकन बालिका	संख्या	6750	6750	6250	0750	6750	33250
	4. कुल नामांकत	संख्या	16875	16875	15625	16875	16875	83125
	5. अनुसूचित जाति का नामांकन							
	क--बालक	संख्या	2025	2025	1875	2025	2025	9975
	ख--बालिका	संख्या	1350	1350	1250	1350	1350	6650
	ग-योग	संख्या	2375	2375	3125	2375	2375	16625
	ग--प्रौढ़ शिक्षा							
1.	नये केन्द्रों की स्थापना	संख्या	330	340	350	15	310	1645
2.	कुल नामांकन	संख्या	9900	10200	10500	9450	9300	49350
3.	अनु0 जाति/जनजाति का नामांकन	संख्या	3000	3000	3000	3000	3000	15000
17.	उचित दर की दुकानों में वृद्धि							
	नई खोली गयी दुकानें	संख्या	98	415	44	49	23	629
18.	दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम--							
1.	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	संख्या	355	425	200	200	270	1450
2.	उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	संख्या	2375	2725	1600	1800	1950	10450
	3--हथकरघा इकाईयां							
	क---सहकारिता क्षेत्र में लाये गए करघे	संख्या	100	750	100	50	150	1150
	ख---हथक घा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	संख्या	..	..	..	..	..	..
4.	हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	45.00	320.00	22.00	60.00	188.00	635.00
5.	हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	संख्या	..	..	..	..	..	..
6.	दस्तकारी इकाईयों की स्थापना	संख्या	600	600	600	800	600	3200
7.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग ..	संख्या	2700	2000	1300	1400	1400	8800
8.	अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	संख्या	18	18	18	18	18	90
9.	उक्त (8) में सृजित रोजगार	संख्या	36	36	36	36	36	180

झांसी मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983-84

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	झांसी मण्डल					योग मण्डल
			झांसी	बांदा	हमीरपुर	जालौन	ललितपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—(अ)	सिंचन क्षमता में वृद्धि करना							
	क—वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हजार हे0	..	..	..	..	3.50	3.50
	ख—राजकीय लघु सिंचाई	हजार हे0	2.10	5.00	4.50	5.00	..	16.60
	ग—निजी लघु सिंचाई	हजार हे0	40.50	53.50	38.50	36.50	27.50	196.50
	योग सिंचन क्षमता		42.60	58.50	43.00	41.50	31.00	216.60
	घ—निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जा0/जनजाति के परिवारों द्वारा) ..	हे0	132.5	105.0	125.0	125.0	..	487.5
	च—राजकीय नल कूप	संख्या	21	25	45	25	..	116
1—(ब)	सूखी जमीन पर खेती—							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	11280	19200	18000	18000	12720	79200
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	7520	12800	12000	12000	8480	52800
	ग—अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	..	5000	..	..	625	5625
	घ—सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती—माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	10000	14000	14000	12000	10000	60000
	च-माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल..	हे0	8800	18000	16000	18000	11200	72000
2. (अ)	दलहन विकास—							
	क—खरीफ क्षेत्र	हे0	9000	1500	7250	8250	19000	45000
	उत्पादन	मी0ट0	3700	500	3050	3550	6200	17000
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	129000	223800	232000	183500	32700	801000
	उत्पादन	मी0ट0	96800	188800	200000	133500	23900	643000
	योग क्षेत्रफल	हे0	138000	225300	239250	191750	51700	846000
	उत्पादन	मी0 टन	100500	189300	203050	137050	30100	660000

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	झांसी मण्डल					योग मण्डल
			झांसी	बांदा	हमीरपुर	जालौन	ललितपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	(ब) तिलहन विकास							
	क---खरीफ क्षेत्रफल	हे0	47700	25800	54100	15800	27250	170650
	उत्पादन	मी0ट0	19170	11690	26200	5890	13430	76380
	ख---रबी क्षेत्रफल	हे0	52000	69100	107000	113000	54000	395100
	उत्पादन	मी0टन	24250	29120	52250	66650	26650	198920
	योग क्षेत्रफल	हे0	99700	94900	161100	128800	81250	565750
	उत्पादन	मी0टन	43420	40810	78450	72540	40080	275300
3.	(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम--							
	1--लाभान्वित परिवारों की संख्या	संख्या	4800	7800	6600	5400	3600	28200
	2--लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	संख्या	2400	3900	3300	2700	1800	14100
3.	(ख)--राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम---							
	1---रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	3.55	6.64	5.03	3.76	1.61	20.59
	2 -प्रयुक्त धनराशि	लाख रुपया	41.38	77.49	58.73	43.84	18.83	240.27
4---	कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी							
	1---प्राबंटियों को आर्थिक सहायता--							
	कुल वितरित धनराशि	लाख रु0	1.10	5.19	9.25	1.00	1.00	17.54
6---	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन							
	कुल पुनर्वासित मजदूर	संख्या	..	13	2	..	..	15
7	अनुसूचित जाति/जनजातियों का विकास							
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता--लाभार्थी							
	1---अनुसूचित जाति	संख्या	8000	7000	6500	6000	4000	31500
	2---अनुसूचित जन जाति	..	..	..	..	..	..	..
8	समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था---							
	1--जल निगम द्वारा---							
	क---कुल ग्राम	संख्या	155	123	160	214	झांसी में सम्मिलित	652

ख--समस्याग्रस्त ग्राम	संख्या	152	123	142	164	झांसी में सम्मिलित	581
2--हरिजन बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था--							
1--कुएं	संख्या	9	25	11	47	15	107
2--डिग्गी	संख्या	..	..	..	..	..	..
9. (अ) आवास स्थल का आबंटन-आवास स्थल आवंटियों की संख्या							
क--कुल	संख्या	4900	400	400	400	400	6500
ख--अनुसूचित जाति/जनजाति	संख्या	4000	300	300	300	300	5200
9 (ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण--							
1--कुल निर्मित आवास	संख्या	45	137	22	91	45	340
2--अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास ..	संख्या	37	110	18	74	37	276
3--प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	0.50	1.50	0.25	1.00	0.50	3.75
9 (स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास							
10 मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार--लाभान्वित जनसंख्या	संख्या	100	90	90	90	90	460
11--विद्युत उत्पादन कार्यक्रम	संख्या	..	3000	1000	1200	..	5200
1--ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	43	112	75	27	49	306
2--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	22	62	38	17	23	162
3--नलकूपों/पम्पसेटों का उर्जन	संख्या	224	273	206	126	69	898
12(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम--							
1--सामाजिक वानिकी रोपित पौध	लाख सं0	10.00	11.00	17.50	23.50	12.00	74.00
2--उत्पादन वानिकी रोपित पौध	लाख सं0	3.68	2.45	..	0.86	2.20	9.19
3--वृहद् वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	20.64	30.00	20.00	20.00	27.00	117.64
4--कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	34.32	43.45	37.50	44.36	41.20	200.83
12 (ब) वायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत--							
बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	संख्या	336	336	308	215	274	1469
13--परिवार कल्याण कार्यक्रम--							
1--स्टरलाइजेशन	संख्या	8640	11670	9050	7490	4440	41290
2--लूप निवेशन	संख्या	4780	6460	5010	4150	2460	22860
3--सी0 सी0 यूजर्श	संख्या	2360	3190	2470	2050	1210	11280
4--ओरल पिल्स यूजर्स	संख्या	760	1030	800	660	390	3640

सूचक सं0	सूचक से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	झांसी मण्डल					योग मण्डल
			झांसी	बांदा	हमीरपुर	जालौन	ललितपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14—प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम								
क—स्वा0 केन्द्र								
1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना		संख्या	..	..	..	..	..	..
2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना		संख्या	..	..	..	..	..	..
3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना		संख्या	..	8	8	..	..	16
ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम—								
1—नये खोजे गए रोगी		संख्या	1030	1550	1900	1200	560	6240
2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी		संख्या	1030	1550	1900	1200	560	6240
5—रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी		संख्या	600	900	1100	700	330	3630
ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम—								
कटरैक्ट आपरेशन		संख्या	1992	2702	2100	1737	1033	9564
घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम—								
बी0 सी0 जी0 वैक्सीनेशन		संख्या	27200	27200	17200	18200	18400	108200
15—महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम								
1—गर्भवती महिलाओं की पुष्टाहार								
1— शिक्षा विभाग								
क—कुल		संख्या	400	500	400	400	300	2000
ख—अनुसूचित जाति		संख्या	200	250	200	200	150	1000
2—ग्राम्य विकास								
क—कुल		संख्या	118	516	142	54	68	898
ख—अनुसूचित जाति		संख्या	118	516	142	54	68	898
2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार								
1—शिक्षा विभाग								
क—कुल		संख्या	3600	4500	3600	3600	2700	18000
ख—अनुसूचित जाति		संख्या	1800	2250	1800	1800	1350	9000

क–कुल	संख्या	240	1036	284	109	136	1805
ख–अनुसूचित जाति	संख्या	240	1036	284	109	136	1805
3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार—शिक्षा विभाग							
क–कुल	संख्या	16000	18000	18000	18000	16000	86000
ख–अनुसूचित जाति	संख्या	4000	4500	4500	4500	4000	21500
15—समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना–लाभार्थी							
क–कुल	संख्या	9600	..	..	..	..	9600
ख–अनुसूचित जाति	संख्या	..	..	..	..	..	..
2—टी0 टी0	संख्या	25670	29680	23150	19110	10570	10818
3—डी0 पी0 टी0	संख्या	23430	27110	21150	17460	9650	98800
4—डी0 टी0	संख्या	20080	23230	18120	14970	8270	84670
5—आयरन फोलिक एसिड	संख्या	12240	12240	7740	6390	3780	42390
1—माता							
2—बच्चे	संख्या	12240	12240	7740	6390	3780	42390
3—विटामिन 'ए'	संख्या	34000	34000	21500	17750	10500	117750
16—शिक्षा—							
क–औपचारिक शिक्षा (6 से 14 आयु वर्ग)							
1—नये विद्यालयों की स्थापना	संख्या	2	8	..	2	1	13
2—नामांकन बालक	ह0 स0	121	137	127	104	53	542
3—नामांकन बालिका	ह0 स0	57	56	52	49	21	235
4—कुल नामांकन	ह0सं0	178	193	179	153	74	777
5—अनु0 सूचित जाति का नामांकन							
क—बालक	ह0 सं0	32.5	24.5	22.5	27.5	11.0	118.0
ख—बालिका	ह0 सं0	12.0	9.0	15.0	11.0	4.2	51.2
योग	ह0 सं0	44.5	33.5	37.5	38.5	15.2	169.2
ख—अनौपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)							
1—नये विद्यालयों की स्थापना	संख्या	115	223	222	265	..	725
2—नामांकन बालक	संख्या	7125	8745	8730	7875	5400	37875
3—नामांकन बालिका	सख्या	4750	5830	5820	5250	3600	25250
4—कुल नामांकन	संख्या	11875	14575	14550	13125	9000	63125

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	झांसी मण्डल					योग मण्डल
			झांसी	बांदा	हमीरपुर	जालौन	ललितपुर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन							
	क—बालक	संख्या	1425	1749	1992	1575	1080	7821
	ख—बालिका	संख्या	950	1166	1328	1050	720	5214
	ग—योग	संख्या	2375	2915	3320	2625	1800	13035
	घ—प्रौढ़ शिक्षा							
	1—नये केन्द्रों की स्थापना	संख्या	375	335	300	310	300	1620
	2—कुल नामांकन	संख्या	11250	10050	9000	9300	9000	48600
	3—अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकन	संख्या	3000	3000	3000	3000	3400	15400
	17—उचित दर की दुकानों में वृद्धि—							
	नई खोली गयी दुकानें	संख्या	35	..	83	38	24	180
	18—दस्तकारी हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम							
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	संख्या	240	100	100	120	120	680
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	संख्या	1800	1100	700	1000	1200	5800
	3—हथकरघा इकाइयां—							
	क—सहकारिता क्षेत्र में लाये गए करघे	संख्या	400	50	50	100	50	650
	ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिग्रहीत करघे	संख्या	..	..	..	..	..	..
	4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	170.00	8.00	16.00	18.00	1.00	213.00
	5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	संख्या	..	..	..	..	..	..
	6—दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	संख्या	600	600	200	400	600	2400
	7—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग ..	सं0	800	1300	1100	900	600	4700
	8—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	18	16	16	16	16	82
	9—उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	32	32	32	32	164

वाराणसी मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य 1983-84

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	वाराणसी मण्डल					योग मण्डल
			वाराणसी	जौनपुर	मिर्जापुर	गाजीपुर	बलिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना—							
	क—वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हे0 हे0	..	..	20.00	..	..	20.00
	ख—राजकीय लघु सिंचाई	हे0 हे0	3.80	5.50	1.60	3.50	6.30	20.70
	ग—निजी लघु सिंचाई	हे0 हे0	12.00	16.00	5.50	14.00	12.00	59.50
	योग—सिंचन क्षमता		15.80	21.50	27.10	17.50	18.30	100.20
	घ—निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति/ अन-जाति के परिवारों द्वारा)	हे0	..	225.0	25.0	50.0	125.0	425.00
	च—राजकीय नलकूप	सं0	38	30	16	35	38	157
1	(ब) सूखी जमीन पर खेती—							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	20640	19740	33810	14100	16080	101400
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	13760	13160	20560	9400	10720	67600
	ग—अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	8750	5000	5000	6250	6250	31250
	घ—सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती—माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	22000	20000	20000	18000	18000	98000
	च—माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	12400	12900	31400	5500	8800	71000
2	(अ) दलहन विकास—							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	21500	24000	5000	19000	10500	80000
	उत्पादन	मी0टन	5100	7800	1800	4100	2200	21000
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	63000	44200	71800	56500	60500	296000
	उत्पादन	मी0टन	62500	46100	71400	54000	58000	292000
	योग—क्षेत्रफल	हे0	84500	68200	76800	75500	71000	376000
	उत्पादन	मी0टन	67600	53900	73200	58100	60200	313000

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	वाराणसी मण्डल					योग मण्डल
			वाराणसी	जौनपुर	मिर्जापुर	गाजीपुर	बलिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	(ब) तिलहन विकास--							
	क--खरीफ क्षेत्रफल	हे0	21750	18650	28050	15650	15350	99450
	उत्पादन	मी0 टन0	1844	694	6544	654	364	10100
	ख--रबी क्षेत्रफल	हे0	55000	47500	70000	51500	46500	270500
	उत्पादन	मी0 टन	28700	15200	45900	23100	19700	132600
	ग--योग--क्षेत्रफल	हे0	76750	66150	98050	67150	61850	369950
	उत्पादन	मी0 टन	30544	15894	52444	23754	20064	142700
3	(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम--							
	1--लाभान्वित परिवारों की संख्या	सं0	13203	12000	12000	9600	10800	57600
	2--लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	सं0	6600	6000	6000	4800	5400	28800
3	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम--							
	1--रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	13.77	15.07	11.67	8.76	9.02	60.29
	2--प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	170.84	163.31	126.39	94.89	97.73	653.16
4	(अ) कृषि भूमि की हदबन्दी--							
	1--प्रावंटियों को आर्थिक सहायता--							
	कुल वितरित धनराशि	लाख रु0	0.50	0.50	26.95	0.00	0.20	28.15
6	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन--							
	कुल पुनर्वासित मजदूर	सं0	..	..	22	..	..	22
7	अनुसूचित जाति / जन-जातियों का विकास--							
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता-लाभार्थी--							
	1--अनुसूचित जाति	सं0	12000	11000	12500	7000	6000	48500
	2--अनु0 जन जाति	सं0	..	..	..	..	..	..
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था--							
	1--जल निगम द्वारा--							
	क--कुल ग्राम	सं0	494	167	570	159	350	1740
	ख--समस्याग्रस्त ग्राम	सं0	425	165	546	147	311	1594

	2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था—									
	1—कुएं	सं0	25	29	27	25	21	127
	2—डिग्गी	सं0	..	..	..	..	..	..
9	(अ) आवास स्थल का आवंटन—आवास— स्थल आवंटियों की संख्या—							
	क—कुल	सं0	500	500	500	1500	500	3500
	ख—अनुसूचित जाति / जन-जाति	सं0	400	400	400	1200	400	2800
9	(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण—							
	1—कुल निर्मित आवास	सं0	300	..	..	45	84	429
	2—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	सं0	242	..	..	37	68	347
	3—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	3.26	..	..	0.50	0.92	4.68
9	(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण ..	सं0	50	21	75	90	90	326
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार—							
	लाभान्वित जनसंख्या	सं0	17000	3000	..	660	1900	22560
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम—							
	1—ग्रामीण विद्युतीकरण	सं0	42	139	86	108	69	444
	2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	सं0	34	17	50	12	41	154
	3—नलकूपों / पम्पसेटों का ऊर्जन	सं0	741	2172	182	1661	828	5584
12	(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम—							
	1—सामाजिक बानिकी— रोपित पौध	लाख सं0	10.20	10.00	18.00	6.00	5.00	49.20
	2—उत्पादन बानिकी— रोपित पौध	लाख सं0	6.75	..	12.27	..	..	19.02
	3—वृहद वृक्षारोपण—रोपित पौध	लाख सं0	80.00	40.00	60.00	30.00	30.00	240.00
	4—कुल वृक्षारोपण—रोपित पौध	लाख सं0	96.95	50.00	90.27	36.00	35.00	308.22
12	(ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत—							
	1—बायोगैस / गोबर गैस संयंत्र	सं0	560	638	448	445	310	2401
	2—हाई ड्रम	सं0	..	..	..	..	..	..
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम—							
	1—स्टरलाइजेशन	सं0	29110	19180	16410	15620	14620	94940
	2—लूप निवेशन	सं0	16440	10610	9090	8650	8090	52880
	3—सी0सी0यूजर्श	सं0	8110	5240	4490	4270	3990	26100
	4—ओल पिल्स यूजर्श	सं0	2620	1690	1440	1380	1290	8420

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	वाराणसी मण्डल					योग मण्डल
			वाराणसी	जौनपुर	मिर्जापुर	गाजीपुर	बलिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम—							
	क—स्वास्थ्य केन्द्र—							
	1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	2	2
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	..	..	..	..	..	..
	3—प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	28	47	..	4	40	119
	ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम—							
	1—नए खोजे गए रोगी	सं0	3500	850	1630	1370	1800	9150
	2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	3500	850	1630	1370	1800	9150
	3—रोग मुक्त रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	2040	500	960	800	1050	5350
	ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम—							
	कैटरेक्टर आपरेशन	सं0	6501	4444	3577	3414	3388	21324
	घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम—							
	बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	सं0	42000	40000	30000	36000	36000	180000
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम—							
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार—							
	1—शिक्षा विभाग							
	क—कुल	सं0	2000	..	..	..	..	2000
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	1000	..	..	..	..	1000
	2—ग्राम्य विकास—							
	क—कुल	सं0	64	158	104	415	134	875
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	64	158	104	415	134	875

2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार—									
1—शिक्षा विभाग—									
क—कुल	सं0	18000	..	..	..	..	18000		
ख—अनुसूचित जाति	सं0	9000	..	..	..	..	9000		
2—ग्राम्य विकास—									
क—कुल	सं0	128	520	208	840	272	1968		
ख—अनुसूचित जाति	सं0	128	520	208	840	272	1968		
3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार—									
शिक्षा विभाग—									
क—कुल	सं0	..	20000	17000	18000	18000	73000		
ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	5000	5000	4500	4500	19000		
4—समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना लाभार्थी—									
क—कुल	सं0	9600	..	..	..	19200	28800		
ख—अनुसूचित जाति	सं0	.	..	..	..	..	..		
5—टी0टी0	सं0	83790	54600	36980	44030	41520	260920		
6—डी0पी0टी0	सं0	76500	49850	33770	40200	37910	238230		
7—डी0टी0	सं0	65570	42730	28950	34460	32490	204200		
8—आयरन फोलिक एसिड—									
1—माता	सं0	32310	22140	13230	19260	16830	103770		
2—बच्चे	सं0	32310	22140	13230	19260	16830	103770		
3—विटामिन 'ए'	सं0	89750	61500	36750	53500	46750	288250		
16 —शिक्षा—									
क—औपचारिक शिक्षा—									
(6—14 आयु वर्ग)—									
1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	3	..	16	4	1	24		
2—नामांकन बालक	ह0 सं0	331	280	173	206	185	1175		
3—नामांकन बालिका	ह0 सं0	117	111	83	90	92	493		
4—कुल नामांकन	ह0 सं0	448	391	256	296	277	1668		

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	वाराणसी मण्डल					योग मण्डल
			वाराणसी	जौनपुर	मिर्जापुर	गाजीपुर	बलिया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन—							
	क—बालक	ह0 सं0	54.5	38.5	27.5	38.5	30.5	189.5
	ख—बालिका	ह0 सं0	10.0	14.0	11.0	11.0	8.0	54.0
	ग—योग	ह0 सं0	64.5	52.5	38.5	49.5	38.5	243.5
	ख—अनौपचारिक शिक्षा— (6–14 आयु वर्ग)—							
	1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	315	265	265	265	265	1375
	2—नामांकन बालक	सं0	10125	9375	9375	9375	9375	47625
	3—नामांकन बालिका	सं0	6750	6250	6250	6250	6250	31750
	4—कुल नामांकन	सं0	16875	15625	15625	15625	15625	79375
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन—							
	क—बालक	सं0	2025	1875	1875	1875	1875	9525
	ख—बालिका	सं0	1350	1250	1250	1250	1250	6350
	ग—योग	सं0	3375	3125	3125	3125	3125	15875
	ग—प्रौढ़ शिक्षा—							
	1—नए केन्द्रों की स्थापना	सं0	475	320	325	345	330	1795
	2—कुल नामांकन	सं0	14250	9600	9750	10350	9900	53850
	3—अनुसूचित जाति / जन-जाति का नामांकन	सं0	3000	3000	3000	3000	3000	15000
17	उचित दर की दुकानों में वृद्धि — नई खोली गई दुकानें	सं0	41	..	90	27	4	162
18	दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम—							
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	450	150	300	200	200	1300
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	3250	1150	2300	1400	1400	9500

3—हथकरघा इकाइयां—									
क—सहकारिता क्षेत्र में लाए गए करघे	सं0	700	50	50	50	200	1050
ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	..	..	..	..	..	..
4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	300.00	6.00	9.00	85.00	44.00	444.0
5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	..	..	..	..	..	..
6—दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	सं0	1000	400	800	400	400	3000
7—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग ..	सं0	2200	2000	2000	1600	1800	9600
8—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	18	18	18	18	18	90
9—उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	36	180

गोरखपुर मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983–84

सूत्र-सं0	सूत्र से सम्बन्धितकार्यक्रम	इकाई	गोरखपुर मण्डल				योग
			गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना						
	क—वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हजार हे0	..	..	..	..	..
	ख—राजकीय लघु सिंचाई ..	हजार हे0	9.30	4.00	15.10	3.50	31.90
	ग—निजी लघु सिंचाई ..	हजार हे0	31.00	21.00	32.00	26.00	110.00
	योग, सिंचाई क्षमता ..		40.30	25.00	47.10	29.50	141.90
	घ—निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा)	हे0	25.0	137.5	75.0	12.5	250.0
	च—राजकीय नलकूप ..	सं0	68	20	131	35	254
1	(ब) सूखी जमीन पर खेती—						
	क—खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	25800	22500	29100	25200	102600
	ख—रबी क्षेत्रफल ..	हे0	17200	15000	19400	16800	68400
	ग—अल्पकालीन धान की नर्सरी ..	हे0	15000	13750	16250	11250	56250
	घ—सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती–माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	31000	29000	32000	29000	121000
	च—माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	12000	8500	16500	13000	50000
2	(अ) दलहन विकास—						
	क—खरीफ क्षेत्र ..	हे0	13200	27500	14000	27300	82000
	उत्पादन ..	मी0 टन0	3600	6500	4400	6300	20800
	ख—रबी क्षेत्रफल ..	हे0	57500	39500	82500	75500	255000
	उत्पादन ..	मी0 ट0	44500	31500	76750	67250	220000
	योग—क्षेत्रफल ..	हे0	70700	67000	96500	102800	337000
	उत्पादन ..	मी0 ट0	48100	38000	81150	73550	240800
2	(ब) तिलहन विकास—						
	क—खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	28100	22200	27900	16600	94800
	उत्पादन ..	मी0 ट0	8134	2244	2964	1634	14976
	ख—रबी क्षेत्रफल ..	हे0	54500	63000	54500	56000	228000
	उत्पादन ..	मी0 ट0	33700	42050	33700	20150	129600
	ग—योग—क्षेत्रफल ..	हे0	82600	85200	82400	72600	322800
	उत्पादन ..	मी0 ट0	41834	44294	36664	21784	144576
3	(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम—						
	1—लाभान्वित परिवारों की संख्या	सं0	18600	17400	19200	17400	72600
	2—लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	सं0	10300	9700	10600	9700	40300
3	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—						
	1—रोजगार सृजन ..	लाख मानव दिवस	21.03	16.23	19.30	20.51	77.07

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	गोरखपुर मण्डल				योग मण्डल
			गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2—प्रयुक्त धनराशि ..	लाख रु0	227.90	175.78	209.07	222.17	834.92
4	(अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी—						
	1—आवंटियों को आर्थिक सहायता—						
	कुल वितरित धनराशि ..	लाख रु0	0.50	0.50	2.30	0.66	3.96
6	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन—						
	कुल पुनर्वासित मजदूर	सं0	..	..	..	..	..
7	अनुसूचित जाति / जन-जातियों का विकास—						
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गई सहायता—लाभार्थी—						
	1—अनुसूचित जाति ..	सं0	15000	11000	14000	15000	55000
	2—अनुसूचित जन-जाति ..	सं0	30	..	..	..	30
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था—						
	1—जल निगम द्वारा—						
	क—कुल ग्राम ..	सं0	172	418	724	131	1445
	ख—समस्याग्रस्त ग्राम ..	सं0	135	395	702	120	1352
	2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था—						
	1—कुंए ..	सं0	53	73	33	54	213
	2—डिग्गी ..	सं0	..	..	..	..	..
9	(अ) आवास स्थल का आवंटन—आवास						
	क—कुल स्थल आवंटियों की संख्या—		500	500	500	500	2000
	ख—अनुसूचित जाति / जन-जाति	सं0	400	400	400	400	1600
9	(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण—						
	1—कुल निर्मित आवास ..	सं0	33	36	..	46	115
	2—अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	सं0	28	30	..	38	96
	3—प्रयुक्त धनराशि ..	लाख रु0	0.36	0.40	..	0.50	1.26
9	(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	सं0	143	100	75	75	393
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार—						
	लाभान्वित जनसंख्या ..	सं0	12000	1600	..	430	14030
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम—						
	1—ग्रामीण विद्युतीकरण ..	सं0	157	63	132	146	498
	2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	सं0	81	43	57	47	228
	3—नलकूपों / पम्प सेटों का उर्जन	सं0	924	641	1991	2150	5708

सूत्र सं०	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	गोरखपुर मण्डल				योग मण्डल
			गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम—						
	1—सामाजिक वानिकी—						
	रोपित पौध ..	लाख सं०	6.60	3.50	14.00	9.70	33.80
	2—उत्पादन वानिकी—						
	रोपित पौध ..	लाख सं०	11.95	..	..	..	11.95
	3—वृहद वृक्षारोपण—रोपित पौध	लाख सं०	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00
	4—कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं०	77.55	63.50	74.00	69.70	285.75
12	(ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत—						
	1—बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र ..	सं०	602	539	650	587	2378
	2—हाई ड्रम ..	सं०	..	..	..	..	..
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम—						
	1—स्टरलाइजेशन ..	सं०	28810	27960	28760	28470	114000
	2—लूप निवेशन ..	सं०	15950	15470	15930	15770	63120
	3—सी०सी०यूजर्श ..	सं०	7870	7640	7860	7780	31150
	4—ओरल पिल्स यूजर्श ..	सं०	2540	2670	2540	2510	10260
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम—						
	क—स्वास्थ्य केन्द्र—						
	1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं०	..	2	..	..	2
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं०	..	1	..	..	1
	3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं०	96	89	108	106	399
	ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम—						
	1—नए खोजे गए रोगी ..	सं०	1900	1900	1800	1550	7150
	2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं०	1900	1900	1800	1550	7150
	3—रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं०	1100	1100	1050	900	4150
	ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम—						
	कैटरेक्ट आपरेशन ..	सं०	6675	6133	6290	6213	25311
	घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम—						
	बी०सी०जी० वैक्सीनेशन	सं०	60000	60000	60000	60000	240000
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम—						
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार—						
	1—शिक्षा विभाग—						
	क—कुल ..	सं०	300	..	..	300	600
	ख—अनुसूचित जाति ..	सं०	200	..	..	200	400

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	गोरखपुर मण्डल				योग मण्डल
			गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2—ग्राम्य विकास—						
	क—कुल ..	सं0	238	318	700	119	1375
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	238	318	700	119	1375
	2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार—						
	1—शिक्षा विभाग—						
	क—कुल ..	सं0	2700	..	..	2700	5400
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	1300	..	..	1300	2600
	2—ग्राम्य विकास—						
	क—कुल ..	सं0	478	636	1400	239	2753
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	478	636	1400	239	2753
	3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार—						
	शिक्षा विभाग—						
	क—कुल ..	सं0	20000	18000	18000	18000	74000
	ख—अनुसूचित जाति ..	सं0	8000	5000	5000	5000	23000
	4—समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना— लाभार्थी —						
	क—कुल ..	सं0	..	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जाति ..	सं0	..	..	..	..	..
	5—टी0टी0 ..	सं0	86050	79000	81270	80280	326600
	6—डी0पी0टी0	सं0	78580	72140	74200	73280	298200
	7—डी0टी0 ..	सं0	67350	61830	63600	62820	255600
	8—आयरन फोलिक एसिड—						
	1—माता ..	सं0	35470	32670	31320	33210	132670
	2—बच्चे ..	सं0	35470	32670	31320	33210	132670
	9—विटामिन 'ए' ..	सं0	98500	90750	87000	92250	368500
16	शिक्षा—						
	क—औपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)—						
	1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	..	38	24	1	63
	2—नामांकन बालक	ह0सं0	323	304	300	326	1253
	3—नामांकन बालिका ..	ह0सं0	118	115	118	140	491
	4—कुल नामांकन ..	ह0सं0	441	419	418	466	1744
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन						
	क—बालक ..	ह0सं0	64.0	48.0.	44.0	76.5	232.5
	ख—बालिका ..	ह0सं0	16.0	12.0	6.00	23.0	57.0
	ग—योग ..	ह0सं0	80.0	60.0	50.0	99.5	289.5
	ख—अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)						
	1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	265	265	265	265	1060
	2—नामांकन बालक ..	सं0	9375	9375	9375	9375	37500
	3—नामांकन बालिका	सं0	6250	6250	6250	6250	25000
	4—कुल नामांकन ..	सं0	15625	15625	15625	15625	62500
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन						
	क—बालक ..	सं0	1875	1875	1875	1875	7500

सूत्र सं0	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	गोरखपुर मण्डल				
			गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8
	ख—बालिका ..	सं0	1250	1250	1250	1250	5000
	ग—योग ..	सं0	3125	3125	3125	3125	12500
	ग—प्रौढ़ शिक्षा—						
	1—नये केन्द्रों की स्थापना	स0	400	360	320	375	1455
	2—कुल नामांकन ..	सं0	12000	10800	9600	11250	43650
	3—अनुसूचित जाति/जन-जाति का नामांकन ..	सं0	3400	3000	3500	3000	12900
17	उचित दर की दुकानों में वृद्धि—						
	नई खोली गयी दुकानें ..	सं0	63	..	..	..	63
18	दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम—						
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	250	180	185	185	800
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	1950	1300	1625	1525	6400
	3—हथकरघा इकाइयां—						
	क—सहकारिता क्षेत्र में लाये गए करघे	सं0	500	100	400	350	1350
	ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	..	..	..	..	..
	4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन लाख	मी0	818.00	120.00	560.00	330.00	1828.00
	5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	1100	..	..	2100	3200
	6—दस्तकार इकाइयों का स्थापना	सं0	700	400	700	600	2400
	7—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	सं0	3100	2900	3200	2900	12100
	8—अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	18	18	18	18	72
	9—उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	144

लखनऊ मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	लखनऊ मण्डल						योग मण्डल
			लखनऊ	हरदोई	सीतापुर	रायबरेली	उन्नाव	खीरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना	..	..	..	..	..	..	8.00	8.00
	क––वृहद् एवं मध्यम सिंचाई	.. हजार हे0							
	ख––राजकीय लघु सिंचाई	.. हजार हे0	4.70	3.90	5.00	5.00	4.00	4.50	27.10
	ग––निजी लघु सिंचाई	.. हजार हे0	6.00	18.50	19.00	17.00	15.00	18.50	94.00
	योग–सिंचन क्षमता	..	10.70	22.40	24.00	22.00	19.00	31.00	129.10
	घ––निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा)	हे0	10.0	..	..	..	25.0	50.0	85.0
	च––राजकीय नलकूप	.. सं0	47	39	25	25	40	45	221
1	(ब) सूखी जमीन पर खेती––								
	क––खरीफ क्षेत्रफल	.. हे0	11295	19830	21000	19035	17700	15780	104640
	ख––रबी क्षेत्रफल	.. हे0	7530	13220	14000	12690	11800	10520	69760
	ग––अल्प कालीन धान की नर्सरी	.. हे0	2500	2500	7500	5000	2500	10000	30000
	घ––सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती –माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	1000	19000	19000	16000	16000	16000	95000
	च––माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	.. हे0	8825	14050	16000	15725	13500	11300	79400
2	(अ) दलहन विकास––								
	क––खरीफ क्षेत्रफल	.. हे0	16000	23000	31000	21000	10000	21000	122000
	उत्पादन	.. मी0ट0	4900	7900	11200	6700	3100	7200	41000
	ख––रबी क्षेफल	.. हे0	21700	51000	53000	54600	42200	44500	267000
	उत्पादन	.. मी0ट0	29600	61250	61000	59550	48100	53000	312500
	योग, क्षेत्रफल	.. हे0	37700	74000	84000	75600	52200	65500	389000
	उत्पादन	.. मी0ट0	34500	69150	72200	66250	51200	60200	353500

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	लखनऊ मण्डल						योग मण्डल
			लखनऊ	हरदोई	सीतापुर	रायबरेली	उन्नाव	खीरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	(ब) तिलहन विकास--								
	क--खरीफ क्षेत्रफल	.. हे0	11600	60650	37600	18600	23100	31400	182950
	उत्पादन	.. मी0टन0	3634	45700	25634	5634	16184	16410	113196
	ख--रबी क्षेत्रफल	.. हे0	42600	49200	49500	40800	50700	61000	293800
	उत्पादन ..	.. मी0ट0	18710	23320	23800	14230	26070	75000	181130
	ग--योग, क्षेत्रफल	.. हे0	54200	109850	87100	59400	73800	92400	476750
	उत्पादन ..	.. मी0ट0	22344	69020	49434	19864	42254	91410	294326
3	(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम--								
	1--लाभान्वित परिवारों की संख्या	.. सं0	4800	11400	11400	9600	9600	9000	55800
	2--लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	सं0	2400	5700	5700	4800	4800	4500	27900
3	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम--								
	1--रोजगार सृजन	.. लाख मानव दिवस	5.35	10.00	10.41	10.14	8.00	8.45	52.35
	2--प्रयुक्त धनराशि	.. लाख रु0	62.46	116.66	121.43	118.30	93.35	98.50	610.70
4	(अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी--								
	1--आवंटियों को आर्थिक सहायता--								
	कुल वितरित धनराशि	.. लाख रु0	2.90	10.00	0.50	2.00	0.00	2.06	17.46
6	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन--								
	कुल पुनर्वासित मजदूर	.. सं0	..	..	..	5	..	..	5
7	अनुसूचित जाति / जन-जातियों का विकास--								
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गई सहायता-- लाभार्थी--								
	1--अनुसूचित जाति	.. सं0	8000	14000	14000	12000	9500	10000	67500
	2--अनुसूचित जन-जाति	.. सं0	..	..	..	..	..	250	250

8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था--								
	1--जल निगम द्वारा--								
	क--कुल ग्राम	.. सं0	..	160	148	167	22	228	725
	ख--समस्याग्रस्त ग्राम	.. सं0	..	160	148	133	9	228	678
	2--हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था--								
	1--कुंए	.. सं0	30	28	16	2	11	66	153
	2--डिग्गी	.. सं0	..	..	..	..	..	..	..
9	(अ) आवास स्थल का आवंटन--आवास--								
	स्थल आवंटियों की संख्या--								
	क--कुल	.. सं0	500	500	500	500	500	500	3000
	ख--अनुसूचित जाति / जन-जाति	.. सं0	400	400	400	400	400	400	2400
9	(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण--								
	1--कुल निर्मित आवास	.. सं0	47	45	128	78	160	123	581
	2--अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	सं0	38	37	104	63	130	100	472
	3--प्रयुक्त धनराशि	.. लाख रु0	0.52	0.50	1.40	0.86	1.75	1.35	6.38
9	(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	सं0	100	80	80	80	80	70	490
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार--								
	लाभान्वित जनसंख्या	.. सं0	7000	8270	2000	3550	..	..	20820
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम--								
	1--ग्रामीण विद्युतीकरण	.. सं0	7	85	83	..	144	33	352
	2--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	.. सं0	11	46	45	9	74	36	221
	3--नलकूपों / पम्प सेटों का ऊर्जन	.. सं0	54	313	238	838	502	548	2493
12	(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम--								
	1--सामाजिक वानिकी--								
	रोपित पौध	.. लाख सं0	6.00	10.20	14.38	11.00	11.00	10.00	62.58
	2--उत्पादन वानिकी--								
	रोपित पौध	.. लाख सं0	..	..	..	..	..	16.35	16.35
	3--वृहद वृक्षारोपण--रोपित पौध	.. लाख सं0	100.00	80.00	80.00	80.00	55.00	55.00	450.00
	4--कुल वृक्षारोपण--रोपित पौध	.. लाख सं0	106.00	90.20	94.38	91.00	66.00	81.35	528.93

2—ग्राम्य विकास										
क—कुल	सं0	..	780	358	60	119	79	1396
ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	780	358	60	119	79	1396
2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार										
1—शिक्षा विभाग										
क—कुल	सं0	9000	..	..	..	..	..	9000
ख—अनुसूचित जाति	सं0	3000	..	..	..	..	..	3000
2—ग्राम्य विकास										
क—कुल	सं0	..	1560	916	120	239	160	2995
ख—अनुसूचित जति	सं0	..	1560	916	120	239	160	2995
3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार शिक्षा विभाग										
क—कुल	सं0	..	18830	18000	18000	18000	18000	90830
ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	5000	5000	5000	5000	5000	25000
4—समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना										
क—कुल	सं0	..	..	9600	..	..	19200	28800
ख—अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..	..	..
5—डी0टी0	सं0	45790	52080	53090	42780	41510	37740	272990
6—डी0पी0टी0	सं0	41820	47550	48470	39050	37910	34460	249260
7—डी0टी0	सं0	35840	40760	41550	33480	32480	29540	213650
8—आयरन फोलिक एसिड										
1—माता	सं0	19890	19980	20430	18720	15930	12780	107730
2—बच्चे	सं0	19890	19980	20430	18720	15930	12780	107730
9—विटामिन 'ए'	सं0	55250	55500	56750	52000	44250	35500	299250
16 शिक्षा										
क—औपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)										
1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	..	12	23	16	11	12	74
2—नामांकन बालक	ह0 सं0	141	209	201	185	166	164	1066
3—नामांकन बालिका	ह0 सं0	91	82	73	75	75	66	462
4—कुल नामांकन	ह0सं0	232	291	274	260	241	230	1528
5—अनुसूचित जाति का नामांकन										
क— बालक	ह0 सं0	17.5	55.5	57.5	43.5	44.5	42.5	261.0
ख—बालिका	ह0 सं0	19.0	13.0	16.0	13.0	20.0	13.0	94.0
योग	ह0 सं0	36.5	68.5	73.5	56.5	64.5	55.5	355.0
ख—अनौपचारिक शिक्षा (6–14 आयु वर्ग)										
1—नये विद्यालयों की स्थापना	सं0	115	265	265	265	265	265	1440
2—नामांकन बालक	सं0	7125	9375	9375	9375	9375	9375	54000

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	लखनऊ मण्डल						योग मण्डल
			लखनऊ	हरदोई	सीतापुर	रायबरेली	उन्नाव	खीरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3--नामांकन बालिका	सं0	4750	6250	6250	6250	6250	6250	36000
	4--कुल नामांकन	सं0	11875	15625	15625	15625	15625	15625	90000
	5--अनुसूचित जाति का नामांकन								
	क--बालक	सं0	1425	1875	1875	1875	1875	1875	10800
	ख--बालिका	सं0	950	1250	1250	1250	1250	1250	7200
	ग--योग	सं0	2375	3125	3125	3125	3125	3125	18000
	ग--प्रौढ़ शिक्षा								
	1--नये केन्द्रों की स्थापना	संख्या	645	300	415	325	640	325	2650
	2--कुल नामांकन	सं0	19350	9000	12450	9750	19200	9750	79500
	3--अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकन	सं0	6000	3000	3000	3000	6000	3400	24400
17	उचित दर की दुकानों में वृद्धि								
	नई खोली गयी दुकानें	सं0	130	159	25	26	15	50	405
18	दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम								
	1--ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	300	150	130	150	220	100	1050
	2--उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	2900	1050	950	1250	1700	800	8650
	3--हथकरघा इकाइयां--								
	क--सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	सं0	..	100	200	250	250	50	850
	ख--हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	..	900	800	..	..	..	1700
	4--हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	22.00	60.00	95.00	10.00	160.00	11.00	358.00
	5--हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	..	900	900	..	..	..	1800
	6--दस्तकारी इकायों की स्थापना	सं0	1400	300	300	500	600	300	3400
	7--एकीकृत ग्राम विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग ..	संख्या	800	1500	1900	1600	1600	1900	9300
	8--अनुजाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	संख्या	18	18	18	18	18	18	108
	9--उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	36	36	216

फैजाबाद मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	फैजाबाद मण्डल						योग मण्डल
			फैजाबाद	गोण्डा	बहराइच	सुल्तानपुर	प्रतापगढ़	बाराबंकी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 (अ)	सिंचन क्षमता में वृद्धि करना–								
	क––वृहद् एवं मध्यम सिंचाई	हे0	..	..	10.00	..	..	..	10.00
	ख––राजकीय लघु सिंचाई	हे0	7.10	10.30	8.00	5.10	3.80	3.90	38.20
	ग––निजी लघु सिंचाई	हे0	16.00	25.00	14.00	13.50	11.50	15.00	95.00
	योग–सिंचन क्षमता		23.10	35.30	32.00	18.60	15.30	18.90	143.20
	घ––निजी लघु सिंचाई (अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा) ..	हे0	37.5	70.0	20.0	25.0	137.5	20.0	310.0
	च––राजकीय नलकूप	सं0	46	103	80	26	38	39	332
1 (अ)	सूखी जमीन पर खेती								
	क––खरीफ क्षेत्रफल	हे0	16950	22305	16155	17850	15930	15210	104400
	ख––रबी क्षेत्रफल	हे0	11300	14870	10770	11900	10620	10140	69600
	ग––अल्प वलीन धान की नर्सरी	हे0	11250	13750	11250	8750	2500	8750	56250
	घ––सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती-माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	18000	25000	19500	19000	18000	16000	115500
	च––माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	10250	12175	7425	10750	8550	9350	58500
2(अ)	दलहन विकास––								
	क––खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	43000	11500	18000	17000	17000	27500	134000
	उत्पादन	मी0 टन	11200	2900	5250	4000	4250	8400	36000
	ख––रबी क्षेत्रफल	हे0	55000	79000	73000	73500	41100	47400	369000
	उत्पादन	मी0 टन	54500	69000	53500	72250	42000	45700	33700
	योग–क्षेत्रफल	हे0	98000	90500	91000	90500	58100	74900	503000
	उत्पादन	मी0 टन	65700	71900	58750	76250	46300	54100	373000

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	फैजाबाद मण्डल						योग मण्डल
			फैजाबाद	गोण्डा	बहराइच	सुल्तानपुर	प्रतापगढ़	बाराबंकी	
2(ब)	तिलहन विकास :								
	क - खरीफ क्षेत्रफल	हे0	10825	18225	12850	8450	8550	13250	72150
	उत्पादन	मी0 ट0	851	2281	2982	462	572	5262	12410
	ख - रबी क्षेत्रफल	हे0	32000	48700	55300	27000	20700	28500	212200
	उत्पादन	मी0 ट0	16750	44540	59010	15320	14140	19500	169260
	ग- योग क्षेत्रफल	हे0	42825	66925	68150	35450	29250	41750	284350
	उत्पादन	मी0 टन	17601	46821	61992	15782	14712	24762	181670
3(क)	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम								
	1--लाभान्वित परिवारों की सं0	सं0	10800	15000	11400	11400	9000	9600	67200
	2 - लाभान्वित अनु0 जाति के परिवारों की सं0	सं0	5400	8000	5700	5700	4500	4800	34100
3(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम								
	1 -- रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस	13.46	13.78	10.07	12.38	10.70	9.61	70.00
	2--अनु0 जाति/जनजाति के सदस्यों को उपलब्ध रोजगार ..	तदेव	7.36	3.45	2.52	3.09	2.68	2.40	17.50
	3 - प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	145.84	149.28	109.07	134.10	116.58	112.11	766.98
	4-- अनु0 जाति/जनजाति के लिये प्रयुक्त धनराशि ..	तदेव	36.46	37.32	27.27	33.53	29.14	28.03	191.25
4(अ)	कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी								
	1--आवंटियों को आर्थिक सहायता---								
	कुल वितरित ऋण	लाख रु0	1.25	1.50	7.35	0.75	1.00	1.50	13.35
6	बंधुवा मजदूरों का पुनर्वासन								
	कुल पुनर्वासित मजदूर	सं0	..	..	..	..	.	..	..
7	अनु0 जाति/जनजाति का विकास								
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता- लाभार्थी								
	1---अनुसूचित जाति	सं0	12000	500	7000	10000	6000	12000	55500
	2- --अ0 जनजाति	सं0	..	250	60	..	..	..	310
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की स्वव्यवस्था								
	1---जल निगम द्वारा								
	क--कुल ग्राम	सं0	..	112	266	42	6	45	471
	ख--समस्याग्रस्त ग्राम	सं0	..	112	266	4	6	45	433

2--हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था								
1--कुएं	सं0	11	24	29	118	28	22	232
2--डिग्गी	सं0	..	..	..	..	..	..	..
9(अ) आवास स्थल का आवंटन--आवास स्थल आवंटियों की सं0								
क--कुल	सं0	9000	500	2500	3000	400	400	15800
ख-- अनु0 जाति/जनजाति	सं0	8000	400	2000	1400	300	300	12400
9(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण								
1--कुल निर्मित आवास	सं0	..	..	..	293	91	137	521
2--अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों के लिये निर्मित आवास ..	सं0	..	..	..	236	74	111	421
3--प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	..	..	..	3.18	1.00	1.50	5.68
9(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	सं0	100	80	75	75	75	75	480
10 मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार								
लाभान्वित जनसंख्या	सं0	..	..	..	1000	..	2450	3450
11 विद्युत उत्पादन कार्यक्रम								
1--ग्रामीण विद्युतीकरण	सं0	114	58	88	45	40	35	380
2--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	सं0	25	31	48	31	42	16	193
5--नलकूपों/पम्पसेटों का उर्जन	सं0	1620	187	284	645	500	197	3433
12 (अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम ..								
1--सामाजिक वानिकी--								
रोपित पौध	लाख सं0	7.26	8.25	1.00	14.00	10.00	6.00	46.51
2--उत्पादन वानिकी--								
रोपित पौध	लाख सं0	..	11.70	11.95	..	..	..	23.65
3--वृहद् वृक्षारोपण--रोपित पौध	लाख सं0	40.00	50.00	40.00	60.00	60.00	60.00	310.00
4--कुल वृक्षारोपण--रोपित पौध	लाख सं0	47.26	69.95	52.95	74.00	70.00	66.00	380.16
12 (ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत								
1--बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	सं0	506	501	444	629	515	399	2994
2--हाई ड्रम	सं0	..	..	..	..	..	..	..
13 परिवार कल्याण कार्यक्रम								
1--स्टरलाइजेशन	सं0	17980	21980	16860	15470	13710	15280	101280
2--लूप निवेशन	सं0	9950	13160	9330	8560	7590	8460	56050
3--सी0सी0 यूजर्स	सं0	4910	6000	4600	4220	3750	4170	27650
4--ओरलपिल्स यूजर्स	सं0	1580	1930	1480	1360	1200	1350	8900

सूत्र संख्या	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	फैजाबाद मण्डल						योग मण्डल
			फैजाबाद	गोण्डा	बहराइच	सुल्तानपुर	प्रतापगढ़	बाराबंकी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम								
	क--स्वास्थ्य केन्द्र								
	1--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	2	..	..	2
	2--हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	..	..	..	1	..	..	1
	3--प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	50	32	17	40	17	38	194
	ख--कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम								
	1--नए खोजे गए रोगी	सं0	1100	1030	1900	1370	560	1900	7860
	2--नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	1100	1030	1900	1370	560	1900	7860
	3--रोग/मुक्त नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	650	600	1100	800	330	1100	4580
	ग--दृष्टहीनता निवारण कार्यक्रम								
	कैटेरेक्ट आपरेशन	स0	4167	4991	3906	3584	3179	3539	23366
	घ--क्षय नियंत्रण कार्यक्रम								
	बी0 सी0जी0 वैक्सीनेशन	सं0	51000	56400	48200	39600	35200	34000	264400
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम								
	1--गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार								
	1--शिक्षा विभाग								
	क--कुल	सं0	200	..	..	..	..	..	200
	ख--अनु0 जाति	सं0	100	..	..	..	..	..	100
	2--ग्राम्य विकास								
	ख--कुल	सं0	45	..	187	596	28	48	904
	ख--अनु0 जाति	सं0	45	..	187	596	28	48	904
	2-6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार								
	1--शिक्षा विभाग								
	क--कुल	सं0	1800	..	..	..	..	..	1800
	ख--अनु0 जाति	सं0	900	..	..	..	..	..	900
	2--ग्राम विकास								
	क--कुल	सं0	91	..	374	1192	57	96	1810
	ख--अनु0 जाति	सं0	91	..	374	1192	57	96	1810

3--स्कूल जाने वाले बच्चों पुष्टाहार-- शिक्षा विभाग								
क--कुल	संo	18000	18000	18000	18480	18000	18000	108480
ख--अनु0 जाति	संo	5000	5000	5000	5000	5000	5000	30000
4--समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना-लाभार्थी								
क--कुल	सं0	..	..	..	67200	9600	..	76800
ख--अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..	..	..
5--टी0टी0	सं0	53840	61150	50320	46290	39010	38740	289350
6--डी0पी0टी0	सं0	49160	55820	45950	42270	35620	35380	264200
7--डी0टी0	सं0	42140	47860	39380	36230	30520	30320	226450
8--आयरन फोलिक एसिड								
1--माता	सं0	22950	25380	21690	17820	15840	15300	118980
2--बच्चे	सं0	22950	25380	21690	17820	15840	15300	118980
9--विटिमिन 'ए'	सं0	63750	70500	60250	49500	44000	42500	330500
16 शिक्षा								
क--औपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)								
1--नए विद्यालयों की स्थापना	सं0	..	4	11	2	6	8	31
2--नामांकन बालक	ह0 सं0	247	231	171	232	190	176	1247
3--नामांकन बालिका	ह0 सं0	106	81	57	85	67	65	461
4--कुल नामांकन	ह0 सं0	353	312	228	317	257	241	1708
5--अनु0 जाति का नामांकन								
क--बालक	ह0 सं0	38.5	35.5	26.5	33.5	29.5	35.5	199.0
ख--बालिका	ह0 सं0	20.0	8.0	6.0	7.0	8.0	14.0	63.0
योग	ह0 सं0	58.5	43.5	32.5	40.5	37.5	49.5	262.0
ख--अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)								
1--नए विद्यालयों की स्थापना	सं0	265	265	265	265	265	265	1590
2--नामांकन बालक	सं0	9375	9375	9375	9375	9375	9375	56250
3--नामांकन बालिका	सं0	6250	6250	6250	6250	6250	6250	37500
4--कुल नामांकन	सं0	15625	15625	15625	15625	15625	15625	93705
5--अनु0 जाति का नामांकन								
क--बालक	सं0	1875	1875	1875	1875	1875	1875	11250
ख--बालिका	सं0	1250	1250	1250	1250	1250	1250	7500
ग--योग	सं0	3125	3125	3125	3125	3125	3125	18750
ग--प्रौढ़ शिक्षा								
1--नए केन्द्रों की स्थापना	सं0	360	600	630	350	360	300	2600
2--कुल नामांकन	सं0	10800	18000	18900	10500	10800	9000	78000

सूत्र सं0	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	फैजाबाद मण्डल						योग मण्डल
			फैजाबाद	गोण्डा	बहराइच	सुल्तानपुर	प्रतापगढ़	बाराबंकी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3--अनुसूचित जाति/जनजाति का नामांकन	सं0	3000	7300	7200	3000	3000	3000	26500
7	उचित दर की दूकानों में वृद्धि								
	नई खोली गयी दुकानें	सं0	..	30	493	..	..	75	598
13	दस्तकारी हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम								
	1 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	210	130	100	200	100	185	925
	2--उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	1650	1250	900	1400	1100	1525	7825
	3--हथकरघा इकाइयां								
	क--सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	सं0	200	50	50	50	50	250	650
	ख--हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे ..	सं0	300	..	..	..	..	300	600
	4--हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	175.00	3.00	1.00	23.00	35.00	400.00	637.00
	5--हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	..	..	..	..	..	600	600
	6--दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	सं0	600	600	400	400	600	600	3200
	7--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	सं0	1800	2500	1900	1900	1500	1600	11200
	8 अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	18	18	18	18	18	18	108
	9--उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	36	36	216

कुमायूं मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	कुमायूं मण्डल			योग मण्डल
			नैनीताल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	
1	2	3	4	5	6	7
1(अ)	सिंचन क्षमता में वृद्धि करना					
	क––वहद एवं मध्यम सिंचाई ..	हजार हे0	..	..	..	..
	ख––राजकीय लघु सिंचाई ..	हजार हे0	1.00	..	..	1.00
	ग––निजी लघु सिंचाई ..	हजार हे0	10.50	1.00	0.30	11.80
	योग–सिंचन क्षमता ..		11.50	1.00	0.30	12.80
	घ––निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों द्वारा)	हे0	2000.0	50.0	50.0	300.00
	च––राजकीय नलकूप ..	सं0	5	..	..	5
1(ब)	सूखी जमीन पर खेती					
	क––खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	5700	7380	4320	17400
	ख––रबी क्षेत्रफल ..	हे0	3800	4920	2880	11600
	ग––अल्पकालीन धान की नर्सरी ..	हे0	3125	625	125	3875
	घ––सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती–माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल)	हे0	5500	8500	4000	18000
	च––माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल ..	हे0	4000	3800	3200	11000
2(ब)	दलहन विकास :					
	क––खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	1000	500	500	2000
	उत्पादन ..	बी0टी0	500	250	250	1000
	ख––रबी क्षेत्रफल ..	हे0	9000	1000	5000	15000
	उत्पादन ..	मी0टी0	5000	500	2500	8000
	योग क्षेत्रफल ..	हे0	10000	1500	5500	17000
	उत्पादन ..	मी0टी0	5500	750	2750	9000
2(ब)	तिलहन विकास :					
	क––खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	300	100	150	550
	उत्पादन ..	मी0टी0	244	80	122	446
	ख––रबी क्षेत्रफल ..	हे0	26700	1500	1500	29700
	उत्पादन ..	मी0टी0	11120	1200	1100	13420
	ग––योग–क्षेत्रफल ..	हे0	27000	1600	1650	30250
	उत्पादन ..	मी0टी0	11364	1280	1222	13866
3(क)	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम ..					
	1––लाभान्वित परिवारों की सं0 ..	सं0	8400	8400	7200	24000
	2––लाभान्वित अनुसूचित जाति/के परिवारों की सं0	सं0	4200	4200	3600	12000
3(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम					
	1––रोजगार सृजन ..	लाख मानव दिवस	7.94	9.16	6.25	23.35
	2––प्रयुक्त धनराशि ..	लाख रु0	105.86	122.13	83.35	311.34

सूत्र सं0	सूत्र सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	कुमायूं मण्डल			
			नैनीताल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
4(अ)	कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी					
	1—आवंटियों को आर्थिक सहायता कुल वितरित धनराशि ..	लाख रु0	प्रतीक्षित	0.00	0.00	प्रतीक्षित
7	अनुसूचित जाति/जनजातियों का विकास					
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता—लाभार्थी	सं0	3500	3500	1700	8700
	1—अनुसूचित जाति ..	संख्या	900	150	120	1170
	2—अनुसूचित जनजाति					
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था					
	1—जल निगम द्वारा					
	क—कुल ग्राम ..	सं0	110	250	130	490
	ख—समस्याग्रस्त ग्राम ..	सं0	100	210	100	410
	2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था					
	1—कुयें ..	संख्या	..	..	..	..
	2—डिग्गी ..	संख्या	60	70	80	210
9(अ)	आवास स्थल का आवंटन-आवास स्थल आवंटियों की संख्या					
	क—कुल ..	सं0	700	..	..	700
	ख—अनुसूचित जाति/जनजाति ..	सं0	500	..	..	500
9(ब)	ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण					
	1—कुल निर्मित आवास ..	सं0	227	205	194	626
	2—अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों के लिये	सं0	..	अप्राप्त	..	..
9(स)	हरिजन एवं निर्बल आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	सं0	..	अप्राप्त	..	..
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार					
	लाभान्वित जनसंख्या ..	सं0	1700	2600	..	4300
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम					
	1—ग्रामीण विद्युतीकरण ..	संख्या	30	117	65	212
	2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण ..	संख्या	28	98	55	181
	3—नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जन ..	संख्या	203	4	..	207
12 (अ)	वृक्षारोपण कार्यक्रम					
	1—सामाजिक वानिकी रोपित पौध ..	लाख सं0	23.26	29.77	21.20	74.23
	2—उत्पादन वानिकी रोपित पौध ..	लाख सं0	59.50	5.02	1.80	66.32
	3—वृहद वृक्षारोपण—रोपित पौध ..	लाख सं0	60.00	60.00	40.00	160.00
	4—कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध ..	लाख सं0	142.76	94.79	63.00	300.55
12(ब)	वायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत					
	1—वायोगैस/गाबर गैस संयंत्र ..	सं0	267	..	..	267
	2—ड्राई ड्रम ..	सं0	2	10	5	17

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	कुमायूं मण्डल			योग मण्डल
			नैनीताल	अलमोड़ा	पिथौरागढ़	
1	2	3	4	5	6	7
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम					
	1—स्टरलाइजेशन	सं0	8590	5680	3640	17910
	2—लूप निवेशन	सं0	4760	3140	2010	9910
	3—सी0सी0 यूजर्श	सं0	2350	1550	990	4890
	4—ओरलपिस यूजर्श	सं0	750	500	320	1570
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम					
	क—स्वास्थ्य केन्द्र					
	1—प्राथमिक स्व स्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	1	2	1	4
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक स्व स्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	..
	3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	80	40	1	121
	ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम					
	नए खोजे गये रोगी	सं0	560	135	390	1085
	1—नियंत्रित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	560	135	390	1085
	2—रोगमुक्त। रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	330	75	230	635
	ग—दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम					
	कैटरेक्ट आपरेशन	सं0	1992	1358	844	4194
	घ—क्षय नियंत्रण कार्य क्रम					
	बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	सं0	30000	24000	16000	70000
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम					
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार					
	1—शिक्षा विभाग					
	क—कुल	सं0	200	250	..	450
	ख—अनु0 जाति	सं0	100	125	..	225
	2—ग्राम्य विकास					
	क—कुल	सं0	632	436	952	2020
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	632	436	952	2020
	2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार					
	1—शिक्षा विभाग					
	क—कुल	सं0	1800	2250	..	4050
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	900	1150	..	2050
	2—ग्राम्य विकस					
	क—कुल	सं0	1272	874	1906	4052
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	1272	874	1906	4052
	3—स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार— शिक्षा विभाग					
	क—कुल	सं0	10000	10000	7000	27000
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	3500	3500	2000	9000
	4—समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना लाभार्थी					
	क—कुल	सं0	..	..	..	..
	ख—अनुसूचित जति	सं0	..	..	..	..
	5—टी0 टी0	सं0	21880	14850	9300	46030
	6—डी0 पी0 टी0	सं0	19990	13550	8500	42040
	7—डी0टी0	सं0	17130	11620	7280	36030

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम		कुमायूं मण्डल			
		इकाई	नैनीताल	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7
	8—आयरन फोलिको एसिड					
	1—माता ..	सं0	7290	4860	5400	17550
	2— बच्चे ..	सं0	7290	4860	5400	17550
	9—विटामिन 'ए' ..	सं0	20250	13500	15000	48750
16—शिक्षा						
	क—औपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)					
	1—नये विद्यालयों की स्थापना ..	सं0	20	25	16	61
	2—नामांकन बालक ..	ह0 सं0	98	91	60	249
	3—नामांकन बालिका ..	ह 0सं0	60	58	34	152
	4—कुल नामांकन ..	ह 0सं0	158	149	94	401
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन					
	क—बालक ..	ह0 सं0	17.0	15.0	5.0	37.0
	ख—बालिका ..	ह 0सं0	9.0	8.0	7.0	24.0
	ग—य ग ..	ह0 0सं0	26.0	23.0	12.0	61.0
	ख—अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)					
	1—नये विद्यालयों की स्थापना ..	सं0	160	160	160	480
	2—नामांकन बालक ..	सं0	7500	7500	7500	22500
	3—ना ांकन बालिका ..	सं0	5000	5000	5000	15000
	4—कुल नामांकन ..	सं0	12500	12500	12500	37500
	5—अनुसूचित जाति का नामांकन					
	क—बालक ..	सं0	1500	1500	1500	4500
	ख— बालिका ..	सं0	1000	1000	1000	3000
	ग—योंग ..	सं0	2500	2500	2500	7500
	ग—प्रौढ़ शिक्षा					
	1—नये केन्द्रों की स्थापना ..	संख्या	400	335	350	1085
	2—कुल नामांकन ..	सं0	12000	10050	10500	32550
	3—अनुसूचित जाति/जनजातियों का नामांकन	सं0	4600	3400	3400	11400
17	उचित दर की दुकनों में वृद्धि ..					
	नई खोली गयी दुकानों ..	सं0	15	..	..	15
18	दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम					
	1—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना ..	सं0	200	150	100	450
	2—उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन ..	सं0	1400	970	680	3050
	3—हथकरघा इकाइयां					
	क—सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	सं0	50	..	..	50
	ख—हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	..	..	..	..
	4—हथकरघा वस्त्र उत्पादन ..	लाख मी0	9.00	..	..	9.00
	5—हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति) ..	सं0	...	..	..	..
	6—दस्तकारी इकाइयों की स्थापना ..	सं0	400	220	180	800
	7—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग ..	सं0	1400	1400	1200	4000
	8—अनु0 जाति/ जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	संख्या	18	18	18	54
	8—उक्त (8) में सृजित रोजगार ..	सं0	36	36	36	108

गढ़वाल मण्डल

विभागाध्यक्षों द्वारा प्रसारित लक्ष्य 1983–84

सूत्र सं0	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	गढ़वाल मण्डल					योग मण्डल
			देहरादून	पौड़ी-गढ़वाल	टेहरी-गढ़वाल	चमोली	उत्तरकाशी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—(अ)	सिंचन क्षमता में वृद्धि करना							
	क—वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हजार हे0	..	..	..	..	..	..
	ख—राजकीय लघु सिंचाई	हजार हे0	1.00	1.00	..	..	..	2.00
	ग—निजी लघु सिंचाई	हजार हे0	0.80	0.50	0.50	0.50	0.40	2.70
	योग–सिंचन क्षमता ..		1.80	1.50	0.50	0.50	0.40	4.70
	घ—निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा) ..	हे0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	500.0
	च—राजकीय नलकूप	सं0	5	5	..	...	..	10
1—(ब)	सूखी जमीन पर खेती							
	क—खरीफ क्षेत्र फल	हे0	2100	7200	5400	5100	2700	22500
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	1400	4800	3600	3400	1800	15000
	ग—अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	250	625	375	375	250	1875
	घ—सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल ..	हे0	2000	7000	5000	4500	2000	20500
	च—माइक्रो सेडके अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	1500	5000	4000	4000	2500	17000
2—(अ)	दलहन विकास							
	क—खरीफ क्षेत्रफल	हे0	1500	1000	100	200	300	4000
	उत्पादन	मी0ट0	750	500	500	100	150	2000
	ख—रबी क्षेत्रफल	हे0	4000	250	500	250	500	5500
	उत्पादन	मी0ट0	2250	125	250	125	250	3000
	योग–क्षेत्रफल	हे0	5500	1250	1500	450	800	9500
	उत्पादन	मी0ट0	3000	625	750	225	400	5000

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम		गढ़वाल मण्डल						योग मण्डल
			इकाई	देहरादून	पौड़ी गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल	चमोली	उत्तरकाशी	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2—(ब)	तिलहन विकास :								
	क—खरीफ क्षेत्रफल	.. .. ..	हे0	200	100	100	100	100	600
	उत्पादन	.. .. ..	मी0ट0	160	80	80	80	80	480
	ख—रबी क्षेत्रफल	.. .. ..	हे0	6650	6550	4050	5550	4000	26800
	उत्पादन	.. .. ..	मी0ट0	3040	2880	1680	2880	1600	12080
	ग—योग—क्षेत्रफल	.. .. ..	हे0	6850	6650	4150	5650	4100	27400
	उत्पादन	.. .. ..	मी0ट0	3200	2960	1760	2960	1680	12560
3(क)	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	..							
	1—लाभान्वित परिवारों की संख्या	.. .. ..	सं0	2400	9000	6000	6600	3600	27600
	2—लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	.. ..	सं0	1200	4500	3000	3300	1800	13800
3(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम								
	1—रोजगार सृजन	.. .. ..	लाख मानव दिवस	4.24	3.08	3.10	2.11	1.62	14.15
	2—प्रयुक्त धनराशि	.. .. ..	लाख रु0	56.61	41.84	41.33	28.08	21.59	188.66
4(अ)	कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी								
	1—आवंटियों को आर्थिक सहायता कुल वितरित धनराशि	.. .. ..	लाख रु0	0.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.53**
7—	अनुसूचित जाति/जनजाति का विकास								
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता लाभार्थी		संख्या	1800	1500	1500	1500	1000	7300
	1—अनुसूचित जाति								
	2—अनुसूचित जनजाति	.. .. ..	संख्या	1100	50	..	130	50	1330
8—	समस्या ग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था								
	1—जल निगम द्वारा								
	क—कुल ग्राम	.. .. ..	सं0	35	150	160	115	50	510
	ख—समस्याग्रस्त ग्राम	.. .. ..	संख्या	10	80	140	80	30	340

2—हरिजन बस्तियों में पेयजल की व							
1—कुएं	संख्या	..	..	..	..	..	..
2—डिग्गी	संख्या	50	50	80	60	50	290
9—(अ) आवास स्थल का आवंटन—आवास-स्थल आवंटियों की संख्या							
क—कुल	सं0	..	..	..	..	..	..
ख—अनुसूचित जाति/जनजाति	सं0	..	..	..	..	..	..
9—(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण							
1—कुल निर्मित आवास	सं0	68	186	124	64	173	615
2—अनु0 जाति/जनजाति के लिये	सं0	..	..	अप्राप्त	..	..	..
9—(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा आवास निर्माण	सं0	..	..	अप्राप्त	..	..	..
10—मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार							
1—लाभान्वित जनसंख्या	सं0	2000	..	..	..	..	2000
11—विद्युत उत्पादन कार्यक्रम							
1—ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	26	100	92	66	40	324
2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	19	84	77	56	33	269
3—नलकूपों/पम्पसेटों का ऊर्जन	संख्या	26	..	..	..	..	26
12—(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम							
1—सामाजिक वानिकी —रोपित पौध	लाख सं0	16.74	52.40	30.05	17.90	20.15	137.24
2—उत्पादन वानिकी —रोपित पौध	लाख सं0	14.28	7.50	4.35	4.57	6.00	36.70
3—वृहद वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	30.00	50.00	30.00	30.00	20.00	160.00
4—कुल वृक्षारोपण-रोपित पौध	लाख सं0	61.02	102.00	64.40	52.47	46.15	333.94
12(ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत							
1—बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	सं0	142	..	..	..	..	142
2—हाई ड्रम	सं0	10	15	15	10	10	60
13 परिवार कल्याण कार्यक्रम							
1—स्टरलाइजेशन	सं0	5750	4740	3750	2760	1430	18430
2—लूप निवेशन	सं0	3180	2620	2080	1530	790	10200
3—सी0 सी0 यूजर्स	सं0	1570	1290	1020	760	390	5030
4—ओरलपिल्स यूजर्स	सं0	500	420	330	240	130	1620

सूत्र सं०	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	गढ़वाल मण्डल					योग मण्डल
			देहरादून	पौड़ी गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल	चमोली	उत्तरकाशी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम							
	क—स्वास्थ्य केन्द्र							
	1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	सं0	2	1	2	1	..	6
	2—हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..		..	..	..	..	..	..
	3—प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं0	25	24	5	..	..	54
	ख—कुष्ट नियंत्रण कार्यक्रम							
	1—नए खोजे गए रोगी	सं0	1200	130	300	130	390	2150
	2—नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	1200	130	300	130	390	2150
	3—रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	700	75	175	75	230	1255
	ग—दृष्टि हीनता निवारण कार्यक्रम							
	कैटरेक्ट आपरेशन	सं0	1331	1097	867	642	335	4272
	घ—क्षय नियंत्रण कार्यक्रम							
	बी0 सी0 जी0 वैक्सीनेशन	सं0	30000	24000	24000	15000	8000	101000
15	महिला और बच्चों के कल्याण कार्य क्रम							
	1—गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार ..							
	क—कुल	सं0	200	220	..	..	..	420
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	100	100	..	..	..	200
	2—ग्राम्य विकास							
	क— कुल	सं0	516	436	950	435	396	2733
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	516	436	950	435	396	2733
	2—6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार							
	1—शिक्षा विभाग							
	क—कुल	स0	1800	1980	..	..	..	3780
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	900	980	..	..	..	1880
	2—ग्राम्य विकास							
	क—कुल	सं0	1032	874	1905	875	794	5480
	ख—अनुसूचित जाति	सं0	1032	874	1905	875	794	5480

3--स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्ट...									
शिक्षा विभाग									
क--कुल	..	..	..	सं0	40000	7000	6000	6000	5000	64000
ख--अनुसूचित जाति	..	..	..	सं0	12000	2000	1500	1500	1000	18000
4--समन्वित बाल विकास योजना के नये केन्द्रों की स्थापना-लाभार्थी									
क--कुल	..	..	..	सं0	..	..	..	..	..	..
ख--अनुसूचित जाति	..	..	..	सं0	..	..	..	..	..	..
5--टी0 टी0	..	..	..	सं0	14590	13340	11320	9050	3530	51830
6--डी0 पी0 टी0	..	..	..	सं0	13320	12170	10340	8270	3220	29820
7--डी0 टी0	..	..	..	सं0	11420	10440	8860	7080	2760	255600
8--आयरन फोलिक एसिड									
1--माता	..	..	..	सं0	7200	5400	6570	2340	1260	22770
2--बच्चे	..	..	..	सं0	7200	5400	6570	2340	1260	22770
9--विटामिन 'ए'	..	..	..	सं0	20000	15000	18250	6500	3500	63250

16 शिक्षा

क--औपचारिका शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)									
1--नये विद्यालयों की स्थापना	..	..	..	सं0	8	12	12	17	5	54
2--नामांकन बालक	..	..	..	ह0 सं0	72	79	60	43	19	273
3--नामांकन बालिका	..	..	..	ह0 सं0	53	56	20	25	7	161
4--कुल नामांकन	..	..	..	ह0 सं0	125	135	80	68	26	434
5--अनुसूचित जाति का नामांकन									
क--बालक	..	..	..	ह0 सं0	9.0	12.0	6.0	6.0	4.0	37.0
ख--बालिका	..	..	..	ह0 सं0	6.0	6.0	1.2	2.2	1.1	16.5
ग--योग	..	..	..	ह0 सं0	15.0	18.0	7.2	8.2	5.1	53.5
ख--अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)									
1--नये विद्यालयों की स्थापना	..	..	..	सं0	..	170	120	110	..	400
2--नामांकन बालक	..	..	..	सं0	5100	7650	6900	6750	5100	31500
3--नामांकन बालिका	..	..	..	सं0	3400	5100	4600	4500	3400	21000
4--कुल नामांकन	..	..	..	सं0	8500	12750	11500	11250	8500	52500
5--अनुसूचित जाति का नामांकन									
क--बालक	..	..	..	सं0	1020	1530	1380	1350	1020	6300
ख--बालिका	..	..	..	सं0	680	1020	920	900	680	4200
ग--योग	..	..	..	सं0	1700	2550	2300	2250	1700	10500
ग--प्रौढ़ शिक्षा									
1--नये केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	सं0	420	340	300	310	310	1680
2--कुल नामांकन	..	..	..	सं0	12600	10200	9000	9300	9300	50400
3--अनुसूचित जाति/जन जाति का नामकांन		..	..	सं0	3400	3400	3000	3400	3400	16600

सूत्र सं0	सूत्र से संबंधित कार्यक्रम	इकाई	गढ़वाल मण्डल					योग मण्डल
			देहरादून	पौड़ी-गढ़वाल	टिहरी-गढ़वाल	चमोली	उत्तरकाशी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	उचित दर की दुकानों में वृद्धि							
	नई खोली गई दुकानें	सं0	16	..	..	..	..	16
18	दस्तकारी, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम							
	1--ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	200	75	70	75	80	500
	2--उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	1400	515	490	515	580	3500
	3--हथकरघा इकाइयां							
	क--सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	सं0	100	..	..	..	.	100
	ख--हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	..	..	..	..	..	..
	4--हथकरघा वस्त्र उत्पादन	लाख मी0	4.00	..	..	..	..	4.00
	5--हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	..	..	..	..	..	..
	6--दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	सं0	400	140	140	140	180	1000
	7--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	सं0	400	1500	1000	1100	600	4600
	8--अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग ..	सं0	18	18	18	18	18	90
	9--उक्त (8) में सृजित रोजगार	सं0	36	36	36	36	36	180

कार्यान्वियन एवं अनुश्रवण व्यवस्था

राज्य स्तरीय समिति:—

प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एवं प्रभावी सम्पादन हेतु व्यापक व्यवस्था की गयी है। राज्य स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सम्बन्धित विभागों के मंत्रिगण, अनेक सांसद विधायक तथा समाज सेवी इसके सदस्य हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस (ई) के अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो प्रदेशीय अध्यक्ष को भी इस समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन में विरोधी दल के नेता को भी इस समिति सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। यह समिति समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती है, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्ग निर्देश देती है तथा नीति विषयक निर्णय लेती है।

जिला स्तरीय समितियां:—

जनपद स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी सम्पादन हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मंत्रिमण्डल के सदस्यों को जनपद आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्रि मण्डल के सदस्यों को आवंटित जनपदों की सूची परिशिष्ट "क" में दी गयी है। जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल के संबंधित सदस्य करते हैं। कांग्रेस (ई) के संसद सदस्य विधायक तथा कार्यक्रम में आस्था रखने वाले कतिपय गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं। जिला स्तरीय समितियों में युवा कांग्रेस (ई) के जिला अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला—अध्यक्ष को सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के समस्त विधायकों को भी समिति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इस समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित करने के निर्देश हैं।

खण्ड स्तरीय समितियां:—

कार्यक्रम के प्रभावकारी एवं समय बद्ध कार्यान्वियन हेतु शासन के प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में खण्ड स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। कांग्रस (ई) के संबंधित क्षेत्रीय विधायक इस समिति के सदस्य होंगे। सम्बन्धित परगनाधिकारी तथा ब्लाक कांग्रेस (ई) के अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होंगे तथा जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा नामित 3 गैर सरकारी व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। समिति की बैठक 3 माह में एक बार आयोजित करने के निर्देश हैं।

अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण:—

विभिन्न स्तरों पर उक्त समितियों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा एवं अनुश्रवण के अतिरिक्त हर स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा भी कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एवं मानीटरिंग की जा रही है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव संबंधित सचिवों की बैठक बुलाकर कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं। सचिवगण अपने स्तर पर विभागाध्यक्षों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक में कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हैं। नियोजन एवं बीस सूत्री कार्यक्रम विभाग राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है तथा अन्तर्विभागीय मामलों को सुलझाने का प्रयास करता है। समन्वय की दृष्टि से प्रत्येक संबंधित विभाग के एक उच्चाधिकारी (विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

मण्डल स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा एवं मानीटरिंग का दायित्व मण्डलायुक्तों को सौंपा गया है। जिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मंडलायुक्त प्रतिमाह अपने स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं तथा अपनी समीक्षा रिपोर्ट एवं जनपदवार संकलित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराते हैं। जनपद—स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वियन एवं अनुश्रवण का दायित्व जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। जिलाधिकारी प्रत्येक माह अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हैं, जनपद स्तर पर अन्तर्विभागीय तालमेल स्थापित रखते हैं, कठिनाइयों का अपने स्तर पर निस्तारण करते हैं तथा ऐसी समस्यायें, जिनका निस्तारण उनके स्तर पर संभव नहीं हो जाता है, मंडलायुक्त तथा शासन को भेजते हैं।

कार्यक्रमों की गुणात्मकता:—

शासन कार्यक्रमों का गुणात्मक स्तर ऊंचा बनाए रखने पर विशेष बल दे रहा है। उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अधिक से अधिक क्षेत्र निरीक्षण करें तथा कतिपय चुने गए कार्यक्रमों की स्थलीय जांच करें। स्वीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चुनाव गांव सभा की खुली बैठक में कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं कि लाभार्थियों को सामग्री सार्वजनिक रूप से शिविरों में वितरित की जाये जिससे उन्हें कार्यक्रम का शत-प्रतिशत लाभ मिले।

जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम:—

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम के अधिकांश मदों की योजना जिला स्तर पर बनाने के अधिकार दे दिये गये हैं। जिला योजनाओं के माध्यम से जनपदों को जहां एक ओर क्षेत्रीय संभावनाओं, आवश्यकताओं तथा अकांक्षाओं के अनुरुप योजना बनाने एवं लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर मिलेगा वहीं पर 20 सूत्री कार्यक्रम को अधिक सार्थक एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में भी सफलता मिलेगी।

जनपदवार प्रभारी मंत्रिगण

क्रम-संख्या	नाम	पोर्टफोलिओ	आवंटित जनपद
1	श्री ब्रह्मदत्त	वित्त एवं नियोजन	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद
2	श्री बीर बहादुर सिंह	सिंचाई एवं उद्योग	बलिया, वाराणसी, गाजीपुर
3	श्री लोकपति त्रिपाठी	जन-स्वास्थ्य	इलाहाबाद, देवरिया
4	श्री बलराम सिंह यादव	पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास	कानपुर (शहर), कानपुर (देहात), मैनपुरी
5	श्री राम सिंह खन्ना	नगर विकास	सुल्तानपुर, फैजाबाद, शाहजहांपुर
6	डा० अम्मार रिजवी	सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य	लखनऊ, हरदोई
7	श्री विद्या भूषण	आबकारी एवं मद्यनिषेध	मेरठ, गाजियाबाद
8	श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी	शिक्षा	उन्नाव, सीतापुर
9	श्री वासुदेव सिंह	खाद्य तथा रसद	बांदा, हमीरपुर
10	श्री बैजनाथ कुरील	राजस्व	बाराबंकी, बहराइच
11	श्री बलदेव सिंह आर्य	परिवहन एवं पर्वतीय विकास	पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल।
12	श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर	जेल एवं मुस्लिम वक्फ	झांसी, ललितपुर
13	श्री यशपाल सिंह राज्य मंत्री	कृषि	बरेली, बदायूं
14	श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी	पर्यटन	देहरादून, बिजनौर
15	श्री हरि सिंह बाल्मीकी	स्वास्थ्य	आगरा, अलीगढ़
16	श्री मोहम्मद अमीन अंसारी	उद्योग	प्रतापगढ़
17	श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें	बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद
18	श्री राम रतन सिंह	कृषि, आबकारी एवं मद्य निषेध	पीलीभीत, रामपुर
19	श्री गोपाल रामदास	सिंचाई	बस्ती
20	श्री बच्चा पाठक	सहकारिता	आजमगढ़, गोरखपुर
21	श्री राम नरेश शुक्ल	राजस्व एवं न्याय	मिर्जापुर, जौनपुर
22	श्री गुलाब सेहरा	हरिजन एवं समाज कल्याण	एटा, मथुरा
23	श्री रणजीत सिंह जूदेव	सार्वजनिक निर्माण	इटावा, जालौन
24	श्री सुनील शास्त्री	श्रम एवं सेवायोजन	रायबरेली, फतेहपुर
25	श्री संजय सिंह	पशुधन, दुग्धशाला एवं मत्स्य	गोण्डा, लखीमपुर–खीरी

संख्या 2096/83--बीसू-9/83

प्रेषक,

श्री जे0 पी0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ,
2--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 3 मई, 1983 ।

बीस सूत्री कार्यक्रम अनुभाग

विषय:--जिला एवं मण्डल स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रगति रिपोर्ट के प्रारुप का निर्धारण।

महोदय,

शासनादेश संख्या 1870/82-बीस सूत्री-84/82 दिनांक 21-7-82 के क्रम में मुझे वर्ष 1983-84 हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट का संशोधित प्रारूप भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि माह अप्रैल "83" तथा इसके बाद के महीनों की मासिक प्रगति रिपोर्ट इसी प्रारूप में भेजी जाये। उक्त शासनादेश के साथ प्रेषित प्रारूप में कतिपय आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन किए गए हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण (स्पेशल कम्पोनेन्ट) के मदों को एक स्थान पर न रखकर विभिन्न सूत्रों के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि कार्यक्रम विशेष की समीक्षा करते समय ही उस कार्यक्रम में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की प्रगति की भी समीक्षा कर ली जाये। सूत्र-19 में कतिपय अन्य विभागों को भी शामिल कर लिया गया है, जहां तस्करी, जमाखोरी तथा कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होती है।

2--निर्धारित रूपपत्र के मद स्वत: स्पष्ट हैं किन्तु फिर भी जनपदों/मण्डलों से प्राप्त रिपोर्टों में कुछ सामान्य त्रुटियां पायी जाती हैं। सुविधा की दृष्टि से रूपपत्र को भरने के सामान्य अनुदेश भी संलग्न किये जा रहे हैं।

3--रिपोर्ट भेजने की समय सारिणी पूर्ववत है। माह के प्रथम सप्ताह में जनपद की संकलित रिपोर्ट जिलाधिकारी अपने मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। मण्डलायुक्त अपने स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा करके मण्डल की जनपदवार संकलित रिपोर्ट, जनपदों की प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी समीक्षा रिपोर्ट के साथ 3 प्रतियों में शासन को विलम्बतम 15 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उक्त समय सारिणी का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
जे0 पी0 सिंह,
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1--शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव/नोडल अधिकारी-20 सूत्री कार्यक्रम।
2--समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव ,
20 सूत्री कार्यक्रम

20 सूत्री कार्यक्रम

रूपपत्र—1 (भौतिक प्रगति विवरण) भरने हेतु सामान्य अनुदेश

बीस सूत्री कार्यक्रम हेतु निर्धारित भौतिक प्रगति विवरण का रुप पत्र स्वत: स्पष्ट है किन्तु फिर इसे सही भरने के उद्देश्य से सामान्य अनुदेश नीचे दिये जा रहे हैं :

1—रुपपत्र के मद, इकाई तथा अन्य स्तम्भों में कोई परिवर्तन न किया जाय। एक रुपता की दृष्टि से यह आवश्यक है।

2—जिन मदों/स्तम्भों की सूचना शून्य है अथवा जो मद/स्तम्भ लागू न हों उसे डैश (—) के निशान से इंगित किया जाय तथा जिनकी सूचना अप्राप्त है उनके लिये स्पष्ट रूप से "अप्राप्त" लिखा जाय।

3—वार्षिक लक्ष्य के स्तम्भ में राज्य स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर से निर्धारित लक्ष्य अंकित किये जायें। जिन मदों के लक्ष्य राज्य स्तर/विभागायक्ष स्तर से नहीं निर्धारित किये गये हैं, उनमें स्थानीय तौर पर निश्चित किया गया लक्ष्य अंकित किया जा सकता है। राज्य स्तर से प्रसारित लक्ष्यों में स्थानीय तौर पर कोई परिवर्तन न किया जाये।

4—जिन मदों के मासिक/त्रैमासिक लक्ष्य राज्य स्तर से जनपदवार नहीं निर्धारित किये गये हैं उनके लिये प्रतिमाह जनपद स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर लिये जांय। यह ध्यान में रखा जाय किमौसमी कार्यक्रमों को छोड़कर मदों के लक्ष्य का समान वितरण वर्ष भर हो। वर्ष के अन्त में अधिकतम लक्ष्य पूर्ति दर्शाने की प्रवृत्ति गलत है, इससे कार्यक्रम के गुणात्मक स्तर में गिरावट आती है।

5—स्तम्भ 4 अर्थात 1—4—83 के स्तर के स्तम्भ में 31—3—83 तक की संचयी प्रगति के आंकड़े दर्शाये जाने चाहिये। उत्पादन के मामले में वर्ष 1982—83 की उपलब्धि का स्तर अंकित किया जाना चाहिए। इस स्तम्भ के निर्धारण का उद्देश्य आधारभूत सूचना इंगित करना है।

6—यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी माह की प्रगति रिपोर्ट में दिये गये आंकड़े पूर्ववर्ती माह में दिए गए आंकड़ों से असंगत न हों। उदाहरणार्थ माह जून की प्रगति रिपोर्ट में अंकित क्रमिक उपलब्धि (स्तम्भ—10) के आंकड़े माह मई की क्रमिक उपलब्धि में जून की मासिक उपलब्धि जोड़कर प्राप्त किये जाने चाहिये। यदि किसी विशेष कारणवश माह मई के संपूर्ण प्रगति के आंकड़े प्रगति रिपोर्ट में न सम्मिलित किये जा सके हों तो अवशेष प्रगति माह जन की प्रगति में जोड़कर दर्शायी जानी चाहिये और यदि आवश्यक समझा जाय तो इस आशय की संक्षिप्त टिप्पणी अभ्युक्ति के स्तम्भ में अंकित कर दी जाए।

7—वार्षिक अथवा मासिक लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि का प्रतिशत सावधानी से निकाला जाये। इसमें प्राय: त्रुटि-कर दी जाती है।

मण्डल स्तर पर संकलन:—

1—मण्डल स्तर पर संकलन के पूर्व उक्त अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में जनपदों से प्राप्त रिपोर्टों का विधिवत परीक्षण आवश्यक है। जनपदों द्वारा दिये गये आंकड़ो को यथावत मान लना उचित नहीं होगा। विशेष कर यह देख लेना आवश्यक है कि जनपदों के प्रतिवेदनों में वही लक्ष्य अंकित किये गये हैं, जो राज्य स्तर/विभागाध्यक्ष द्वारा सूचित किये गये हैं। जनपद स्तर अथवा मण्डल स्तर पर लक्ष्यों में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

2—मडल स्तर पर संकलन जनपदों के नाम उर्ध्वाधर क्रम में रखकर किये जांय। जनपदों की प्रगति अंकित करने के बाद मण्डल का योग दिया जाय। यही संकलन राज्य स्तर पर भेजा जाना है, न कि केवल मण्डल का योग।

3—प्राय: यह देखा गया है कि एक ही मद में मण्डल के कतिपय जनपदों में लक्ष्य निर्धारित होते है तथा कुछ में नहीं। कुछ मदों के लिये यह स्थिति संभव है किन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्या वास्तव में लक्ष्य नहीं निर्धारित हैं अथवा अज्ञानवश त्रुटिवश लक्ष्य नहीं अंकित किये गये हैं। जिन मदों के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और किसी जनपद विशेष के लिए शून्य है, उस जनपद में इस मद के अन्तर्गत प्रगति का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मण्डल स्तरीय औसत निकालते समय केवल उन्हीं जनपदों की प्रगति जोड़ी जाए जिनके लक्ष्य दिये गये हैं। लक्ष्य न निर्धारित किये गये जनपदों की प्रगति भी जोड़कर केवल लक्ष्य निर्धारित किए गए जनपदों के लक्ष्य के योग के विपरीत प्रतिशत निकालना गलत होगा। उदाहरणार्थ, यदि मण्डल में 5 जनपद हैं और केवल 3 जनपदों के लक्ष्य निधरित हैं तो इन्हीं 3 जनपदों की प्रगति के विपरीत प्रतिशत निकाला जाना चाहिये।

4—यदि किसी माह में अनजाने म गलत रिपोर्ट होगयी है तो अगले माह की रिपोर्ट में प्रगति संशोधित करके अभ्युक्ति के स्तम्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करदी जाय। बिना पर्याप्त कारण बताये रिपोर्ट में संशोधन उचित नहीं होगा।

5—कतिपय मण्डलों में मण्डल स्तरीय अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करके संकलन कर दिया जाता है और यह रिपोर्ट जन-पदों से प्राप्त रिपोर्टों से मेल नहीं खाती है। यथा संभव जनपदों से प्राप्त रिपोर्ट का ही संकलन किया जाए, किन्तु जहां जनपदों की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण पायी जाये, उसे संशोधित करके जनपदों को सूचित कर दिया जाये।

रूपपत्र---1

20 सूत्री कार्यक्रम

भौतिक प्रगति विवरण

जनपद / मण्डल
मास :

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83 का स्तर	1982-83 की उपलब्धि	1983-84						अभ्युक्ति
					वार्षिक लक्ष्य	मास का लक्ष्य	मास की उपलब्धि	मास के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (अ)	सिंचन क्षमता में वृद्धि करना										
	क---वृहद एवं मध्यम सिंचाई	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख---राजकीय लघु सिंचाई ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ग---निजी लघु सिंचाई ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	योग-सिंचन क्षमता		..	..	..	..	..	..	..	..	
	घ---निजी लघु सिंचाई (अनुसूचित जाति / जन-जाति के परिवारों द्वारा)	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	च---राजकीय नलकूप ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	छ---हरिजन बस्तियों में राजकीय नलकूप	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
1 (ब)	सूखी जमीन पर खेती---										
	क---खरीफ क्षेत्रफल ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख---रबी क्षेत्रफल ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ग---अल्पकालीन धान की नर्सरी	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	घ---सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया द्वारा खेती- माइक्रो सेड के बाहर क्षेत्रफल	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	च---माइक्रो सेड के अन्तर्गत क्षेत्रफल	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	

सूत्र संख्या	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83 का स्तर	1982-83 की उपलब्धि	1983-84						
					वार्षिक लक्ष्य	मास का लक्ष्य	मास की उपलब्धि	मास के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 (अ) दलहन विकास—											
क—खरीफ क्षेत्रफल	..	हजार हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
उत्पादन	..	ह0 मी0 ट0	..	..	..	..	..	..	..	..	
ख—रबी क्षेत्रफल	..	ह0 हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
उत्पादन	..	ह0 मी0 ट0	..	..	..	..	..	..	..	..	
योग—क्षेत्रफल	..	ह0 हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
उत्पादन	..	ह0 मी0 ट0	..	..	..	..	..	..	..	..	
2 (ब) तिलहन विकास:											
क—खरीफ क्षेत्रफल	..	हजार हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
उत्पादन	..	ह0 मी0 ट0	..	..	..	..	..	..	..	..	
ख—रबी क्षेत्रफल	..	ह0 हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
उत्पादन	..	ह0 मी0 ट0	..	..	..	..	..	..	..	..	
योग—क्षेत्रफल		हजार हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
उत्पादन	..	ह0 मी0 ट0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3—(क) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम—											
1—लाभान्वित परिवारों की संख्या		सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
2—लाभान्वित अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या		स0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3—कुल वितरित ऋण	..	लाख रु0	..	..	..	..	..	..	..	..	
4—अनुदान की धनराशि	..	लाख रु0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3—(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—											
1—रोजगार सृजन	..	लाख मानव दिवस	..	..	..	..	..	..	..	..	
2—अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्यों को उपलब्ध रोजगार		,,	..	..	..	..	..	..	..	..	

3—प्रयुक्त धनराशि ..	लाख रु०	..	..	..	..	..	..	..	..
4—अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिये प्रयुक्त धनराशि	लाख रु०	..	..	..	..	..	..	..	..
1 (अ) कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी									
1—हदबन्दी से प्राप्त भूमि	एकड़	..	..	..	..	..	..	..	..
2—भूमि का आवंटन ..	एकड़	..	..	..	..	..	..	..	..
3—आवंटियों की संख्या ..	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
4—आवंटियों की संख्या जिन्हें कब्जा प्राप्त हुआ	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
5—अनुसूचित जाति / जन-जाति के आवंटी	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
6—अनुसूचित जाति / जन-जाति को आवंटित क्षेत्र	एकड़	..	..	..	..	..	..	..	..
7 आवंटियों को आर्थिक सहायता—									
क—कुल वितरित धनराशि	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
ख—कुल लाभार्थी ..	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
ग—अनुसूचित जाति / जन-जाति को वितरित धनराशि	रु०	..	..	..	..	..	..	..	..
घ—अनुसूचित जाति / जन-जाति के लाभार्थी	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
4 (ब) रिकार्डों को दुरुस्त करना—									
ग्रामों की संख्या जहां हदबन्दी से सम्बन्धित रिकार्ड दुरुस्त किये गए					..	..			
5 कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी—									
1—निरीक्षण ..	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
2—निदेश वाद दायर किए गए	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
3—प्राभियोजना दायर किए गए	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
6 बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासन—									
1—कुल पुनर्वासित मजदूर ..	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
2—आर्थिक सहायता की धनराशि	लाख रु०	..	..	..	..	..	..	..	..
3—अनुसूचित जाति / जन-जाति के पुनर्वासित मजदूर	सं०	..	..	..	..	..	..	..	..
4—उक्त को दी गयी आर्थिक सहायता की धनराशि	रु०	..	..	..	..	..	..	..	..

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83 का स्तर	1982-83 की उपलब्धि	1983-84							अभ्युक्ति
					वार्षिक लक्ष्य	मास का लक्ष्य	मास की उपलब्धि	मास के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि		वार्षिक लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
7	अनुसूचित जाति / जन जाति का विकास--											
	गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता--लाभार्थी--											
	1--अनुसूचित जाति--											
	क--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना द्वारा	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	ख--अन्य योजनाओं द्वारा	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	2--अनुसूचित जनजाति--											
	क--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना द्वारा	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	ख--अन्य योजनाओं द्वारा	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
8	समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था--											
	1--जल निगम द्वारा--											
	क--कुल ग्राम	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	ख--समस्याग्रस्त ग्राम	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	ग--हरिजन बस्तियां	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	2--हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा											
	1--कुंए	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	2--हैण्ड पम्प	सं0	..	..	..	..	..	..	..		..	
	3--डिग्गी	सं0		..								

9(अ) आवास स्थल का आवंटन--आवास--										
स्थल आवंटियों की संख्या--										
क--कुल ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
ख--अनुसूचित जाति / जन जाति	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
9(ब)--ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण--										
1--कुल निर्मित आवास ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
2--अनुसूचित जाति / जन जाति के परिवारों के लिए निर्मित आवास	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3--प्रयुक्त धनराशि ..	रु0	..	..	..	..	..	..		..	
4--अवशेष धनराशि (पिछले वर्षों को सम्मिलित करते हुए)	रु0									
9(स) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा निर्मित आवास										
1--कुल निर्मित आवास	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
2--अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिए निर्मित आवास	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3--प्रयुक्त धनराशि ..	रु0	..	..	..	..	..	..	.	..	
4--अवशेष धनराशि (पिछले वर्षों को सम्मिलित करते हुये)	रु0	..	..	..	..	..	..	..	..	
10 मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार--										
1--लाभान्वित जनसंख्या ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
2--अनुसूचित जाति / जन जाति की लाभान्वित जनसंख्या	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3--आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
4--उक्त में अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिए निर्मित आवास	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
11 विद्युत उत्पादन कार्यक्रम--										
1--अधिष्ठापित क्षमता का सृजन	मेगावाट	..	..	..	..	..	..	..	..	
2--विद्युत उत्पादन ..	मि0यू0	..	..	..	..	..	..	..	..	

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83 का स्तर	1982-83 की उपलब्धि	1983-84						अद्यतित
					वार्षिक लक्ष्य	मास का लक्ष्य	मास की उपलब्धि	मास के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3—ग्रामीण विद्युतीकरण	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	4—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	5—नलकूपों / पम्प सेटों का ऊर्जन	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	6—उक्त में अनुसूचित जाति / जन-जाति के व्यक्तिगत नलकूप / पम्प सेट	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	(अ) वृक्षारोपण कार्यक्रम—										
	1—सामाजिक वानिकी—										
	क—क्षेत्रफल ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख—रोपित पौध ..	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	2—उत्पादन वानिकी—										..
	क—क्षेत्रफल ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख—रोपित पौध ..	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	3—वृहद वृक्षारोपण—रोपित पौध	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	4—कुल वृक्षारोपण—रोपित पौध	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	5—अनुसूचित जाति / जन-जाति बहुल क्षेत्र में वृक्षारोपण—										
	क—क्षेत्रफल ..	हे0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख—रोपित पौध	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12—	(ब) बायोगैस एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत—										..
	1—बायो गैस / गोबर गैस सयंत्र ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	2—सोलर फोटो बोल्टाइक पम्प ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	3—बिन्ड मिल ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	4—हाई ड्रम	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..

13--परिवार कल्याण कार्यक्रम---										
1--स्टरलाइजेशन ..	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2--लूप निवेशन ..	ह0सं0			..	..	..	..	..	..	
3--सी0सी0 यूजर्स ..	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4--ओरल पिल्स यूजर्श	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
सूत्र 14---प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम										
क-स्वा0 केन्द्र---										
1--प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2--हरिजन बहुल क्षेत्रों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3--प्राथमिक उप-स्वास्थ्य कन्द्रों की स्थापना ।	स0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4--हरिजन बहुल क्षेत्रों में उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5--सब्सीडियरी हेल्थ सेण्टर की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6--हरिजन बस्तियों में सब्सीडियर हेल्थ सेण्टर ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ख--कुष्ठ, नियन्त्रण कार्यक्रम---										
1--कुष्ट इकाईयों की स्थापना ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2--सर्वेक्षित जन संख्या ..	ह0स0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3--नए खोजे गये रोगी ..	स0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4--नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5--रोगमुक्त/रोग नियंत्रित डिस्चार्ज रोगी	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ग--दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम---										
1--नेत्र चिकित्सा इकाइयों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2--उपचारित रोगी ..	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3--कैटरेक्ट आपरेशन ..	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4--अन्य आपरेशन	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
घ---क्षय नियंत्रण कार्यक्रम---										
1--बी0सी0जी0 वैक्सीनेशन	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2--नये पंजीकृत रोगी ..		..	..	..	..	..	..	..	..	..
3--नियमित उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4--रोग मुक्त रोगी ..	ह0सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15 महिला और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम										
1 गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार		..	..	..	..	..	..	..	..	..

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83	1982-83	1983-84						अभ्युक्ति
			का स्तर	की उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य	मास का लक्ष्य	मास की उपलब्धि	मास के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	क्रमिक उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 शिक्षा विभाग										
	क-कुल	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-अनुसूचित जाति ..	सं0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	2. ग्राम्य विकास										
	क-कुल	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	2. 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को पुष्टाहार										
	1. शिक्षा विभाग										
	क-कुल	सं0 ..	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-अनुसूचित जाति	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	2. ग्राम्य विकास										
	क-कुल	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-अनुसूचित जाति ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	3. स्कूल जाने वाले बच्चों को पुष्टाहार-शिक्षा विभाग ..										
	क-कुल	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	ख-अनुसूचित जाति ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	4 (1) समन्वित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के नए केन्द्रों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	(2) समन्वित बाल विकास योजना के लाभार्थी संख्या										
	क-कुल	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-अनु0जाति ..	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	5. टी0टी0 ..	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	6. डी0पी0टी0	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	7. डी0टी0 ..	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	8. आयरन फोलिक एसिड--										
	1. माता	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	2. बच्चे	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	9. विटामिन 'ए' ..	लाख सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	

16—शिक्षा

क—औपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)									
1. नये विद्यालयों की स्थापना	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
2. नामांकन बालक	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
3. नामांकन बालिका	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
4. कुल नामांकन	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
5. अनु0जाति का नामांकन									
क—बालक	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
ख—बालिका	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
ग—योग	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
ख—अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयु वर्ग)									
1. नये विद्यालयों की स्थापना	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
2. नामांकन बालक	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
3. नामांकन बालिका	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
4. कुल नामांकन	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
5. अनुसूचित जाति का नामांकन									
क-बालक	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
ख-बालिका	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
ग—योग	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
ग—प्रौढ़ शिक्षा									
1—नये केन्द्रों की स्थापना	ह0 संख्या	..	..	..	..	..	..	..	..
2—कुल	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
3—अनुसूचित जाति का नामांकन	ह0 सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
17—(अ) उचित दर की दुकानों में वृद्धि									
1—नयी खोली गयी सामान्य दुकानें	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
2—चलती फिरती दुकानें	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
3—विद्यालय/छात्रावासों में खोली गयी दुकानें	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
4—औद्योगिक प्रांगणों में खोली गई दुकानें	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
5—नई खोली गयी दुकानें (1-4 तक)	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..
6—निलम्बित दुकानें	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..

सूत्र सं0	सूत्र के सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1-4-83 का स्तर	1982-83 की उपलब्धि	1983-84 वार्षिक लक्ष्य	1983-84 मास का लक्ष्य	1983-84 मास की उपलब्धि	1983-84 मास के लक्ष्य के विपरीत प्रतिशत उपलब्धि	1983-84 क्रमिक उपलब्धि	1983-84 वार्षिक लक्ष्य के विपरित प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 (ब)	-पाठ्य पुस्तक आदि का वितरण										
1-	-सस्ती दर पर पाठ्य पुस्तकों के लिये कागज का वितरण	मी0 टन	..	..	..	..	..	..	..	..	
2-	-सस्ती दर पर अभ्यास पुस्तकों के लिये कागज का वितरण	मी0 टन	..	..	..	..	..	..	..	..	
18-	-दस्तकारी हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम										
1-	-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
2-	-उक्त उद्योगों में रोजगार सृजन	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
3-	-हथकरघा इकाइयां		..	..	..	..	..	..	..	..	
	क-सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-हथकरघा निगम द्वारा अधिगृहीत करघे	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
4-	-हथकरघा वस्त्र उत्पादन ..	लाख मी0	..	..	..	..	..	..	..	..	
5-	-हथकरघा प्रशिक्षण (व्यक्ति)	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
6-	-दस्तकारी इकाइयों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
	क-निर्यात निगम द्वारा बिक्री ..		..	..	..	..	..	..	..	..	
	1- -अन्तर्देशीय बिक्री	लाख रु0 में	..	..	..	..	..	..	..	..	
	2- -विदेशी बिक्री ..	लाख रु0 में	..	..	..	..	..	..	..	..	
	ख-चर्म निगम द्वारा प्रदत्त सहायता	लाभार्थी सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
7-	-एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से स्थापित उद्योग	सं0									
8-	-ट्राइसेम के प्रशिक्षितों द्वारा स्थापित उद्योग	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
9	-अनु0जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्थापित ग्रामीण एवं लघु उद्योग	सं0	..	..	..	..	..	..	..	..	
10-	उक्त (9) में सृजित रोजगार	सं0	..	..	..	..		..	..	..	

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1982–83 वार्षिक उपलब्धि	1982–83 वर्ष के प्रारंभ से संदर्भगत माह तक क्रमिक उपलब्धि	1983–84 माह की उपलब्धि	1983–84 वर्ष के प्रारंभ से सन्दर्भगत माह तक क्रमिक उपलब्धि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
19—तस्करों, जमाखोरों तथा कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही							
क—आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही (खाद्य विभाग)							
	1—छापों की संख्या ..	सं0	..	..	..	..	
	2—गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	सं0	..	..	..	..	
	3—निलम्बित लाइसेंस की सं0	सं0	..	..	..	..	
	4—निरस्त लाइसेंस की संख्या	सं0	..	..	..	..	
	5—अधिगृहीत वस्तुओं का मूल्य	रु0	..	..	..	..	
ख —बांट तथा माप कानून के अन्तर्गत कार्यवाही—							
	1—छापों/चेकिंग की संख्या	संख्या	..	..	..	..	
	2—दोषी/त्रुटिपूर्ण पाए गए मामले	सं0	..	..	..	..	
	3—पैनाल्टी की धनराशि	रु0	..	..	..	..	
ग—बिक्री कर विभाग—							
	1—बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत दायर किए गए मुकदमें	सं0	..	..	..	..	
	2—मुकदमों के निस्तारण के फलस्वरूप प्रकाश में आई अपवंचित कर की धनराशि	रु0	..	..	..	..	
	3—सघन इकाइयों एवं जांच चौकियों द्वारा वसूल की गयी धनराशि	रु0	..	..	..	..	
	4—विशेष अनुसंधान शाखाओं द्वारा जांच के फलस्वरूप लगाए गए अतिरिक्त कर	रु0	..	..	..	..	
घ—मनोरंजन कर विभाग							
	1—छापों/निरीक्षणों की संख्या	स0	..	..	..	..	
	2—कर अपवंचना के मामले	संख्या	..	..	..	..	
	3—निलम्बित लाइसेंस ..	सं0	..	..	..	..	
	4—निरस्त लाइसेंस ..	सं0	..	..	..	..	
	5—पेनाल्टी द्वारा वसूल की गई धनराशि	रु0	..	..	..	..	
च—आबकारी कर विभाग							
	1—वर्ष के प्रारंभ में अवशेष धनराशि में से वसूल की गयी धनराशि	रु0	..	..	..	..	
	2—अनाधिकृत रूप से व्यापार करते हुए पकड़े गये मामले	संख्या	..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6	7	8
37	उक्त मद (2) में इंगित मामलों से पेनाल्टी के रूप में वसूल की गयी धनराशि	रु0	..	..	..	..	
छ—स्टाम्प ड्यूटी							
1	—स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के पकड़े गए मामले	संख्या					
2	—वसूल की गयी धनराशि	रु0	..	..	..	..	
ज—कोफेपोसा ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही							
1	—निरुद्धि हेतु पारित आदेश ..	संख्या	..	..	..	..	
2	—गिरफ्तार व्यक्ति ..	सं0	..	..	..	..	
3	—अधिगृहीत वस्तुओं का मूल्य	रु0					
झ—पथकर यात्री-कर एवं मार्ग-कर (परिवहन विभाग)							
1	—चेकिंग की संख्या जिसमें कर अपवंचना के मामले पकड़े गए	सं0	..	..	..	..	
2	—मौके पर कर व पेनाल्टी के रूप में वसूल की गयी धनराशि	रु0	..	..	..	..	
3	—कर अपवंचना में बन्द किए गए वाहन	सं0	..	..	..	..	
4	— उपरोक्त (3) के मामले में वसूल किया गया—						
	(अ) कर ..	रु0	.	..	..	..	
	(ब) पेनाल्टी ..	रु0	..	..	..	..	
ट—बिजली की चोरी (विद्युत विभाग)							
1	—छापों/निरीक्षणों की संख्या	सं0	..	..	..	..	
2	—बिजली की चोरी के मामले जो प्रकाश में आए	सं0	..	..	..	..	
3	—बिजली की चोरी में निहित धनराशि	रु0	..	..	..	..	
4	—वसूल की गयी धनराशि	रु0	..	..	..	..	

प्राथमिकता

सं० 1804/83–बी०सू०–14–83

प्रेषक,

श्री सुरत दास श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रेष्य,

1––समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2––समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बीस सूत्री कार्यक्रम अनुभाग––

लखनऊ दिनांक 1 जुलाई, 1983

विषय : ––बीस सूत्री कार्यक्रम का जनपदवार मूल्यांकन एवं समीक्षा––

महोदय,

बीस सूत्री कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मदों की जनपदवार प्रगति का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाय तथा मूल्यांकन रिपोर्ट से जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को प्रतिमाह अवगत कराया जाय । मासिक मूल्यांकन हेतु शासनादेश सं० 2096/83–बी०सू०–9–83, दिनांक 3–5–83 द्वारा प्रसारित प्रपत्र के जिन महत्वपूर्ण मदों को चुना गया है उनकी सूची आप के सूचनार्थ संलग्न है । इस सूची में उन्हीं मदों को सम्मिलित किया गया है जिनमे मासिक प्रगति सम्भव है तथा जिनके लक्ष्य प्रदेश के अधिकांश जनपदों के लिए निर्धारित है । मूल्यांकन में किसी जनपद को नुकसान न पहुंचे इस उद्देश्य से उन मदों कार्यक्रमों को नहीं सम्मिलित किया गया है जो प्रदेश के थोड़े ही जनपदों में लागू किए जा रहे हैं ।

2––कार्यक्रमों के गुणात्मकता ऊंची बनाए रखने के उद्देश्य से शासन का यह स्पष्ट विचार है कि उपलब्धि का लगभग समान वितरण सम्पूर्ण वर्ष में हो । वर्ष के अंत में अधिकतम उपलब्धि दर्शायी जाने की प्रवृत्ति गलत है और इस संदेह की दृष्टि से देखा जाता है । प्रथम त्रैमास से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियों के विलम्ब से जारी होने तथा लक्ष्यों के देर से निर्धारण के कारण प्रगति प्रायः मन्द रहती है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए मौसमी प्रकृति के कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए त्रैमासिक/मासिक लक्ष्य के निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए है ––

त्रैमास/मास	त्रैमासिक/मासिक लक्ष्य (प्रतिशत)	क्रमिक लक्ष्य (प्रतिशत)
1––प्रथम त्रैमास	16	16
प्रथम माह	5	5
द्वितीय माह	5	10
तृतीय माह	6	16
2––द्वितीय त्रैमास––	24	40
चतुर्थ माह	8	24
पांचवा माह	8	32
छठां माह	8	40
3––तृतीय त्रैमास––	30	70
सातवां माह	10	50
आठवां माह	10	60
नवां माह	10	70
4––चतुर्थ त्रैमास––	30	100
दसवां माह	10	80
ग्यारवां माह	10	90
बारहवां माह	10	100

3––उक्त मानक के दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक कार्यक्रम की प्रगति को चार वर्गों में बांटा जाएगा तथा प्रथम वर्ग को 3' द्वितीय वर्ग को 2, तृतीय वर्ग को 1 तथा चतुर्थ वर्ग को –1 अंक देकर जनपदों को प्राप्त कुल अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायगा ।

4--यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उक्त व्यवस्था केवल पारस्परिक मूल्यांकन के लिए है। बीस सूत्री कार्यक्रम के सभी मद महत्वपूर्ण हैं और किसी जनपद के समग्र मूल्यांकन के लिए सभी मदों की प्रगति को ध्यान में रखा जाएगा।

5--नियमित मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि शासनादेश संख्या-2096/83-बीसू0-9/83, दिनांक 3-5-83 द्वारा प्रेषित रूप पत्र में जनपदवार संकलित रिपोर्ट मण्डलायुक्तों के माध्यम से प्रत्येक माह की 15 ता0 तक शासन के बीस सूत्री कार्यक्रम अनुभाग को अवश्य प्राप्त हो जाय। रिपोर्ट भेजने के पूर्व जिलाधिकारी तथा मण्डलायुक्त अपने स्तर पर आंकड़ों का विधिवत् परिनिरीक्षण करवा लें और यह सुनिश्चित कर लें कि त्रुटिपूर्ण आंकड़े न रिपोर्ट होने पावें। यह अवश्य देख लिया जाय कि रिपोर्ट में लक्ष्य सही अंकित हों तथा वही लक्ष्य अंकित हों जो विभागाध्यक्षों द्वारा सूचित किए गए हों। उक्त तिथि तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है कि रिपोर्ट विशेष पत्रवाहक द्वारा भेजी जाय न कि डाक द्वारा। यदि इस तिथि तक रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती है तो मूल्यांकन में रिपोर्ट को सम्मिलित करना सम्भव न होगा और पिछली रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर दिया जाएगा जिसके लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कृपया-पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

सुरत दास श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव।

सं0 1804(1) -83-बीसू0-14 83 तद् दिनांक

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित सचिवों/विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित है कि कार्यक्रमों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां तुरन्त जारी कर दी जायं। जिन कार्यक्रमों के जनपदवार लक्ष्य अब भी न प्रसारित किए गए हों उन्हें तुरन्त प्रसारित कर दिया जाय तथा प्रसारित लक्ष्यों की प्रतिलिपि जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

आज्ञा से,

जे0 पी0 सिंह,
सचिव।

20—सूत्री कार्यक्रम

जनपदवार प्रगति का तुलनात्मक विवरण

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	1983-84 का लक्ष्य	माह की उपलब्धि	वर्ष के प्रारम्भ से क्रमिक उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना					
	क—राजकीय लघु सिंचाई					
	ख—निजी लघु सिंचाई					
	(ब) सूखी जमीन पर खेती					
	क—खरीफ क्षेत्रफल					
	ख—रबी क्षेत्रफल					
3	(अ) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम—					
	क—लाभान्वित परिवारों की संख्या					
	ख—लाभान्वित अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या					
	ग—अनुदान की धनराशि					
	(ब) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—					
	क—रोजगार सृजन					
	ख—प्रयुक्त धनराशि					
7	अनु0 जाति/जनजातियों का विकास					
	गरीबी रेखा के ऊपर उठाये जाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता—					
	अनुसूचित जाति/जनजाति					
8	समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था-जल निगम द्वारा					
9	(अ) आवास स्थल का आबंटन					
	क—कुल आवास स्थल आबंटियों की संख्या					
	ख—अनु0 जाति/जनजाति के लिये					
	(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवास निर्माण					
	क—कुल निर्मित आवास					
	ख—अनु0 जाति/जनजाति के लिये					
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार					
	1—लाभान्वित जनसंख्या					
	2—आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये गृह निर्माण					
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम					
	(1) ग्रामीण विद्युतीकरण					
	(2) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण					
	(3) नलकूपों/पंपसेटों का उर्जन					

1	2	3	4	5	6	7
12	(अ) वृक्षारोपण					
	(ब) बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र					
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम					
	स्टरलाइजेशन्					
16	शिक्षा					
	क—औपचारिक शिक्षा नामांकन					
	ख—अनौपचारिक शिक्षा—नामांकन					
	ग —प्रौढ़ शिक्षा— नामांकन					
18	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना					

नोट :—मण्डल स्तर पर जनपदों का नाम उर्ध्वाधर क्रम में रखकर संकलन किया जाय तथा प्रत्येक मद में मण्डल का योग दिया जाय।

संख्या : 3327/83-बी0सू0-14-83

प्रेषक,

आर0 रमणी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

बीस सूत्री कार्यक्रम अनुभाग — लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 1983

विषयः—बीस सूत्री कार्यक्रम का जनपदवार मूल्यांकन एवं समीक्षा।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश सं0 1804-83-बी0सू0-14-83, दिनांक 1-7-83 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रपत्र में जनपदवार प्रगति का संकलन मण्डल स्तर पर किया जाय। मण्डल स्तर पर संकलन जनपदों के नाम उर्ध्वाधर क्रम में रख कर किया जाय तथा प्रत्येक मद/उपमद में मण्डल का योग देने के बाद अगले मद/उपमद का संकलन किया जाय। समयाभाव तथा स्टाफ की कमी के कारण राज्य स्तर पर इन आंकड़ों का परिनिरीक्षण एवं संकलन कम्प्यूटर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि मण्डलस्तर पर यह संकलन जनपदों से प्राप्त आंकड़ों का विधिवत परिनिरीक्षण करने के बाद किया जाय। एकरूपता तथा कम्प्यूटर में उपयोग की दृष्टि से आवश्यक है कि प्रदेश के समस्त जनपदों,मण्डलों के आंकड़ों की इकाई एक हो। अतः संलग्न प्रारूप के स्तम्भ-3 में दी गयी इकाई में ही सूचना उपलब्ध करायी जाय। जनपदों की रिपोर्ट का परिनिरीक्षण करते समय यह देख लिया जाय कि लक्ष्य वही अंकित है जो राज्य स्तर से प्रसारित किये गये हैं तथा उपलब्धि के प्रतिशत सही निकाले गये हैं। आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि मण्डल स्तर पर आंकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का उत्तरदायित्व उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) को सौंपा जाय।

2—यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संकलन प्रारूप में दिये गये समस्त मद शासनादेश संख्या 2096/83-बी0 सू0, दिनांक 3-5-83 द्वारा निर्धारित प्रारूप से ही लिये गये हैं। संलग्न प्रारूप में अलग से सूचना प्राप्त करने का एक मात्र उद्देश्य महत्वपूर्ण मदों की जनपदवार प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा करना है। शासनादेश सं0 2096/83-बी0 सू0, दिनांक 3-5-83 के साथ प्रेषित प्रारूप में सूचना पूर्ववत भेजी जाती रहेगी।

3—कृपया उक्त दोनों प्रारूपों में मण्डल की जनपदवार संकलित रिपोर्ट विशेष पत्रवाहक द्वारा 15 तारीख तक शासन के बीस सूत्री कार्यक्रम अनुभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
आर0 रमणी,
विशेष सचिव।

संख्या 3327(1)/83-बी0सू0 14-83 तद्दिनांक

1—प्रतिलिपि आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0 प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि वह कृपया 20 सूत्री कार्यक्रम का राज्य स्तरीय संकलन कम्प्यूटर पर कराने की पूर्व तैयारी कर लें। इस सम्बन्ध में उप निदेशक (श्री जौहरी) से विचार विमर्श हो चुका है।

2—प्रतिलिपि समस्त मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3—प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने जनपद की विधिवत परिनिरीक्षित रिपोर्ट अपने मण्डलायुक्त को समय से उपलब्ध करायें। कृपया राज्य स्तर पर सीधे रिपोर्ट न भेजी जाय।

आर0 रमणी,
विशेष सचिव।

20–सूत्री कार्यक्रम

जनपदवार प्रगति का तुलनात्मक विवरण

जनपद/मण्डल का नाम————————

माह————————

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 1983–84 का लक्ष्य	माह की उपलब्धि	वर्ष के प्रारम्भ से क्रमिक उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(अ) सिंचन क्षमता में वृद्धि करना						
	क—राजकीय लघु सिंचाई	ह0हे0	..	..	..	..	..
	ख—निजी लघु सिंचाई	ह0हे0	..	..	..	..	..
	(ब) सूखी जमीन पर खेती						
	क—खरीफ क्षेत्रफल	ह0हे0	..	..	..	..	..
	ख—रबी क्षेत्रफल	ह0हे0	..	..	..	..	..
3	(अ) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम						
	क—लाभान्वित परिवारों की सं0	सं0	..	..	..	..	..
	ख—लाभान्वित अनु0 जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	सं0	..	..	..	..	..
	(ब) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम						
	क—रोजगार सृजन	लाख मानव दिवस		..	..	..	..
	ख—प्रयुक्त धनराशि	लाख रु0	..	..	..	..	..
7	अनु0जाति/जनजातियों का विकास						
	गरीबी रेखा के ऊपर उठाये जाने के उद्देश्य से दी गयी सहायता—अनु0 जाति/जनजाति	सं0	..	..	..	..	..
8	समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था—जल निगम द्वारा (ग्राम) ..	सं0	..	..	..	..	..
9	अ—आवास स्थल का आबंटन						
	क—कुल आवास स्थल आबंटियों की सं0	सं0	..	..	..	..	..
	ख—अनु0 जाति/जनजाति के लिए	सं0	..	..	..	..	..
	ब—ग्राम्य विकास विभाग तथा हरिजन कल्याण विभाग द्वारा आवास निर्माण						
	क—कुल निर्मित आवास	सं0	..	..	..	..	..
	ख—अनु0जाति/जनजाति के लिये	सं0	..	..	..	..	..

सूत्र सं0	सूत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम	इकाई	वर्ष 1983–84 का लक्ष्य	माह की उपलब्धि	वर्ष के प्रारम्भ से क्रमिक उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार						
	1—लाभान्वित जनसंख्या	सं0	..	..	..	..	..
	2—आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण	सं0	..	..	..	..	..
11	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम						
	1—ग्रामीण विद्युतीकरण	सं0	..	..	..	..	..
	2—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण ..	सं0	..	..	..	..	..
	3—नलकूपों/पंपसेटों का उर्जन	सं0	..	..	..	..	..
12	(अ) वृक्षारोपण ..	लाख सं0	..	..	..	..	..
	(ब) बायोगैस/गोबर गैस संयंत्र	सं0	..	..	..	..	..
13	परिवार कल्याण कार्यक्रम—						
	स्टरलाइजेशन ..	सं0	..	..	..	..	..
16	शिक्षा						
	क—औपचारिक शिक्षा—नामांकन	सं0	..	..	..	..	..
	ख—अनौपचारिक शिक्षा—नामांकन	सं0	..	..	.	..	..
	ग—प्रौढ़ शिक्षा—नामांकन ..	सं0	..	..	..	..	..
18	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	सं0	..	..	..	..	..

नोट—1—मण्डल स्तर पर जनपदों के नाम उर्ध्वाधर क्रम से रखकर संकलन किया जाये तथा प्रत्येक मद में मण्डल का योग दिया जाय।
2—जिन मदों की इकाई हजार अथवा लाख में है उन में दो दशमलव अंक तक सूचना दी जाए ।

NIEPA DC
D00972
Unit,
...tional
Date........ D-97
28/12/83

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 29 सा0 (सा0 प्रशा0)—17-9-83—(2226)—1983—10,000 (हि0)।